

HARYANA VIDHAN SABHA

REPORT

OF THE

Committee on Government Assurances

2009–2010

THIRTY NINTH REPORT



Presented to the House on 16th March, 2010

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT, CHANDIGARH

2010

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee	(iii)
Introduction	(v)
Report	(vii)
Appendix I	(ix)
Appendix II	(x)

Statement showing the number of Assurances etc given by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the month of March 2008 and September 2008 which are pending for implementation

(iii)

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

(2009-2010 upto 21st August, 2009)

CHAIRPERSON

- 1 Shri Radhey Shyam Sharma M L A

MEMBERS

- 2 Shri Uday Bhan M L A
3 Shri Somvir Singh M L A
4 Shri Satvinder Singh Rana M L A
5 Shri Subhash Chaudhry M L A
6 Shri Bharat Singh Chhokar M L A
7 Shri Devinder Kumar Bansal M L A
8 Smt Rekha Rana M L A
9 Shri Naresh Yadav M L A

SPECIAL INVITEES

- *1 Shri Gian Chand Oadh M L A
**2 Shri Naresh Kumar Sharma M L A

* Shri Gian Chand Oadh M L A was nominated as Special Invitee of the Committee w e f 23rd April, 2009

** Shri Naresh Kumar Sharma M L A was nominated as Special Invitee of the Committee w e f 12th May 2009

(2009 2010 from 28th October, 2009)

CHAIRPERSON

- 1 Shri Ram Pal Majra M L A

MEMBERS

- | | | |
|---|-------------------------------|--------|
| 2 | Shri Ram Krishan Gujjar M L A | Member |
| 3 | Shri Pardeep Chaudhary M L A | Member |
| 4 | Shri Vinod Bhayana M L A | Member |
| 5 | Shri Zile Ram Sharma M L A | Member |
| 6 | Shri Anand Kaushik M L A | Member |

(iv)

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------|
| 7 | Shri Raghubir Singh Tewatia M L A | Member |
| 8 | Shri Ganga Ram M L A | Member |
| 9 | Shri Kali Ram Patwari M L A , | Member |

SPECIAL INVITEES

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Col Raghubir Singh (Badhra) M L A |
| *2 | Smt Saroj Mor M L A |

* Smt Saroj Mor M L A was nominated as Special Invitee of the Committee w e f 8th January 2010

SECRETARIAT

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Shri Sumit Kumar Secretary |
| 2 | Smt Beermati Under Secretary |

INTRODUCTION

- 1 The Chairperson of the Committee on Government Assurances for the year 2009 10 have been authorized by the Committee to present the 39th Report of the Committee
- 2 The work done by the Committee after the presentation of the 38th Report on 20th February 2009 is kept set forth in this Report
- 3 A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee for the year 2009 10 has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat
- 4 The Committee is grateful to the representatives of Health Irrigation Co operation Power Agriculture Technical Education Urban Local Bodies Home Education Development & Pachayat Town and Country Planning and Excise and Taxation Departments who appeared before the Committee for oral examination and rendered useful assistance in its work
- 5 The Committee places on record its thanks and high appreciation of the whole hearted co operation and assistance rendered by Secretary Under Secretary and Branch Officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat in its deliberations

Dated 23rd February 2010

RAM PAL MAJRA
CHAIRPERSON

REPORT

- 1 The Committee on Government Assurances for the year 2009-10 consisting of nine Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha on 2nd April 2009. Shri Radhey Shyam Sharma M L A a member of the Committee was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon ble Speaker which worked upto 21st August 2009 till the dissolution of Haryana Vidhan Sabha. Thereafter on the election of 12th Assembly a new Committee for the remaining period of the year 2009-2010 was nominated by the Hon ble Speaker on 7th December 2009. Shri Ram Pal Majra a member of the Committee was nominated as Chairperson of the Committee.

SITTINGS OF THE COMMITTEE

- 2 The Committee held 47 sittings during the year 2009-10 (till finalization of the Report)
- 3 The Committee scrutinized the statements made by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the month of March 2008 and September 2008. The statements which in the opinion of the Committee constituted assurances were sent to the Administrative Secretaries concerned for intimation the manner in which and extent to which the Government has implemented the same.
- 4 The Committee scrutinized the replies received from the Govt. from time to time in regard to the implementation of the assurances shown as outstanding in Appendix I of the 38th Report. A statement showing the total number of assurances dropped and the number of pending assurances is at Appendix II. The Committee noted that in many cases the Government has taken an unnecessary long time for the implementation of assurances. The Committee has made certain observations in respect of some of the replies scrutinized by it in order to elicit further information from the Government and dropped the rest.
- 5 The statement showing the number of assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the month of March 2008 and September 2008 departmentwise which are pending for implementation is given in Appendix I to the Report.

ORAL EXAMINATION

- 6 With a view to expedite action and ensure prompt implementation of the outstanding assurances the Committee orally examined the representatives of the Health Irrigation Co operation Power Agriculture Technical Education Urban Local Bodies Home Education Development & Panchayat Town & Country Planning and Excise and Taxation Departments during the year. The Committee felt that some Departments were unable to implement certain assurances given by the Ministers on the floor of the House because as per version of the representatives of the Government it becomes difficult to implement these assurances for the reasons which are beyond the control of the Government.

- 7 The assurances which have outlived their utility due to passage of time or in respect of which Committee felt satisfied with the action taken by the Government to implement them have been dropped

The Government Departments are not required to send replies in respect of those Assurance which do not find mention in this Report

GENERAL OBSERVATION IN REGARD TO IMPLEMENTATION OF ASSURANCES

- 8 The Committee recommends that normally the Assurances should be implemented by the Government within three months from the date on which the Assurances are given. In case it is not possible to implement an Assurance within this period the cause of delay should be communicated to the Committee so that it may judge whether the reasons given for the delay are justified or not

The Committee further urge the Government to issue strict instructions in this behalf

- 9 The Committee invite the attention towards U O No 11/1/96 Pol (2p) dated the 28th August 1996 issued by the Chief Secretary to Government, Haryana and addressed to all the Administrative Secretaries wherein it was impressed upon —

That if an Assurance is received by the Administrative Secretary who is not concerned with the particular Assurance it should be transferred duly officially to the Administrative Secretary concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat who will then pursue the matter with the Administrative Secretary concerned

In spite of the instructions issued vide U O mentioned above and subsequent reminders thereof, some of the Departments simply informed Haryana Vidhan Sabha Secretariat that particular Assurance did not relate to them. The Committee again recommends that if an Assurance does not relate to a particular Department the same should be transferred to the Department to which it relates within a fortnight positively on the receipt of the Assurance under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat and Chief Secretary to Government Haryana. This will obviate unnecessary delay and correspondence

- 10 The Committee have come to the irresistible conclusion that some of the Assurances given several years back have not been implemented by the Government so far. However the Committee realised that there may be some genuine case where the implementation of Assurance is bound to take a long time because of various factors involved but that cannot be true in all cases. The Committee therefore recommends that the Government should take necessary steps so that these may be implemented as far as practicable within the period of three months from the date of presentation of the Report

APPENDIX I

S No	Name of Department	Sr No of Outstanding Assurances	Pages
1	General Administration	1—10	1—14
2	Home	11—12	15—20
3	Vigilance	13—15	21—27
4	Agriculture	16—18	29—45
5	Co operation	19—21	47—67
6	Revenue and Disaster Management	22—27	69—74
7	Rehabilitation	28	75—76
8	Industries	29—45	77—97
9	Transport	46—58	99—108
10	Irrigation	59—80	109—133
11	Power	81	135—136
12	P W D (B&R)	82—117	137—167
13	Public Health Engineering	118—137	169—184
14	Education	138—142	185—192
15	Health	143—155	193—204
16	Urban Local Bodies	156—157	205—208
17	Forests	158	209—210
18	Technical Education	159	211—212
19	Development and Panchayats	160—161	213—215
20	Environment	162—166	217—223
21	Mines and Geology	167—168	225—227
22	Animal Husbandry	169—170	229—232
23	Town and Country Planning	171—172	233—235
24	Finance	173—174	237—240
25	Sports & Youth Affairs	175—179	241—246
26	Consolidation	180—181	247—250
27	Administration of Justice	182	251—252
28	Rural Development	183—184	253—254
29	Tourism	185	255—258
30	Social Justice and Empowerment	186—188	259—262
31	Food & Supply	189	263—265
32	Personnel	190	267—271
33	Civil Aviation	191	273—274
34	Labour	192	275—277
35	Industrial Training & Vocational Education	193 194	279—280
36	Housing	195 196	281—284

(x)

APPENDIX II

Statement showing the number of assurances and replies received from the Government with regard to pending assurances of 38th Report and the Sessions held in the month of March, 2008 and September 2008

Total Number of Assurances sent to Govt during the year 2009 10	38 th Report	224
	March Session 2008	086
	September Session 2008	014
	Total	324
Number of Assurances dropped by the Committee	38 th Report	107
	March Session 2008	020
	September Session 2008	01
	Total	128
Number of Outstanding Assurances	38 th Report	117
	March Session 2008	66
	September Session 2008	13
	Total	196
Outstanding Assurances in the 39 th Report		

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

1 श्री अतर सिंह सैनी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सं० 151 के उत्तर में—
क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जून 1991 से अप्रैल 1996 तक की अवधि के दौरान राज्य में एच०सी०एस०/सम्बद्ध सेवाओं की भर्ती में कोई अनियमितताएँ सरकार के ध्यान में आई हैं, यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इस सबंध में क्या कार्यवाही की गई।

21-11-96

जी हाँ।

सरकार को वर्ष 1996 के दौरान एच०सी०एस०/सम्बद्ध सेवाओं की वर्ष 1993 को लिखित परीक्षा के सबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। मुख्य आरोप थे—रिकॉर्ड में हेरफेर, अवार्ड सूची/उत्तर पुस्तिकाओं को सील न करना फर्जी रोल न० की गोपनीयता का न रखा जाना उच्च स्थान प्राप्त दस उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों का अपनाया जाना आदि। सरकार इस मामले की छानबीन कर रही थी कि कुछ उम्मीदवार हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश आधार पर नियुक्तियां देने वाले माननीय हाई कोर्ट में चले गये। मामला निर्णय के लिए न्यायालय में लम्बित है।

याचिका न० 11684/96 का निपटान करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग की कार्य प्रणाली के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो से जांच करवाये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर निम्न प्रकार से निर्णय दिया है—

“यदि भ्रष्टाचार के बारे में कोई आरोप विद्यमान है और अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दायर किए जाने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है तो सरकार कानून के अनुसार यथोचित कार्यवाही कर सकती है, परन्तु इस शक्ति की आड़ में सरकार आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश में दखल-अन्दजी नहीं कर सकती और निरर्थक आरोपों के आधार पर चौकसी विभाग से जांच करवा कर चयन किए गए उम्मीदवारों के अधिकारों को निष्फल नहीं कर सकती।” चौकसी विभाग द्वारा मामले में आगे जांच की गई है। चौकसी ब्यूरो से उनके पत्र

दिनांक 19-1-98 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री एल०डी० कटारिया तत्कालीन अध्यक्ष एवं अन्यो के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468/471/477-ए/120-बी तथा डी०पी०सी० एक्ट की धारा 13(1) के अन्तर्गत पुलिस थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक में केस दर्ज किया गया है।

(6-3-98)

12-2-2004

- 2 श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया (क) इस समय हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा के सर्गर्ग में 75 तथा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में 16 रिक्तियाँ हैं।
- (ख) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) को 75 रिक्तियों को भरने हेतु अपनी सिफारिशें भर्जने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कर लिया है।
- हरियाणा राज्य में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वरिष्ठ न्यायिक शाखा) के 16 पदों को हरियाणा के वकीलों के समुदाय से सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक
- अताराकित प्रश्न सख्या 185 क्या मुख्यमन्त्री कृपया बताएँ कि—
- (क) क्या राज्य में इस समय न्यायिक सेवाओं के कोई पद रिक्त पड़े हुए हैं तथा
- (ख) यदि हाँ तो क्या उक्त रिक्तियों को भरने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसके मानदण्ड क्या हैं ?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

6 12 2003 को अधिसूचना जारी कर दी गई है और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

22 3 2005

3 राज्यपाल का अभिभाषण

सभी विकास कार्यक्रमों तथा सरकार की सभी गतिविधियों का केन्द्र नागरिक हा है। सरकार के प्रत्येक कार्यक्रम में यह परिलक्षित होगा कि नागरिकों को कौन सी ओर किस स्तर की सेवा प्रदान की जानी है। सेवाओं को जारी रखने के संबंध में उनकी गुणवत्ता और क्षमता का समय-समय पर स्वतंत्र बाह्य अधिकरणों /उपभोक्ताओं द्वारा मूल्यांकन करवाया जाएगा। उन्नत सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना पौद्योगिकी का प्रयोग करना हमारे प्रवासों का आवश्यक घटक होगा। सरकार का प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी सेवाओं का चयन करेगा और अगामी छ मास में सेवाएं प्रदान करने लिए तलचिन्ह तैयार करेगा। क्षमता निर्माण, निणय लने के अधिकार और ससाधनों का अतरण करके जिला प्रशासन को सुदृढ बनाया जायेगा। वर्षों पुराने अप्रासंगिक और प्राचीन कुछ

अधिनियमों और नियमों को निरस्त या सशोधित करने की जरूरत है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार का शासन को गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनावश्यक कानूनी अड़चनों को दूर करने और कालिष्ठ प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सम्पूर्ण कानून तंत्र की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

22 3 2005

4 राज्यपाल का अभिभाषण

राज्य के प्रशासन तंत्र को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ताकि 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करके लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा किया जा सके। राज्य सरकार हरियाणा को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सुशासन प्रदान करेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही विकास के स्तम्भ हैं तथा हम इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में सिटीजन चार्टर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, कानूनों को कठोरता से लागू करना लोगों में कानून के प्रति विश्वास जागृत करना, पुलिस और लोगों के मध्य बेहतर तालमेल विकसित करना, ईमानदार और समर्पित कर्मियों को पुरस्कार तथा भ्रष्ट एंव दोषी को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने की शुरुआत बिना किसी विनम्र के की जाएगी।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

5 श्री राम कुमार गोतम तथा श्री धर्मपाल मलिक द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 66 क्या वित्त मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या 2000-2005 की अवधि के दौरान पूर्व सरकार द्वारा छूटनी किए गए कर्मचारियों का नौकरिया उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा, तो उसका ब्योरा क्या है ?

16-06-2005

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया बारे चल रही तीन जांचे प्रारंभिक आकलन के आधार पर चौकसी विभाग द्वारा की जा रही है। इनका सबंध प्लाट अटैडेंट्स, मोटर व्हीकल मेकेनिक और उप वन रेजन के पदों के चयन से है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उप निरीक्षक के पद के चयन से संबंधित मामला कन्द्रीय अन्वेषक ब्यूरो को जाच के लिए भेजा हुआ है।

14-12-2005

6 श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 253 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पूर्व सरकार के शासन काल के दौरान एच एस एस सी की सिफारिश पर हरियाणा सरकार के अनेक विभागों की विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती में कोई अनियमितताएं की गई हैं यदि हा तो उसका ब्योरा क्या है तथा इस सबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

7 राज्यपाल का अधिभाषण

13-1-2006

कार्रवाई के दौरान मार गए अथवा विकलांग हुए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी उसी प्रकार से एक्सप्रेसशिया सहायता दी जाएगी जिस प्रकार से सेना के जवानों को दी जाती है।

8 मेट्रो रेल के निर्माण कार्य को विनियमित करने संबंधी सरकारी सकल्प

22-3-2007

***** वर्ष 2007 कलैण्डर ईयर के लिए 141 75 करोड़ रुपये, वर्ष 2008 कलैण्डर ईयर के लिए 141 75 करोड़ रुपये और वर्ष 2009 कलैण्डर ईयर में भी इतनी ही राशि हम दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को देगे।

9 मेट्रो रेल के निर्माण कार्य को विनियमित करने संबंधी सरकारी सकल्प

22 3-2007

अध्यक्ष महोदय मे सदन को जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहादुरगढ और फरीदाबाद के राहट्स द्वारा डी पी आर तैयार हो गए है उनके ऊपर जल्दी ही कार्यवाही की जाएगी।

10 श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 729 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएगे कि—
(क) राज्य मे निधियो के दुर्विनियोग तथा

19-9-2007

सूचना

(क) एक आई ए एस अधिकारी—श्री सजीव कुमार आई ए एस
एव एक आई पी एस अधिकारी — श्री रवि कुमार आई पी एस

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गबन के लिये जाचो का सामना कर रहे आई०पी०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारियों की संख्या कितनी है

(ख) ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो सी०बी०आई० जाचो का सामना कर रहे हैं तथा (ग) ऊपर के भाग (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

(ख) एक आई ए एस अधिकारी - श्री सजीव कुमार आई ए एस

(ग) फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003-सजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एव अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2003 के अनुपालना में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा श्री सजीव कुमार आई ए एस के विरुद्ध पाच (05) नियमित केस दर्ज किए गए एव प्रारम्भिक जाच की गई। दो मामलों में श्री सजीव कुमार आई ए एस के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए तथा राज्य सरकार द्वारा दोनों मामलों फाईल कर दिए गए हैं। शेष तीन मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाच की जा रही है तथा तीनों मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से रिपोर्ट्स अपेक्षित हैं। श्री रवि कुमार आई पी एस के विरुद्ध जाच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही जाचों का पूर्ण विवरण एव अद्यतन

स्थिति निम्न प्रकार से है -

श्री सजीव कुमार आई ए एस

श्री सजीव कुमार आई ए एस द्वारा उच्चतम न्यायालय में फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003 दायर की गई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित करने के आशय से राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध बेबुनियाद आरोपों के सद्वर्णन राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा को जाच के आदेश दिए हैं। श्री सजीव कुमार आई ए एस द्वारा पूर्व मुख्यमन्त्री हरियाणा श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध भी गम्भीर आरोप लगाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी सम्बन्धित की दलीलों के सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 25.11.2003 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिए कि श्री सजीव कुमार आई ए एस के विरुद्ध सभी जाचो/फौजदारी मुकदमों की जाच अब उस हाज की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री सजीव कुमार आई ए एस के विरुद्ध निम्न मुकदमों दर्ज किए गए हैं -

1 प्रारम्भिक जाच क्रमांक 001(ए) /2004 ए सी यू IX, दिनांक 27.1.2004 / विजिलेंस जाच क्रमांक 31 दिनांक 10.8.2001

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	संस्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

चण्डीगढ़ के सदर्म मे दर्ज की गई जिसमे श्री सजीव कुमार आई ए एस पर आरोप था कि उन द्वारा हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् के निदेशक परियोजना पद पर कार्य करते हुए 36 कर्मचारियों को अनियमित तरीके से नियुक्ति प्रदान की तथा परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचाई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाच उपरांत श्री सजीव कुमार आई ए एस के विरुद्ध भारी दंड क लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाए (दंड एव अपील) नियम 1969 के नियम 8 के अंतर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की गई तथापि श्री सजीव कुमार आई ए एस के विरुद्ध भारी दंड के लिए शास्त्रीय प्रशासनिक सेवाए (दंड एव अपील) नियम 1969 के नियम 8 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की गई। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियंत्रित विभागीय जाच केन्द्रीय सतर्कता आयोग से करवाई गई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई जाच रिपोर्ट के मद्देनजर मामला फाईल कर दिया है।

2 नियमित जाच 1 (ए)/2004-ए सी यू IX, दिनांक 27 1 2004 / विजिलेंस जाच क्रमांक 10 दिनांक 3 4 2001 के सदर्थ मे दर्ज की गई जिसमे श्री सजीव कुमार आईएएस पर आरोप था के उन द्वारा सरकारी वाहन तथा मोबाईल फोन का दुरुपयोग किया गया। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जाच उपरांत एफ आई आर क्रमांक 293 दिनांक 30 6 2003 पुलिस स्टेशन सैक्टर 17 चण्डीगढ मे धारा श्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 13(1) के अतर्गत दर्ज करवाई गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003-सजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एव अन्य मे दिनांक 25 11 2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन मे इसकी जाच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई तथा ज च मे श्री सजीव कुमार के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सक्षम अदालत मे एफ आई आर रद्द करने के लिए केशलेशन रिपोर्ट पेश कर दी गई है। राज्य सरकार ने मामला फाईल कर दिया है।

3 पारम्भिक जाच क्रमांक 002/2004/ए सी यू IX सी बी आई दिनांक 27 1 2004 / विजिलेंस जाच क्रमांक

क्र०	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

38 दिनांक 29.9.2001 चण्डीगढ़ के सदर्भ मे दर्ज की गई जिसमे श्री सजीव कुमार आई ए एस पर आरोप है कि उन द्वारा हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् के निदेशक परियोजना के पद पर कार्य करते हुए विभिन्न वस्तुओं की खरीद मे 56 लाख रुपये की अनियमितताए की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003 सजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य मे दिनांक 25.11.2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन मे इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट अपेक्षित है।

4 प्रारम्भिक जाच क्रमांक 0003/2004/ए सी यू IX सी बी आई दिनांक 27.1.2004 विजिलेंस जाच क्रमांक 16 दिनांक 3.9.2002 चण्डीगढ़ के सदर्भ मे दर्ज की गई जिसमे श्री सजीव कुमार आई ए एस पर आरोप है कि उन द्वारा अनियमित ढंग से अपनी आय के स्रोतों से अधिक सम्पत्ति एवं पूँजी अर्जित की गई। उच्चतम न्यायालय

द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003-सजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एव अन्य में दिनांक 25.11.2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इसकी जाच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट अपेक्षित है।

5 नियमित जाच क्रमांक 2(ए)/2004/ए सी यू IX सी बी आई दिनांक 27.1.2004/विजिलेंस जाच क्रमांक 27 दिनांक 25.10.2000 चण्डीगढ़ के पदम में दर्ज की गई जिसमें श्री सजीव कुमार आई.एस. पर आरोप है कि उन द्वारा पुस्तकों की छपाई अधिक मूल्य में करवाई गई। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा इस मामले की जाच उपरांत एफ आईआर क्रमांक 312 दिनांक 4.6.2002 पुलिस स्टेशन सैक्टर 17 चण्डीगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा (13)(1) (सी) (डी) दर्ज करवाई गई। सच्यतम न्यायालय द्वारा फौजदारी याचिका क्रमांक 93/2003-सजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एव अन्य में दिनांक 25.11.2003 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इसकी जाच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट अपेक्षित है।

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

श्री रवि कुमार आई पी एस—

श्री रवि कुमार तथा अन्य के विरुद्ध
एफआईआर क्रमांक 242 दिनांक 24.8.2008
पुलिस स्टेशन बलदेव नगर जिला अम्बाला
में आई सी पी की धारा 409/467/468/
471/120 बी आई पी सी तथा भ्रष्टाचार
निरोधक कानून 1988 की धारा 7/8/13
दर्ज है जिसकी जांच की जा रही है।

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
HOME DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

4-9-2002

- 11 ताराकित प्रश्न संख्या 1089 क सदर्थ मे श्री रामबीर सिंह द्वारा पूरा गया अनुरोध प्रश्न —
- अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि ये जो प्रशिक्षण केन्द्र भौडसी जिला गुडगाव मे खोला जा रहा है इसके लिए कितनी जमीन अधिग्रहण की गई है कितना खर्च किया है और कब तक कम्प्लीट कर दिया जायेगा?

स्पीकर सर इस भवन के निर्माण पर लगभग 42 करोड रुपये खर्च किया जाएगा इसके अलावा स्टाफ, गाडिया, फर्नीचर आदि पर 49 करोड रुपये के खर्च की योजना है। इस सैटर मे भविष्य मे महिला प्रशिक्षण केन्द्र नैटेटिक विज्ञान प्रयोगशाला भी शामिल करने की योजना है। ***** इस सैटर को मॉडर्न बनाने का हमारा विचार है। ज्यो-ज्यो आगे इस प्रशिक्षण के लिए जरूरत होती जाएगी इसमे नयी टेक्नोलोजी डिवैल्प की जाएगी।

प्रशिक्षण केन्द्र भौडसी, जिला गुडगाव के लिए 497 325 एकड जमीन अधिग्रहण की गई है। इस केन्द्र के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के बारे वन विभाग हरियाणा ने आपत्ति उठाई है और सूचित किया है कि उपरोक्त जमीन मे से 395 956 एकड जमीन पी एल पी ए एकट मे आती है। इस कारण वन विभाग ने 395 956 एकड पी एल पी ए एकट के अन्दर आने वाली जमीन पर निर्माण कार्य रुकवा दिये है।

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र भौडसी, जिला गुडगाव मे भवनो के निर्माण के लिए 60 एकड कृषि विभाग हरियाणा की Sharpus भूमि वन विभाग को देकर उसकी जगह 60 एकड भूमि पी एल पी एकट से मुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष

The Committee would like to know the latest position in this regard (17 2 10)

विचाराधीन है ताकि पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र भौडसी में आवश्यक भवनो का निर्माण कार्य सम्पन्न करवाया जा सके ।

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र में पी एल पी ए एक्ट से मुक्त भूमि पर जो आवासीय और गैर आवासीय कार्य प्रगति पर है उन पर निम्नलिखित राशि खर्च की जा चुकी है -

आवासीय भवन 204 78 लाख रुपये
गैर आवासीय 549 65 लाख रुपये

इस केन्द्र में निम्नलिखित कार्य उनके सामने दिखाई गई राशि खर्च करके पूर्ण किए जा चुके है

48 ओ आर	130 39 लाख रुपये
मकान ।	
ओ आर नैस	96 16 लाख रुपये
द्यूबवैल	5 22 लाख रुपये
सीवर ड्रीटमेंट	18 52 लाख रुपये
प्लाट ।	

जलघर 18 52 लाख रुपये
प्रशिक्षण केन्द्र भौडसी में जन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर 129 78 लाख व सड़को के निर्माण

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आशवासन	सकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पर 170 07 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त वन विभाग के आदेशों पर निम्नलिखित कार्य अधूरे रह गए हैं व उनके सामने दिखाई गई राशि इन कार्यों के निर्माण के लिए खर्च हो चुकी है -

एक पुलिस अधीक्षक 8 92 लाख व 8 उप पुलिस अधीक्षक के

आवास।

आईआर बी प्रथम 81 70 लाख का प्रशासकीय भवन। रुपये

पुलिस थाना सिटी बहादुरगढ़ के नए भवन को बनाने के लिए पुलिस विभाग हरियाणा द्वारा 60 32 लाख रुपये प्रबन्धक निदेशक हरियाणा पुलिस आवास निगम के पास जमा करवाये जा चुके हैं।

हरियाणा पुलिस आवास निगम द्वारा

नया भवन बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य हेतु 24 27 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। भवन का निर्माण 31 3 2010 तक पूरा करने की समय सीमा प्रबन्धक निदेशक हरियाणा पुलिस आवास निगम ने तय की है।
(17 2 10)

12 The Haryana State Industrial Security Force (Repeal) Bill 2005 की चर्चा के दौरान डा सुशील इन्दौरा द्वारा पूछा गया प्रश्न स्पीकर सर माननीय ससदीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं इन्होंने कहा था कि 27000 लोगो को पिछली सरकार के वक्त चौटाला जी ने हटा दिया था और इसका लाछन हमारे ऊपर लगाया गया था इस बारे में इन्होंने कहा था कि उन 27000 लोगो को हम नौकरिया देने की बजाय यह सरकार बहाने बनाकर के 3500 औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियो का, 819 जवानो को जो कि ट्रेनिंग ले चुके थे, सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में कमेटी के साथ रोहतक

20-06-2005

स्पीकर सर सच बात तो यह है कि इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने उदार हृदय का परिचय दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक एक ऐसे बच्चे को जिसकी नियुक्ति हुई थी, जब शेबारा से पुलिस फोर्स में नियुक्तिया होगी तो हम उनको कुछ वेटेज देंगे। इस सरकार को इन 3500 बच्चो के भविष्य की चिंता थी। उन सारे लोगो ने जिन्होंने कुवृत्त्य किया उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स करने की आवश्यकता थी। स्पीकर सर यहा पर कई तरह के इल्जाम लगे हैं जिनके बारे में माननीय श्री कर्ण सिंह दलाल तथा अन्य साधियो ने भी चर्चा की है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने और इस सरकार ने फैसला किया है कि हम एक ज्युडिशियल कमीशन का गठन करेंगे और इस बार में सरकार ने लिखा भी है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हरियाणा के लोगो के समक्ष

Committee would like to know the latest position in this regard
(17 2 10)

इस विषय में सरकार द्वारा जस्टीस भल्ला कमीशन नियुक्त किया गया तथा कमीशन की रिपोर्ट दिनांक 20 3 2007 को आश्वासन अनुसार विधान सभा पटल पर रखी गई।
(17 2-10)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मैडिकल कालेज से गए थे और वहा के हालात देखकर यह लगता था कि यहां पर लोगो को रोजगार देना चाहिए लेकिन इस सरकार ने पैरा-मैडिकल स्टाफ के 300 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके साथ ही चौधरी देवीलाल के नाम से टस्ट था वहा से भी 200 स्पोर्टिंग स्टाफ के लोगो को निकाल दिया गया है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए है इन्होंने किसानो के बिलो को माफ किया है और मैंने इनके प्रयासो की प्रशंसा भी की थी। स्पीकर सर, यह सरकार 10000 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी देने के बारे में बात करती है। यह जो 10000 पद भरने की बात इन्होंने की है, मैं इनसे पूछना चाहता हू कि ये पद कैसे भरे जाएंगे ? इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है।

आएगा। उस ज्युडिशियल कमीशन की रिपोर्ट हम सदन में लेकर आएंगे कि यह कौन है जिसने हरियाणा के नौजवानों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है ?

OUTSTANDING ASSURANCES

**Relating to the
VIGILANCE DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

- 13 श्री कर्ण सिंह दलाल तथा श्री धर्मपाल मलिक द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 6 - क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य सरकार को वर्ष 2000 से 2005 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के विरुद्ध मत्ता के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार तथा आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक बेहिसाब परिसम्पत्तियों के अर्जन, निविदाएं देने तथा सरकारी खरीद में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत/आरोप पत्र प्राप्त हुआ है यदि हा तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई या की जानी प्रस्तावित है?

14-6-2005

कार्टवाई के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हुए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी उसी प्रकार से एक्सप्रेशिया सहायता दी जाएगी, जिस प्रकार से सेना के जवानों को दी जाती है।

Committee would like to know the latest position in this regard
(16-7-08)

अनुबंध

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	आरोप	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	(क) श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रधान युवा कांग्रेस	5-11-2004	गांव नाथपुर (गुडगांव) ग्राम पंचायत की सेवा सौ करोड़ रुपये की जमीन चार करोड़ में डीएलएफ को बेचने बारे।	तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि मंत्रिपरिषद् के निर्णयानुसार 19.5 एकड़ जमीन को de-notified कर दिया गया है। अतः इस शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
(ख)	श्री करण सिंह दलान विधायक	8-11-2004	-सम-	-सम-
2	श्री करण सिंह दलान विधायक	8-11-2004	गांव बधवाडी तथा गवालपहाडी (गुडगांव) की एक हजार एकड़ जमीन का चोटाला।	तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। अतः इस शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3	श्री खजान सिंह सचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सिविल लाईन, गुडगांव।	20-10-2004	गांव बिन्द्यापुर झाडसा (गुडगांव) में 25 करोड़ रुपये की जमीन को मात्र 70 लाख रुपये में अधिग्रहण करवाना।	उपयुक्त गुडगांव से 13-5-2005 को रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी अपेक्षित है।
4	श्री जयपाल सिंह पूर्व शराब ठेकेदार	4-9-2003	शराब के ठेको की नीलामी में 65.00 करोड़ रुपये का चोटाला सीबीआई जांच की मांग।	तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि इस मामले में आबकारी एवं करधान विभाग की टिप्पणी प्राप्त कर ली जाए। इस बारे में विभाग को टिप्पणी हटु 4.11.2003 को लिखा गया है टिप्पणी अभी अपेक्षित है।
5	श्री कृष्ण लाल निवासी सिरसा	15-4-2005	श्री गोपी चन्द टैक्सटाइल मिल्स रिसार रोड सिरसा की नाजयज खरीद बारे।	मी बी आई को गुह विभाग के माध्यम से दिनांक 13.12.05 को जांच हेतु लिखा गया।
6	श्री खजान सिंह सचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सिविल लाईन गुडगांव।	2-10-2004	शिकायत बाबत हुड्डा विभाग द्वारा किसानों की दालाई जमीन से बिजनैस करके हजारों करोड़ के चोटाले आदि करने बारे।	सी बी आई को गुह विभाग के माध्यम से दिनांक 4.10.07 हेतु लिखा गया।

क्रमक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	आरोप	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
7	श्री रविन्द्र कुमार अध्यक्ष राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा दिल्ली।	27-1-2004	सर्वाच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना निदेशक इरोज सिटी डिवाइल्स प्रा लि।	मामला दिनांक 18-5-06 को विचारोपरान्त फाईल कर दिया है। जिसकी सूचना आपको यादी क्रमांक 73/1/2005-5 चौ 1 दिनांक 23 5 07 द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है।
8	श्री अशोक कुमार पत्कार चडीगढ।	--	एम बी बी एस के दाखिले मे हेरा-फेरी।	मामला दिनांक 20-6-05 को विचारोपरान्त फाईल कर दिया है। जिसकी सूचना आपको यादी क्रमांक 73/1/2005-5 चौ 1 दिनांक 23 5 07 द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है।
9	श्री प्रताप सिंह चौटाला भूतपूर्व विधायक मण्डी डबवाली	13-4-2004	आय से अधिक चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करने बारे।	जाच रिपोर्ट निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो से अपेक्षित है।
10	श्री हरपाल सिंह वासी बहुअकबरपुर (रोहतक)।	--	पशुपालन विभाग मे विकास कार्यों के लिए दी गई राशि मे लाचो का घोटाला।	जाच रिपोर्ट निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो से प्राप्त हो चुकी है तथा सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
11	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री ओमप्रकाश वासी चौटाला।	27-9-2004	श्री ओम प्रकाश पुत्र मनीराम के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराने बारे।	शिकायत कर्ता का पति एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आरोप निराधार पाए गए थे।
12	श्री रवि चौटाला पुत्र श्री प्रताप सिंह चौटाला वासी सिरसा।	4 12-2002	परिवारी को धमकी देने और मुकदमा मे झूठा फसाने बारे।	शिकायत झूठी एवं निराधार पाई गई थी तथा इसे फाईल कर दिया गया था।
13	श्रीमती मुकेश पत्नी सतपाल पहाडी वासी कृष्णा कालोनी भिवानी।	29-1-2003	परिवारी के पति के विरुद्ध राजनैतिक कारणों से झूठे फौजदारी मुकदमे दर्ज कराने बारे।	शिकायतकर्ता का पति हरियाणा विकास पार्टी का कार्यकर्ता है और कई अपराधों मे सलिस रहा है तथा बचाव मे दी गई शिकायत को 11-6-2002 को फाईल कर दिया गया है।
14	श्री चन्द्र शेखर धरनी कार्यालय प्रभारी पजाब केसरी कार्यालय पानीपत।	12-4-2005 28-4-2005 व 26-5-2005	बाबत परिवारी के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पत्नी का स्थानांतरण कराने व परिवार का उत्पीडन इत्यादि।	इस शिकायत की जाच जिला पुलिस प्रमुख पानीपत से कराने हेतु 27-4-2005 को लिखा गया है।

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	आरोप	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
15	श्री कुलदीप सिंह गदरना अधिवक्ता वासी औढा जिला सिरसा	17-5-2005	परिवर्दी को छूटे केसो मे फसने बारे।	आरोप निराधार पाए गए और 10 7 2004 को फाईल कर कर दिया गया है।
16	गुमनाम शिकायत	7-6-2005	श्री सोम सेठी, पत्थररोडी टेकेदार फरीदाबाद तथा अन्य द्वारा श्री ओम प्रकाश चौटाला भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य की मिलीभगत से सरकार को 5000 करोड रुपये की टेक्स रायल्टी का नुकसान पहुंचाने बारे।	शिकायत का निरीक्षण चौकसी विभाग द्वारा किया जा रहा है। गृह विभाग के माध्यम से सी बी आई को दिनांक 4 10 07 को जांच हेतु लिखा गया है।
17	श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला।	13-6-2005	सत्ता में रहते हुए आय से अधिक चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करने बारे।	सी बी आई को गृह विभाग के माध्यम से दिनांक 13 12 05 को जांच हेतु लिखा गया है।

13-3 2008

***अध्यक्ष महोदय अभी अभी इक्वायरी होकर आयी है और हमे हाल ही मे इसकी रिपोर्ट मिली है हम इसको स्टडी करवा रहे है। इस इक्वायरी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनो के आर्डर को स्टडी करके, मैं सदा के एश्योर करता हू कि within next three months we will take a decision on this issue Secondly the Hon ble Member has asked whether the salary will be recovered from the guilty persons or not? अध्यक्ष महोदय जब सरकार अगले

14 ताराकित प्रश्न सख्या 881 के सदर्थ मे श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - ***अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आलरेडी अया हुआ है उसके अनुसार क्या इन तीन हजार जे बी टी टीचर्ज को हटाकर उन बेसहारा लोगो को गेजगार दंगे जो इसके

क्र०	सदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

हकदार है? ***मै यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन योग्य उम्मीदवारों को नौकरियों पर लगाएंगे? **क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो तनखाह इन अध्यापकों ने ली है वह तनखाह इन मुलजिम्हों श्री ओम प्रकाश चौटाला उनके बेटे श्री अजय चौटाला और जिन अधिकारियों के नाम इन्होंने लिए हैं उनसे वसूली जाए।

तीन महीनों में इस बारे में निर्णय कर लेगी और कान्सीववैसीज होंगे, आप समझते हैं they will naturally follow तीसरी बात इन्होंने कही है कि उसे से कई लोगों के सर्टिफिकेट नकली हैं और क्या गवर्नमेंट पहले उनकी जांच करवाएंगी? अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस बारे में सी बी आई की इक्वायरी हो चुकी है और अगर तीन महीने में हम किसी निर्णय पर पहुंच गए तो फिर शायद सर्टिफिकेट्स की जांच करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु हमारी सरकार उन सभी व्यक्तियों की जो जे बी टी की पोस्ट पर उस पीरियड में लगे थे, अगले 6 महीनों में उनके सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन और अथेंटिसिटी की भी जांच करवाएंगी।

13-3-2008

***मै इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कल भी एक सवाल के जवाब में मैंने इसकी पूरी जानकारी देते हुए बताया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हरियाणा

15 ताराकित प्रश्न संख्या 881 के सदर्भ में श्री नरेश यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न ***मै आपके

माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले तीन साल में उनके नजदीकी लोगों पर इस बारे में कोई कार्यवाही हुई है, क्या उनके व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं?

सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर सारे मामले को जाच के लिए भेज दिया था। यह जाच इस समय उनके पास विचाराधीन है जो जाच विजीलेंस के पास है उसके बारे में मैंने हाउस के प्लोर पर कल ऐश्यरेंस दी थी कि जून 2009 तक एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट में हुए स्कैम की जाच पूरी करके हम रिपोर्ट दे देंगे। इसके अलावा 37 और जाच है वह भी विजीलेंस के पास इस समय विचाराधीन है और बहुत जल्दी नको भी पूरी कर लेगे।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the
AGRICULTURE DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
16	श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 34—क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या अम्बाला छावनी में नई अनाज मंडी तथा चारा मंडी के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा (ख) यदि हा तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?	12-6-2001 हा श्रीमान् जी स्थल का चयन किया जा चुका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल का कब्जा मार्किट कमेटी, अम्बाला छावनी को देने के पश्चात् मंडी के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।	अम्बाला छावनी में नई अनाज मंडी, सब्जी मण्डी की स्थापना के लिए 33 एकड़ 5 कनाल 7 मरले भूमि को अधिग्रहण करने की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 6 6 2008 को जारी हो चुकी है परन्तु कुछ भूमि मालिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर कर दिया जिसके कारण जिला राजस्व अधिकारी, अम्बाला ने 20 एकड़ 6 कनाल 2 मरला भूमि का पचाट घोषित नहीं किया है क्योंकि इस पर उच्च न्यायालय के स्टे-आदेश है बाकी बची हुई भूमि का पचाट घोषित किया जा चुका है। (22 1-10)	The Committee would like to know the latest position in this regard (22 1 2010)
17	श्री देवेन्द्र कुमार बसल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 672 क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या अम्बाला	12-3-2007 जी हा, अम्बाला छावनी में नई अनाज मण्डी व सब्जी मण्डी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए भूमि	अम्बाला छावनी में नई अनाज व फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना के लिए 33 एकड़ 2 कनाल 7 मरले भूमि को	The Committee would like to know the latest position

छावनी में बाजार से पुरानी अनाज मण्डी को अम्बाला छावनी से बाहर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

अधिग्रहण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान मण्डी को भूमि अधिग्रहण करने का कार्य पूर्ण होने तथा वाछित मूलभूत ढांचे के विकास के बाद स्थानान्तरण किया जायेगा।

अधिग्रहण करने की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 6-2-2008 को जारी हो चुकी है। परन्तु कुछ भूमि मालिकों द्वारा माननीय हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया जिसके कारण जिला राजस्व अधिकारी, अम्बाला ने 20 एकड़ 6 कनाल 2 मरला भूमि का अवाई घोषित नहीं किया क्योंकि इस पर कोर्ट के स्टे आदेश है। बाकि बची हुई भूमि का अवाई घोषित किया जा चुका है।

(22-1-10)

18

तारांकित प्रश्न संख्या 679 के संदर्भ में श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न स्पीकर सर विभाग के आकड़ों की जाँच की अनुसार सन् 2001 से 2004 तक तत्कालीन सरकार के संरक्षण में कुछ अधिकारियों ने जो डीएम लगे हुए थे उन्होंने सरकार के गेहूँ को बेचकर खुर्द-बुर्द किया और उस पैसे को हज्म कर गये। जिसके बारे में बाद में विजिलेंस से इन्क्वायरी हुई और विजिलेंस की इन्क्वायरी में उन अधिकारियों को दोषी पाया गया और विजिलेंस विभाग ने कहा कि इनके

15-3-2007

स्पीकर सर वर्ष 2001 से 2004 तक unfortunately यह बात हुई है इसकी मैं स्वीकार करता हूँ और एम एल ए साहब और हाउस को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जायेगा। दूसरी बात मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बारे में थोरे इन्क्वायरी होगी और किसी को रियायत नहीं दी जायेगी चाहे कोई बड़ा हा या कोई छोटा, अगर दोषी पाया जायेगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा।

चौकसी विभाग द्वारा पलवल व सिरसा जिले में वर्ष 2002 2003, 2003-2004 तथा 2004 2005 में गेहूँ के स्टॉक खराब होने बारे जॉंच की गई थी। सरकार के पत्र क्रमांक 6145 Agra 1(1) 2006/27143 दिनांक 4 12 2006 के द्वारा चौकसी विभाग की जॉंच रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् उक्त जॉंच रिपोर्ट में चौकसी विभाग द्वारा की गई सिफारिशों का विश्लेषण करने व निगम को वास्तव में कितनी हानि हुई और इसके लिए

in this regard
(22 1 2010)

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(22 1 2010)

31

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

खिलाफ कार्यवाही की जा रही है तो इम्बेजलमेंट है तभी तो इन्क्वायरी की जा रही है। मे मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो लगभग 55 करोड़ रुपये का गबन वर्ष 2001 से 2004 तक किया है क्या उसके बारे में मंत्री जी जाच करवायेगे ?

कौन 2 से अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेवार थे का ब्यौरा देने बारे निगम के अधिकारियों की एक इन हाउस कमेटी का गठन किया गया। इस इन-हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8 6 2007 को प्रस्तुत की। तदोपरान्त यह मामला निगम के निदेशक मण्डल के सम्मुख दिनांक 27 12 2007 को हुई मिटिंग में रखा गया जिसमें निदेशक मण्डल ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें श्रीमती सुमिता मिश्रा आई ए एस तत्कालीन कृषि निदेशक श्री अनिल मलिक, आई ए एस तत्कालीन निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा तथा श्री ओ०पी० लॉंग्यान आई ए एस प्रबन्ध निदेशक/एच ए आई सी थे तथा उन्हें इस विषय का परीक्षण करके अपनी सिफारिशों को निदेशक मण्डल के सम्मुख रखने बारे कहा

गया। इन अधिकारियों की समिती ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 6 2 2008 के द्वारा निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 9 1 2007 में प्रस्तुत ऐलैण्डा के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने बारे सिफरिश की जिसने निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी -

1 सर्वश्री राजबीर सिंह सतबीर सिंह, जसबीर सिंह गेन्दा राम तथा मदन लाल मण्डी निरीक्षक कम स्टोरकीपर, जिला पलवल एवम् सर्वश्री खरैती लाल तथा खुशी राम मण्डी निरीक्षक कम स्टोरकीपर, जिला सिरसा जो कि गेहूँ के स्टॉक के परिरक्षक थे के खिलाफ गेहूँ के वजन में कमी देने बारे प्राथमिक सूचना धारा 409, 420 467 468 471, 120-बी ऑफ आई पी सी और 13(1) डी ऑफ पी सी एक्ट के तहत दर्ज करवाई जाए क्योंकि यह कर्मचारी गेहूँ की देखभाल के तथा उसके वजन में आई कमी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार थे। इसी प्रकार की कार्यवाही जिला प्रबन्धको सर्वश्री पी०सी० गोयल, नरेन्द्र कुमार तथा एम०एल० गर्ग के खिलाफ करने बारे प्रस्ताव किया गया जिनके नाम चौकसी विभाग की रिपोर्ट में भी अंकित है।

2 सर्वश्री राजबीर सिंह सतबीर सिंह, जसबीर सिंह, मदन लाल एवम् हवा सिंह राठी, मण्डी निरीक्षक कम स्टोरकीपर, जिला पलवल तथा सर्वश्री खरैती लाल तथा खुशी राम, मण्डी निरीक्षक कम-स्टोरकीपर, जिला सिरसा तथा सर्वश्री पी०सी० गोयल, नरेन्द्र कुमार तथा एम०एल० गर्ग, जिला प्रबन्धको के विरुद्ध निर्धारित मापदण्डों से कम गेन देने व गेहूँ में खराब करने और खराब गेहूँ को अपग्रेड करने पर हुए अनियमित खर्चों इत्यादि पर हुई हानि पर विभागीय कार्यवाही करने बारे सिफरिश की।

3 सर्वश्री राजबीर सिंह, सतबीर सिंह, जसबीर सिंह गेन्दा राम मदन लाल व हवा सिंह राठी मण्डी निरीक्षक-कम-स्टोरकीपर जिला पलवल एवम्

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आस्थापना	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

श्री खैती लाल व खुशी राम मण्डी निरीक्षक कम स्टोरकीपर, जिला सिरसा तथा जिला प्रबन्धक सर्वश्री पी०सी० गोयल नरेन्द्र कुमार तथा एम०एल० गर्ग, इन सभी दोषियों के विरुद्ध रिकवरी सूट दायर करने बारे सुझाव दिया।

4 सर्वश्री बी०आर० बधवा सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक मुकेश शर्मा महाप्रबन्धक (वित्त) एस०सी० ग्रोवर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी एम०एल० गर्ग, भूतपूर्व लेखाधिकारी तथा के०के० शर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी जो कि निरीक्षण अधिकारी थे और जिन्होंने समय-2 पर गेहूँ के स्टॉक का निरीक्षण न करके प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेशों की अवहेलना करने के दोषी है क्योंकि इन्होंने अपने अधीन मण्डीयो का प्रत्येक माह में निरीक्षण नहीं किया, परन्तु यह सभी अधिकारी सीधे तौर पर गेहूँ खराब के लिए जिम्मेवार नहीं है। प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेशानुसार निरीक्षण अधिकारियो ने अपनी आबटित मण्डीयो का समय 2 पर निरीक्षण नहीं किया इस प्रकार उन्होंने सक्षम अधिकारी के आदेशों की उल्लंघना की जिसके लिए उन्हें अपनी झूठी में कोताही बरतने के लिए हरियाणा सीविल सर्वोच्च नियम, (P&A)1987 के तहत नियम 8 में चार्जशीट करने बारे सुझाव दिया गया। श्रीमती मोनिका मलिक एच सी एस को जब दिसम्बर-2003 में जिस गेहूँ के स्टॉक की जाँच करने हेतु नियुक्त किया गया था वह गेहूँ का स्टॉक पहले ही खराब हो चुका था इसलिए उसे गेहूँ के खराब होने या अन्य किसी गलती के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

5 श्री एस०सी० जैन, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक (गेहूँ) जो कि उस समय में गेहूँ

शाखा के इन्चार्ज थे और समय पर पोलीकवर उपलब्ध न करवाने से जो हानि हुई उसके लिए उन्हें हरियाणा सीविल सर्वीसिस (P&A) नियम 1987 के तहत नियम-7 में चार्जशीट करने के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति करने बारे कार्यवाही करने की सिफारिश की गई।

हालाँकि विजिलेंस जॉच रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि वर्ष 2004 2005 में एवा सिंह गठी मण्डी निरीक्षक पलवल मण्डी के खिलाफ प्राथमिक सूचना दर्ज करवाई जाए परन्तु पूर्ण स्टॉक के उठने के पश्चात् यह पाया गया कि वह स्टॉक खराब करने, निर्धारित मापदण्डों से कम गेन देने खराब गेहूँ के स्टॉक की कम वसूली होने व अनियमित खर्चों के लिए दोषी है लेकिन यह नहीं पाया गया कि श्री राठी निर्धारित वजन में कमी देने के लिए दोषी है, इसलिए कमेटी इस निर्णय पर पहुँची कि उसके खिलाफ प्राथमिक सूचना दर्ज न करवाई जाए लेकिन उसे हानि की भरपाई बारे तथा सख्त सजा देने के लिए चार्जशीट किया जाए।

श्रीमती मोनिका मलिक एच सी एस निगम की तत्कालीन सचिव को जिस गेहूँ के स्टॉक का निरीक्षण करना हेतु नियुक्त किया गया था वह गेहूँ पहले से ही खराब हो चुका था। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं बनती।

यह मामला दोबारा निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 24 2008 में रखा गया जिसमें निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिया -

“इस विषय पर लम्बी वार्ता करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा गठित तीन सदस्यों की कमेटी की सिफारिशों एवम् बोर्ड के समुख रखे गए एजेंडे को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निगम के प्रबंध निदेशक को इस मामले में उचित कार्यवाही करने बारे अधिकृत किया।”

बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसार व विजिलेंस विभाग द्वारा दी गई जॉच

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया -

- (i) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज करवाना।
- (ii) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियम 7, नियम-8 व नियम के सर्टिफाईड स्टेडिंग आर्डर के तहत आरोप पत्र जारी करना एवम्
- (iii) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रिकवरी सूट दायर करना।
- (i) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज करवाना।

जिला पलवल और जिला सिरसा के निम्नलिखित दोषी मण्डी निरीक्षकों और जिला प्रबन्धकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 420 467, 468, 471 व 120 बी तथा 13(1) डी ऑफ पी सी एक्ट के तहत गेहूँ के निर्यातित वजन में पाई गई कमी बारे सम्बन्धित पुलिस थानों में प्राथमिक सूचना दर्ज करवाई गई -

जिला पलवल		प्रफ़ आई आर न० व दिनांक
1	श्री राजबीर सिंह, मण्डी निरीक्षक	255 दिनांक 25 6 2008
2	श्री सतबीर सिंह, मण्डी निरीक्षक	244 दिनांक 25 6 2008
3	श्री जसबीर सिंह, मण्डी निरीक्षक	245 दिनांक 25 6 2008
4	श्री गेदा राम, मण्डी निरीक्षक	100 दिनांक 25 6 2008
5	श्री मदन लाल, मण्डी निरीक्षक	257 दिनांक 25 6 2008
6	श्री पी०सी० गोयल, जिला प्रबन्धक	255/257 दिनांक 25 6 2008
7	श्री एम०एल० गर्ग, जिला प्रबन्धक	264 दिनांक 25 6 2008

जिला सिरसा

- 8 श्री खरैती लाल मण्डी निरीक्षक 667 दिनांक 9 9 2008
 9 श्री खुशी राम मण्डी निरीक्षक 667 दिनांक 9 9 2008
 10 श्री नरेन्द्र कुमार जिला प्रबन्धक 667 दिनांक 9 9 2008
 (11) दोषी कर्मचारियों को नियम 7, नियम 8 तथा नियम के सर्टिफाईड स्टैंडिंग ऑर्डर के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करना

निम्नलिखित निरीक्षण अधिकारियों को प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार नियम के गेहूँ खरीद के लिए आबंटित की गई मंडियों में निरीक्षण के लिए न जाने के कारण एवं विजिलेंस जाच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों व निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार हरियाणा सिविल सर्विसिज (दण्ड एवं अपील) नियम 1987 के नियम-8 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए -

- 1 श्री बी०आर० वधवा भूतपूर्व उपमहाप्रबन्धक ।
- 2 श्री मुकेश शर्मा महाप्रबन्धक (वित्त) ।
- 3 श्री एस०सी० ग्रोवर, भूतपूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।
- 4 श्री एम०एल० गर्ग भूतपूर्व लेखा अधिकारी ।
- 5 श्री कै०के० शर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।
- 6 श्री एस०सी० जैन, भूतपूर्व उपमहाप्रबन्धक जिला पलवल एवं सिरसा की मंडियों का निरीक्षण न करने के लिए एवं समय पर उपयुक्त मात्रा में पोलीकवर का इतजाम न करने के लिए नियम-7 के अधीन आरोप पत्र जारी कर दिया गया है ।

गेहूँ के पूर्ण स्टॉक के उठने के बाद प्राप्त हुई रिपोर्ट जिसमें फसल वर्ष, मण्डीवाईज व प्रत्येक मण्डी निरीक्षक द्वारा की गई वास्तविक हानि का विवरण था मिलने के पश्चात् निम्नलिखित मण्डी निरीक्षकों को आरोप पत्र जारी किए गए जिनका विवरण इस प्रकार से है

क्र स	मण्डी निरीक्षक/जिला प्रबन्धक का नाम	चार्जशीट न० व तिथि	कारण तथा राशि	वर्तमान स्थिति
1	श्री सतबीर सिंह मण्डी निरीक्षक पलवल ।	सख्या 5607 दिनांक 27 6 2007	फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान गेहूँ के मूल वजन मे कमी देने, निर्धारित मापदण्ड से कम गेन देने गेहूँ को सी० एव डी० श्रेणी मे बेचने के कारण हुई हानि खराब हुए गेहूँ को बेचने पर मिले कम मूल्य तथा असाधारण खर्चों के कारण निगम को रु० 3,16 30 441/- की राशि की हानि पहुचाने के लिए ।	दिनांक 30 6 2008 को जाच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है तथा जाच चल रही है । एक अन्य केस मे बारदाने की कमी पाई जाने के कारण निगम से इसकी सेवाए समाप्त कर दी गई है । इसके इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया गया है ।
2	श्री जसबीर सिंह मण्डी निरीक्षक धतौर मण्डी ।	सख्या 5249 दिनांक 21 6 2007	फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान गेहूँ के मूल वजन मे कमी देने निर्धारित मापदण्ड से कम गेन देने, गेहूँ को सी० एव डी० श्रेणी मे बेचने के कारण हुई हानि, खराब हुए गेहूँ को बेचने पर मिले कम मूल्य तथा अनियमित खर्चों के कारण निगम को रु० 30,87 915/- की राशि की हानि पहुचाने के लिए ।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारी को वास्तविक हानि के इलावा ब्याज सहित वसूली करने बारे व पाच वर्ष कं लिए इस कर्मचारी का ग्रेड रु० 4000 6000/- से रु० 2550 3200/ में करने के लिए सजा के आदेश पारित किए जा चुके है । इसके इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया गया है ।
3	श्री प्रहलाद सिंह मण्डी निरीक्षक, मिडकोला मण्डी ।	सख्या 18847 दिनांक 13 4 2008	फसल वष 2002-2003 के दौरान गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम को सी० एव डी० श्रेणी मे बेचने के	इस कर्मचारी ने चार्जशीट का जवाब नहीं दिया और विभागीय जाच करने के लिए कार्यालय के आदेश क्रमांक ईए 6-2009/

कारण हुई हानि, खराब हुए गेहूँ को प्राइवेट पार्टियों को फीड कटेगरी में बेचने पर मिले कम मूल्य तथा अनियमित खर्चों के कारण निगम को रु० 8,80,791/- की राशि की हानि पहुचाने के लिए।

4 श्री गेन्दा राम
मण्डी निरीक्षक
हसनपुर मण्डी।

सख्या 1079
दिनांक 13/4/2007

फसल वर्ष 2002-2003 में गेहूँ के स्टॉक को खराब करने निर्धारित मापदण्ड से कम गेन देने व मूल वजन में कमी देने के कारण निगम को राशि रु० 68,59,976/- की हानि पहुचाने के लिए।

19267-268 दिनांक 29/1-2009 के द्वारा जॉच अधिकारी नियुक्त कर दिया है और इसके इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया गया है। कमचारी के 30/6/2009 को सेवा निवृत्ती पर मिलने वाले लाभ की राशि रोक दी गई है।

दिनांक 17/4/2008 को जाच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें लगाए आरोप पूर्णतया सिद्ध नहीं थे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट से असहमत होते हुए कार्यालय द्वारा पत्र क्र० ईए-6-2009/21739 दिनांक 17/3/09 द्वारा इसकी निगम से सेवाएं हटाने तथा नुकसान की राशि को ब्याज @ CCL से वसूल करने बारे कारण बताओ नोटिस के साथ असहमति पत्र जारी किया जा चुका है। इसके इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया है।

5 श्री गेन्दा राम
मण्डी निरीक्षक
हसनपुर मण्डी।

सख्या 8944
दिनांक 31/7/2007

फसल वर्ष 2003/2004 के दौरान गेहूँ के स्टॉक को खराब करने के कारण मूल वजन में कमी देने, निर्धारित मात्रा से कम गेन देने के कारण निगम को राशि रु० 99,21,261/- की हानि पहुचाने के लिए।

जाच रिपोर्ट दिनांक 17/6/2008 को प्राप्त हुई थी जिसमें लगाए आरोप पूर्णतया सिद्ध नहीं थे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट से असहमत होते हुए कार्यालय द्वारा पत्र क्र० ईए-6-2009/21943 दिनांक 20/3/09 द्वारा इसे अनिवार्य सेवानिवृत्ती का तथा नुकसान की राशि को ब्याज @ CCL से वसूल करने बारे कारण बताओ नोटिस के साथ

क्र स	मण्डी निरीक्षक/जिला प्रबन्धक का नाम	चार्जशीट न० व दिनांक	कारण तथा राशि	वर्तमान स्थिति
6	श्री गेन्दा राम मण्डी निरीक्षक हसनपुर मण्डी ।	सख्या 18663 दिनांक 14 1 2008	फसल वर्ष 2004-2005 के दौरान 156 48 विचटल का कम गेन देने से निगम को राशि रु० 1,41,907/- की हानि पहुचाने के लिए ।	असहमति पत्र जारी किया जा चुका है । इसके इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया है । जाच रिपोर्ट दिनांक 15 7-2008 को प्राप्त हुई थी जिसमे लगाए आरोप पूर्णतया सिद्ध नहीं थे । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट से असहमत होते हुए कार्यालय द्वारा पत्र क्र० ईए 6 2009/22003 दिनांक 20 3 09 द्वारा इसका 1st HSS तुरन्त प्रभाव से वापस लेने तथा नुकसान की राशि को ब्याज @ CCL से वसूल करने बारे कारण बताओ नोटिस के साथ असहमति पत्र जारी किया जा चुका है । इसके इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया है ।
7	श्री राज कुमार, मण्डी निरीक्षक पलवल/मिडकोला मण्डी ।	सख्या 18969 दिनांक 17 1 2008	फसल वर्ष 2003-2004 तथा 2004 05 के दौरान गेहूँ के स्टोक को खराब करने एव अनियमित खर्चों के कारण निगम को रु० 11 68 818/ की हानि पहुचाने के लिए ।	जाच रिपोर्ट दिनांक 10 9 2008 को प्राप्त हुई थी जिसमे लगाए आरोप पूर्णतया सिद्ध नहीं थे । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट से असहमत होते हुए कार्यालय द्वारा पत्र क्र० ईए 6 2009/21623 दिनांक 16 3 09 द्वारा निगम से इसकी सेवाए समाप्त करने तथा नुकसान की राशि को ब्याज @ CCL से वसूल करने बारे कारण बताओ नोटिस के साथ

8 श्री हवा सिंह राठी
मण्डी निरीक्षक
पलवल ।

सख्या 8313-15
दिनांक 22 9 2006

गेहूँ के स्टॉक को खराब करने,
निर्धारित मापदण्ड से कम गेन देने,
खराब गेहूँ को बेचने पर कम कीमत
प्राप्त होने के कारण हुई हानि एवं
असाधारण खर्चों के कारण निगम
को रु० 36 08 402/- की हानि
पहुचाने के लिए ।

9 श्री एम०एल० गर्ग,
तत्कालीन जिला
प्रबन्धक पलवल ।

सख्या 22738
दिनांक 20 3 2008

वर्ष 2004 2005 में खरीदे गए
गेहूँ जोकि फिरोजपुर सीधे, पलवल
पर रखा गया था के ठीक से रख-
रखाव न करने, स्टॉफ के बीच ठीक
तालमेल न रखने व कोताही बरतने
के लिए ।

असहमति पत्र जारी किया जा चुका है । इसके
इलावा रिकवरी सूट भी दायर कर दिया है ।

जाच के दौरान आरोप आंशिक तौर पर सिद्ध
हुए । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जॉब रिपोर्ट से
असहमत होते हुए कार्यालय द्वारा दिनांक
17 4 2008 को कारण बताओ नोटिस के
साथ असहमति पत्र जिसमें निगम को हुई
हानि की भरपाई ब्याज सहित करने तथा दो
वार्षिक वेतन वृद्धि सचयी तौर पर बढ़ करने
बारे जारी किया गया । इसके इलावा रिकवरी
सूट भी दायर कर दिया है ।

41

श्री गर्ग जानबूझ कर चार्जशीट के जवाब को
टालता रहा और इसके विरुद्ध कार्यालय के
आदेश दिनांक 23 1 2009 द्वारा नियमित
विभागीय जॉब के आदेश जारी कर दिये गये
है । खरीफ फसल वर्ष 2003-2004 के
पलवल मण्डी के एक अन्य केस में बाजरे की
शीफ्टिंग में श्री गर्ग द्वारा निगम को रु०
4 33 362/- की हानि पहुचाई गई जिसके
फलस्वरूप कार्यालय आदेश दिनांक 20 5 09
द्वारा निगम से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी
गई है ।

क्र स	मण्डी निरीक्षक/जिला प्रबन्धक का नाम	चार्जशीट नं० व दिनांक	कारण तथा राशि	वर्तमान स्थिति
10	श्री राजबीर सिंह मण्डी निरीक्षक, होडल मण्डी।	सख्या 18982 दिनांक 21.1.2009	फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान रु० 560,54 950/- की निगम को हानि पहुचाने के लिए।	जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब देने के लिए स्मरण पत्र जारी किया गया है तथा इसके खिलाफ रिकवरी सूट दायर कर दिया है।
11	श्री मदन लाल, मण्डी निरीक्षक, होडल मण्डी।	सख्या 18983 दिनांक 21.1.2009	फसल वर्ष 2003-2004 के दौरान निगम को रु० 560 54,950/- की हानि पहुचाने के लिए।	जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब देने के लिए स्मरण-पत्र जारी किया गया है तथा इसके खिलाफ रिकवरी सूट दायर कर दिया है।
12	श्री पी०सी० गोयल जिला प्रबन्धक पलवल।	सख्या 18990 दिनांक 21.1.2009	फसल वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान निगम को रु० 10,60 987/ की हानि पहुचाने के लिए।	जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब देने के लिए स्मरण पत्र जारी किया गया है तथा इसके खिलाफ रिकवरी सूट दायर कर दिया है।
13	श्री खरैती लाल मण्डी निरीक्षक सिरसा मण्डी।	सख्या 18989 दिनांक 21.1.2009	फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान निगम को रु० 67 96 209/ की हानि पहुचाने के लिए।	जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब देने के लिए स्मरण पत्र जारी किया गया है तथा इसके खिलाफ रिकवरी सूट दायर कर दिया है।
14	श्री खुशी राम, मण्डी निरीक्षक, सिरसा मण्डी।	सख्या 18984 दिनांक 21.1.2009	फसल वर्ष 2003-2004 के दौरान निगम को रु० 2,23,80 914/ की हानि पहुचाने के लिए।	जवाब प्राप्त हुआ परन्तु असतोषजनक होने पर नियमित विभागीय गौच प्रारम्भ कर दी है। इसके खिलाफ रिकवरी सूट दायर कर दिया है।
15	श्री नरेन्द्र कुमार जिला प्रबन्धक पलवल।	सख्या 19033 दिनांक 22.1.2009	खरीद वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान रु० 7 90,994/- की हानि पहुचाने के लिए।	जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब देने के लिए स्मरण-पत्र जारी किया गया है जिसमे एक तरफा कार्यवाही बारे भी लिखा गया है तथा इसके खिलाफ रिकवरी सूट दायर कर दिया है।

निगम में अधिकारियों की कमी होने तथा अधिकतर अधिकारी चार्जशीटड एवम् विजिलैस इन्व्वायरी में सलित पाए जाने के कारण उन्हें जॉच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता। निगम ने अपने पत्र क्रमांक ईए-7 09/20261 20262 दिनांक 17 2 2009 द्वारा सरकार से अनुरोध किया है कि रिटायर्ड/एच सी एस आई ए एस अधिकारियों को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि लम्बित इन्व्वायरीयो का शीघ्र निपटान किया जा सके।

(iii) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रिकवरी सूट दायर करना।

विजिलैस जॉच रिपोर्ट का परीक्षण करने तथा सारे गेहूँ के स्टॉक के उठान के बाद एवम् इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 8 6 2007 के आधार पर निम्नलिखित राशि प्रत्येक कर्मचारी से गेहूँ के मूल वजन में कमी देने निर्धारित मापदण्ड से कम गेन देने गेहूँ को सी० एवम् डी० श्रेणी में बेचने के कारण हुई हानि खराब हुए गेहूँ को बेचने पर मिले कम मूल्य तथा आसाधारण खर्चों के कारण लेनी पाई गई है।

क्र०सं०	दोषी कर्मचारी का नाम	राशि (रु०)
1	श्री राजबीर सिंह मण्डी निरीक्षक, होडल मण्डी।	5 60 54 950/-
2	श्री सतबीर सिंह, मण्डी निरीक्षक पलवल मण्डी।	3,16 30 441/-
3	श्री गेन्दा राम, मण्डी निरीक्षक हसनपुर मण्डी।	68 59 976/-
4	श्री गेन्दा राम मण्डी निरीक्षक हसनपुर मण्डी।	99 61,261/-
5	श्री गेन्दा राम मण्डी निरीक्षक हसनपुर मण्डी।	1 41,907/-
6	श्री जसबीर सिंह मण्डी निरीक्षक, धतीर मण्डी।	30 87,915/-
7	श्री मदन लाल मण्डी निरीक्षक होडल मण्डी।	11 10 96 530/-
8	श्री राज कुमार मण्डी निरीक्षक पलवल/मिडकोला मण्डी।	11 68 818/-

क्र०सं०	दोषी कर्मचारी का नाम	राशि (रु०)
9	श्री प्रहलाद सिंह मण्डी निरीक्षक मिडकोला मण्डी।	8 80,791/-
10	श्री हवा सिंह राठी, मण्डी निरीक्षक पलवल मण्डी।	36 08,402/-
11	श्री पी०सी० गोयल, जिला प्रबन्धक पलवल।	10 60,787/-
12	श्री खरैती लाल मण्डी निरीक्षक सिरसा मण्डी।	67 96,209/-
13	श्री खुशी राम, मण्डी निरीक्षक सिरसा मण्डी।	2,23,80 914/-
14	श्री नरेन्द्र कुमार, जिला प्रबन्धक, सिरसा।	7,90,994/-
		जोड़ 25,54,79,895/-

तदनुसार उपरोक्त वर्णित दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पलवल व सिरसा के सक्षम न्यायालयों में नुकसान की राशि को ब्याज @ CCL सहित वसूली बारे रिकवरी सूट जिला प्रबन्धक के माध्यम से दायर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निगम ने निम्नलिखित सेवानिवृत्त/निकाले गए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ती लाभ की राशि जो लगभग रु० 17 00 लाख बनती है वसूली के एवज में रोकी हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	रोकी गयी राशि (लगभग)
1	श्री एस०सी० जैन	सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक	रु० 6 00 लाख
2	श्री खरैती लाल	सेवानिवृत्त स्टोरकीपर (MI cum SK)	रु० 4 00 लाख
3	श्री सतबीर सिंह	भूतपूर्व मकैनिक (MI cum SK)	रु० 3 00 लाख

4 श्री प्रहलाद सिंह सेवानिवृत्त सेल्फमैन रु० 4 00 लाख
(MI cum SK)

जोड़ रु० 17 00 लाख

चौकसी विभाग द्वारा उनकी जॉब रिपोर्ट में की गई सिफारिशों एवं निदेशक मण्डल के निर्णय अनुसार निर्धारित कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। किसी भी दोषी कर्मचारी को बख्शा नहीं गया है। उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा जारी है। यह एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार/हरियाणा विधान सभा को माननीय कृषि मन्त्री महोदय द्वारा हरियाणा विधान सभा में तारांकित प्रश्न न० 679 पर दिये गए आश्वासन के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

(22-1-10)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
CO-OPERATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

19 शूगर मिलो की मशीनरीज की टरीद मे दिये गये कमीशन के बारे मे श्री धीर पाल सिंह द्वारा दिये गये वैयक्तिक स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे—मे फिर आपर करता हूँ कि हमारे समय मे जो तीन शूगर मिल लगी थी उनकी मुख्य मंत्री इन्क्वायरी करा ले और जो भी दोषी हो उनको मजा दी जाए। मे खुले मन से एक बार फिर आपर देता हूँ।

1-9-93

अध्यक्ष महोदय * * * मेरा इतना कहना है कि यह बड़ा ही सनसनी खेज मामला हाउस क सामने आया है जैसा कि धीर पाल जी ने कहा है कि इसकी जाच होनी चाहिए। मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत सीनियर आफसरों की एक कमेटी बनाकर तीनों चीनी मिलों के इस मामले की जाच कराएंगे और अगले सेशन से पहले उनकी रिपोर्ट आ जाएगी।

राज्य सरकार ने इस मामले की जाच निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो से करवाई। राज्य चौकसी ब्यूरो ने क्र० 3 दिनांक 27 1 1988 के तहत जाच करके पत्र क्र० दिनांक 11 6 2002 द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। चौकसी विभाग ने सूचित किया है कि जो प्लान्ट सहकारी चीनी मिल ख भूना महम मे नेशनल हैवी इजि०को० लि० पुणे तथा कैथल मे रिचर्डसन एव कूडास (1972) मुम्बई द्वारा लगाये गये है के बारे मे मिल द्वारा आबीट्रेशन का केस रजिस्टार सहकारी समितिया की कोर्ट मे तथा सिविल न्यायालय मे डाला हुआ है। इस स्थिति मे किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नही उहलाई जा सकती। मिलों के प्लान्ट मे मशीनरी लगाये जाने मे फर्म ने पूरी लापरवाही दिखाई है जिससे पूर्णतया दोष फर्म का बनता है तथा महम मिल ने फर्म के विरुद्ध सिविल न्यायालय मे

कमेटी इस विषय मे केस की नवीतम स्थिति बारे जानना चाहती है।

(22-12-2009)

प्रत्येक मिल अनुसार वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है -

48

आर्बीट्रिटर नियुक्त करने का केस फाइल कर रखा है।

इन्क्वायरी रिपोर्ट के आधार पर वित्तायुक्त एव प्रधान सचिव हरियाणा सरकार सहकारिता विभाग ने पत्र क्र० 2252-सी-5-2002/12737 दिनांक 26 6 2002 जो कि रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा चन्डीगढ को प्रेषित है तथा इसकी प्रति इस कार्यालय को भी भेजी गई है-लिखा है कि इस केस का निपटारा तुरन्त करे ताकि जो घाटा मिलो को हुआ है उसकी रिकवरी इस फर्म से की जा सके।

कैथल चीनी मिल

कैथल मिल ने अपने पत्र क्र० दिनांक 7 9 2006 द्वारा सूचित किया है कि प्लान्ट एव मशीनरी सप्लायर मै० आर एण्ड सी मुम्बई के विरुद्ध सन् 1994 में आर्बीट्रेशन केस रजिस्ट्रार सहकारी समितिया के कोर्ट में डाला हुआ है तथा मिल की तरफ से सभी डाक्युमेन्ट्स पूर्ण कर लिए गए हैं लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने कुछ डाक्युमेन्ट्स फाईल करने की इजाजत

आर्बीट्रेशन केस की सुनवाई 12 10 08 को हुई थी। जिसमें आर्बीट्रिटर द्वारा उठाए गए पहले मुद्दों पर जवाब देने के लिए यदि कोई है दोनों पक्षों को एक और मौका दिया गया। इस

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

माग रखी है। मै० आर एण्ड सी के काउन्सील तथा को-ऑर्डिटर से लेन-देन का झगडा है इसलिये आर्बिट्रिटर की कार्यवाही रुकी हुई है। इस केस को पुन सुनवाई से लिए मिल ने माननीय रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, हरियाणा की कोर्ट मे केस फाईल कर रखा है। इसकी सुनवाई 6 7 2007 को हुई थी। अगली सुनवाई की तारीख दिनांक 28 2 2008 को निश्चित हुई है।

महम चीनी मिल

महम चीनी मिल ने अपने पत्र दिनांक 8 11 2007 के तहत सूचित किया है कि उक्त फर्म नेशनल हैवी इजि०को०लि० पूणे के खिलाफ जो केस कोर्ट मे डाला हुआ है उनमे एक केस परफार्मेंस गारन्टी को इनबोक करने के लिये है। माननीय रोहतक कोर्ट ने मिल के हक मे 25 लाख रुपये देने का निर्णय सुनाया है। निर्णय की कापी सुरक्षित है।

जैसे कि मिल ने अपने पत्र दिनांक 21 8 08 द्वारा सूचित किया है कि केस की सुनवाई 2 2 08 को हुई थी और अब आर्बिट्रिटर नियुक्त करने के लिए मामला माननीय

इस तरह मिल को मै० एन एच ए सी
पूणे द्वारा उक्त राशि का भुगतान करना
है। इस फैसले के विरुद्ध मै०
एन एच ए सी पूणे ने सेसन कोर्ट,
रोहतक की अदालत में अपील दायर की
हुई है जिसकी सुनवाई दिनांक
22 1 2008 को निश्चित हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय में
लंबित है। अब
माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा मामले
का निपटारा करने हेतु
दिनांक 14 7 2008
को आदेश पारित कर
आदेशों में दो
आर्बिट्रटर एक महम
मिल की तरफ से
तथा दूसरा मैसर्स
नेशनल हैवी इंजि०
को आपरेटिव की

51

तरफ से नियुक्त
करने पर अपनी
सहमति प्रकट की है
ताकि मामले का
निपटारा किया जा
सके। जैसाकि महम
मिल द्वारा नियुक्त
वकील श्री के०आर०
चावला द्वारा सूचित
किया गया है (फैसले
की प्रति अनुबन्ध क
पर रखी है)। मै०

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

नेशनल हैवी इजि०
को० लि० ने जिला
न्यायालय रोहतक मे
अपील दायर की है
जिसमे उसने सभी
मामलो मे माननीय
उच्चतम न्यायालय ने
आदेशो की गलत
व्याख्या की है और 52
जिला न्यायालय
रोहतक को प्रार्थना
की है कि बैंक गारंटी
के केस भी आर्बिट्रर
के पास भेजे जाए।
जिसका मिल ने
पूरजोर विरोध किया
और श्री आर०के०
चावला एडवोकेट से
कानूनी सलाह भी
मागी जोकि मिल की
तरफ से माननीय

उच्चतम न्यायालय में
पेश हुए थे।
एडवोकेट द्वारा दी
गई सलाह के
अनुसार बैंक गारंटी
का केस आर्बीट्रिटर के
पास भेजने के आदेश
पारित नहीं किए गए
जोकि कोर्ट के सामने
प्रस्तुत किए गए।
मिल ने दोनों
आर्बीट्रिटो को
दिनांक 15 6 09 53
20 7 09, 13 8 09
तथा 8 9 09 पत्रों
द्वारा लंबित मामले
को सुलझाने हेतु
बैठक के लिए
निर्धारित तिथि समय
एव स्थान के लिए
प्रार्थना की लेकिन
बैठक नहीं हो सकी।

दूसरा केस आर्बीट्रिटर नियुक्त
इस केस की सुनवाई
करने के लिए सिविल कोर्ट में गला हुआ
29 9 08 के लिए

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

था जिसमें दिनांक 20 4 05 को निर्णय
 दिया कि यह मामला 25 लाख रुपये से
 अधिक है। अतः माननीय पंजाब एवं
 हरियाणा उच्च न्यायालय ही इस केस में
 आर्बिट्रेटर नियुक्त करेगा। महम भिल द्वारा
 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च
 न्यायालय में केस दायर किया गया।
 माननीय कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक
 23 3 2007 को श्री अमरजीत चौधरी
 सेवानिवृत्त जज को आर्बिट्रेटर नियुक्त
 किया तथा दिनांक 28 4 2007 को पेशी
 के लिये बुलाया तथा मिल पेशी में शामिल
 हुआ। मै० एन एच ए सी पूणे ने माननीय
 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का
 कार्यवाही के खिलाफ माननीय सुप्रीम
 कोर्ट में टाईमबार की प्ली लेते हुये स्टे
 का केस दायर किया। मिल ने श्री आर
 के चावला एण्ड क० दिल्ली को अपना
 वकील नियुक्त किया है। इसका सुनवाई
 11 10 07 को हुई लेकिन अगले सुनवाई
 की तारीख अभी तक निश्चित नहीं हो

54

पाई है।

अभी आना बाकी है। फैसले की प्रति प्राप्त होने पर तदानुसार आगामी कार्यवाही कर ली जाएगी।

भूना चीनी मिल

भूना चीनी मिल ने अपन पत्र दिनांक 11 12 2003 द्वारा सूचित किया है कि केस आर्बिट्रेशन के लिये रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा के पास दिनांक 11 4 2001 को सुनवाई हुई। रजिस्ट्रार महोदय द्वारा आग इस केस की सुनवाई करनी है।

भूना सहकारी चीनी मिल न अपने पत्र दिनांक 13 8 08 के अन्तर्गत सूचित किया है कि मिल दिनांक 18 7 06 से परि समापन में चली गई है और इसको निजी उद्यमकर्ता को बेच दिया गया है। दिनांक 16 11 06 को इसका स्वामित्व खरीददार को सौंप दिया गया है। एन एच ई सी के विरुद्ध 4575875 रुपये की राशि बकाया है।

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

आर्बीट्रेशन का केस रजिस्ट्रार सहकारी समितिया की कोर्ट में लंबित है। मिल ने रजिस्ट्रार सहकारी समितिया को पत्र दिनांक 14 2009 द्वारा अतिशीघ्र आगामी तिथि 56 निश्चित करने व केस का निपटारा करने की प्रार्थना की है। शूगर मिल ने स्मरण पत्र क्रमांक 224 दिनांक 13 11 2009 द्वारा पुन रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा पंचकूला को अतिशीघ्र केस की तिथि निश्चित करने व निपटारा

करने की प्रार्थना की गई है।
(22-2-09)

20 श्री जय सिंह राणा एम० एल० ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1000 —
क्या सहकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 1996-97 से 1999-2000 (आज तक) के दौरान राज्य में किन्हा सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों ने उपकरणों इत्यादि की खरीद से संबंधित कोई अनियमितताएँ की हैं यदि हाँ तो दोषी पाये गये चूककर्ता प्रबंध निदेशकों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई तो क्या ?

15-11-99

x x x श्री एम०एल० कौशिक के विरुद्ध जब वह शाहबाद तथा कैथल सहकारी चीनी मिलों के प्रबन्ध निदेशक थे दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में मशीनों एवं कल पुर्जों की खरीद में की गई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। शाहबाद चीनी मिल से संबंधित शिकायत की जाच अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ से करवाई गई थी और जाच में उनके विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोप सिद्ध हुए थे। इस जाच रिपोर्ट के आधार पर इस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं दी हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984 की धारा 101 के अन्तर्गत सरचार्ज की कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य शिकायत जो सहकारी चीनी मिल कैथल से संबंधित है का प्रबन्ध निदेशक शुगर-फैड हरियाणा को टिप्पणी हेतु भेजा गया है जिन्की टिप्पणी अपेक्षित है।

23 7 2004 द्वारा श्री एल एस एम सलिनस आई ए एस, वित्तियुक्त एवं सचिव आबकारी एवं कराधान विभाग को जाच अधिकारी नियुक्त किया था इसलिए इस मामले में आगामी कार्यवाही सरकार के स्तर पर की जानी है।

मिल के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही मिल द्वारा की जा रही है। मिल से दोषी अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका जवाब प्राप्त हो गया है। तथा सम्बन्धित अधिकारियों के जवाब को मिल के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 28 3 2001 के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। विचारोपरान्त जवाब असन्तोषजनक पाया गया था। निदेशक मण्डल ने सम्बन्धित अधिकारियों को चार्जशीट करने का निर्णय लिया। निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार मिल ने दोषी अधिकारियों को चार्जशीट

57

इस विषय से सम्बन्धित केस की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है -

श्री एम०एल० कौशिक, एच सी एस तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल शाहबाद के विरुद्ध

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

x x x श्री कौशिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए दिनांक 18-5-99 को मुख्य सचिव को लिखा जा चुका है तथा कार्यवाही चल रही है। चीनी मिल प्रसंग द्वारा उनके विरुद्ध सरचार्ज की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सहकारी चीनी मिल शाहबाद को निर्देश दिए गए हैं।

x x x श्री जे०पी० कौशिक एच० सी०एस० के विरुद्ध जब वह प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल शाहबाद, पलवल तथा जौंद मे कार्यरत थे, दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों शिकायतों में उनके विरुद्ध कल पूजें खरीदने शीरा तथा चीनी को कम दामों में बेचने संबंधित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ये दोनों शिकायतें प्रबन्ध निदेशक शुगरफैड का टिप्पणी हेतु प्रेषित की गई हैं।

x x x श्री आर०पी० भारद्वाज एच०सी०एस० के विरुद्ध जब वह प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल पानीपत में कार्यरत थे के विरुद्ध मिल में

कर दिया है तथा उनसे चार्जशीट के जवाब भी प्राप्त हो गये हैं।

अनुशासनिक कार्य वाही से सम्बन्धित केस आदेश क्रमांक 40/26/99 4 एस (1) दिनांक 16 1 2006 द्वारा द्रूप कर दिया गया है, जोकि विभाग में दिनांक 17 2008 को प्राप्त हुआ है। जहा तक हरियाणा सहकारी समितिया अधिनियम 1984 के सैक्शन 101 के तहत सरचार्ज प्रीसिडिंग का सम्बन्ध है रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा ने उनके आदेश विनाक 13 1 2009 द्वारा अधिकारी को

शराब बनाने हेतु परमैनेशन टैक को बनवाने में की गई अनियमितताओं से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत प्रबन्ध निदेशक शुगरफैड हरियाणा को जाच एव रिपोर्ट हेतु प्रेषित की गई है।

सरचार्ज प्रोसिडिंग से माफ कर दिया है।

शाहबाद चीनी मिल से प्राप्त पत्र क्रमांक 190 दिनांक 10 4 2009 में दी गई सूचना के अनुसार मुख्य अभियंता, क्रय अधिकारी, ग्राम कल्याण अधिकारी (तत्कालीन चीनी बिक्री प्रबन्धक) एवं 5

दोषी अधिकारियों से प्राप्त जवाब को निदेशक मण्डल के सम्मुख दिनांक 18 9 2001 को हुई बैठक में रखा गया था। निदेशक मण्डल ने श्री आर के मलिक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया कुरुक्षेत्र को जाच अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया। निर्णय अनुसार श्री आर के मलिक, उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितिया कुरुक्षेत्र को जाच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, कुरुक्षेत्र ने श्री राकेश कुमार मुख्य अभियंता (जोकि नौकरी छोड़कर जा चुका है) श्री सी एस शर्मा क्रय अधिकारी के विरुद्ध जाच पूर्ण कर ली है। मुख्य अभियंता के विरुद्ध की गई जाच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जबकि क्रय अधिकारी और श्री आर डी अग्रवाल गन्ना लेखाकार (तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी) से सम्बन्धित जाच रिपोर्ट उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितिया कुरुक्षेत्र से आनी बाकी है। जाच रिपोर्ट

गन्ना लेखाकार को आरोप पत्र जारी किये गये थे और प्रशासक मंडल के निर्णय अनुसार उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, कुरुक्षेत्र को जाच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जाच रिपोर्ट को दिनांक 13 12 08 को प्रशासक मंडल के

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

आने के उपरान्त मामला मिल के निदेशक मण्डल के सम्मुख उचित निर्णय हेतु रखा जाएगा। श्री रणधीर सिंह (तत्कालीन चीनी बिक्री प्रबन्धक) के विरुद्ध विभागीय जाच चल रही है तथा श्री रणधीर सिंह के विरुद्ध मैनेजमेंट की गवाही हो चुकी है।

सम्मुख रखा गया था। प्रशासक मंडल ने पाया कि जाच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत कारण/औचित्य नहीं दिया अतः प्रशासक मंडल जाच रिपोर्ट से सहमत नहीं था। ७७

प्रशासक मंडल ने निर्णय लिया कि इन चारो अधिकारियों के विरुद्ध जाच को तकनीकी सलाहकार (इजि०) से करवाने के लिये प्रबन्ध निदेशक, शुगरफैड को लिखा जाये। यह मामला शुगरफैड को भेजा गया। शुगरफैड ने मिल को यह जाच

श्री लाजवीर सिंह
 सेवानिवृत्त, एच सी
 एस अधिकारी से
 करवाने के लिये
 लिखा है। प्रबन्ध
 निदेशक शाहबाद
 चीनी मिल ने अपने
 पत्र क्रमांक एस एम
 एस - 09/स्था/4429
 दिनांक 23 10 09 द्वारा
 जाच अधिकारी का
 नाम स्वीकृत करने के
 लिए लिखा था।
 हरियाणा शुगरफैड ने
 अपने पत्र क्रमांक
 एस एम एफ - 09/
 स्था/5164 दिनांक
 17 11 09 द्वारा इस
 सबब मे शाहबाद
 चीनी मिल को अपने
 स्तर पर निर्णय लेने
 के लिए लिखा था।
 अब शाहबाद चीनी
 मिल ने अपने पत्र

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वामन	सरकार द्वारा का गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

क्रमांक एम एम एस
-09/स्था/5377
दिनांक 16 12 09
द्वारा सूचित किया है
कि जाच अधिकारी
की नियुक्ति से
संबंधित मामला
निदेशक मंडल की
आगामी बैठक में
स्वीकृति के लिए रखा
जाएगा।

रजिस्ट्रार सहकारी समिति या हरियाणा ने
पत्र दिनांक 5 3 99 के साथ दो बेनामी
शिकायतें श्री एम एल कौशिक प्रबंध
निदेशक, चीनी मिल कैथल के विरुद्ध
इस कार्यालय को भेजी थी तथा चारा
गया था कि शिकायतों की जाच करके
रिपोर्ट ठन्ठ भेजी जाए। इन शिकायतों
की जाच गन्ना सलाहकार शुगरफैड द्वारा
की गई। गन्ना सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जाच
रिपोर्ट रजिस्ट्रार सहकारी समिति या

हरियाणा को शुगरफैड के पत्र दिनांक 26 10 1999 द्वारा इस प्रार्थना के साथ भेजी गई कि रजिस्ट्रार कार्यालय इस रिपोर्ट पर अपनी कार्यवाही करके सरकार को प्रस्तुत करे। रजिस्ट्रार कार्यालय ने पत्र दिनांक 25 4 2000 द्वारा सरकार को भेज दी थी।

जब रिपोर्ट में यह पाया गया कि ऑटो इम्बीशन सिस्टम ठीक ढग पे कार्य नहीं कर रहा था। मिल द्वारा सूचित किया गया ६ सप्लायर की 74275 रुपये को पैमेंट रोक ली गई थी। जब सप्लायर ने यह मशीन ठीक नहीं की तो मिल ने यह कार्य किसी अन्य सप्लायर से 72000 रुपये दकर करवाया तथा यह राशि सप्लायर की बकाया पैमेंट में से काट ली गई। मिल की रिपोर्ट अनुसार यह मशीन अब ठीक कार्य कर रही है। रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा को भी शुगरफैड के पत्र दिनांक 4 8 2003 द्वारा सूचित कर दिया गया।

सरकार के आदेशानुसार इस मामले की विस्तृत जाच की गई और रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई। सरकार ने पत्र क्रमांक

अब इसमें कोई भी कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

31-सी-2005/3807 दिनांक 6 4 2005 द्वारा सूचित किया कि विचारोपरान्त मामला/कस फाइल कर दिया गया है।

शुगरफैड कार्यालय ने पानीपत शहर मिला मे शराब बनाा हेतु फरमैनेशन टैक बनाने मे की गई अनियमितताआ की जाच हेतु तकनीकी सलाहकार (इजीनियरिंग) को जाच अधिकारी नियुक्त किया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही की जानी थी तथा साथ मे हरियाणा सहकारी समितिया अधिनियम 1984 की धारा 101 के अनुसार श्री आर पी भारद्वाज व अन्यो के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी थी। इसलिए श्री आर पी भारद्वाज, एच सी एस तथा श्री एस पी त्यागी मुख्य लेखाधिकारी के विरुद्ध जाच रिपोर्ट ड्राफ्ट चार्जशीट के साथ राज्य सरकार के सहकारिता विभाग को पत्र दिनांक 11 11 99 द्वारा भेज दी थी। यह भी सूचित

किया था कि सहायक रजिस्ट्रार शुगर मिल शाखा 1 रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा को शुगरफैड द्वारा निर्देश दिया गया कि वे सहकारी समितिया हरियाणा अधिनियम की धारा 101 के तहत सरचार्ज की कारवाई प्रारम्भ कर दें। रजिस्ट्रार सहकारी समितिया हरियाणा ने अपने पत्र दिनांक 11 12 99 द्वारा आर एस सलूजा तकनीकी सलाहकार इजिनियरिंग को सरचार्ज की कार्यवाही हेतु जाच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तथा रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित दोषियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। केवल श्री आर पी भारद्वाज एच सी एस को छोड़कर सभी सम्बन्धित दोषियों से जवाब प्राप्त हो चुका है तथा जिसकी समीक्षा की जा रही है।

जाच अधिकारी ने सूचित किया है कि श्री आर पी भारद्वाज आर्डर वैल्यू के अनुसार सामान न आने के कारण सीधे तौर पर वित्तीय हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। रिपोर्ट अनुसार श्री आर पी भारद्वाज के विरुद्ध धारा 101(2) के

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अन्तर्गत सरचार्ज कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मिल का प्रबन्ध निदेशक होने के नाते निरीक्षण की कमी के बिम्बेवार है। इस सम्बन्ध में सरकार को पत्र क्रमांक एस एम एफ - 2005 / स्थापना / 7381 दिनांक 17 11 2005 द्वारा सूचित कर दिया गया था। उसके उपरान्त सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगने पर पत्र क्रमांक एस एम एफ - 2005/स्थापना/2772 दिनांक 14 7 2006 के द्वारा ये सूचित किया गया था कि श्री आर पी भारद्वाज के निरीक्षण की कमी के कारण वित्तीय हानि नहीं उठनी पड़ी। इसके उपरान्त सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 5286-सी-5-2006/1425 दिनांक 7 2 2007 व पत्र क्रमांक 17-सी-5-2007/9163 दिनांक 26 4 2007 द्वारा कुछ और सूचना मांगी गई थी जोकि शुगरफैड के पत्र क्रमांक एस एम एफ - 2007/स्थापना/9772 दिनांक 20 2 2007 व पत्र क्रमांक

एस एम एफ -2007/स्थापना/3936
दिनांक 24 7 2007 द्वारा सरकार का भेज
दी गई थी। इस केस में विशेष सचिव
हरियाणा सरकार प्रसनल विभाग ने 26
10 09 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें
प्रबन्ध निदेशक चीनी प्रसव ने भाग
लिया था। बैठक के दौरान कुछ
अतिरिक्त सूचना चाही गई थी जिन पर
कार्यवाही की जा रही है।

(22 12 09)

6-3-2002

21 तारांकित प्रश्न 972 के सदर्भ में श्री नरेंद्र
सिंह राठी द्वारा पूछा अनुपूरक प्रश्न —
“अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी
से जानना चाहता हूँ कि क्या यह ठीक है
कि किसी प्राईवेट एजेंसी के पास हरियाणा
सरकार के दो करोड़ रुपये जमा हुए और
हरियाणा सरकार को उसका आर्थिक
नुकसान हुआ ? मैं मंत्री महोदय से यह
भी जानना चाहूंगा कि क्या उस एजेंसी
के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और
क्या सरकार इस राशी को ब्याज समेत
वसूल करेगी ?”

स्पीकर सर यह ठीक है कि यह राशी मई-
जून 1991 में दो करोड़ रुपये की दी गई थी और
आवासीय वित्त निगम ने इसका निवेश किया था।
यह राशि बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत जमा की
गई थी क्योंकि इस एक्ट के तहत बैंक डिपोजिट
राशि का 25 प्रतिशत किसी मायता प्राप्त ट्रस्ट
द्वारा प्रतिभूति में जमा करवाना अनिवार्य होता है।
इस राशि को वसूल करने के बारे में हर सभ्य
प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में दीवानी
मुकदमा चलाया जा रहा है और इस जैसे को
वसूल कर लिया जाएगा। क्योंकि पैसा डिपोजिट
करवाने से संबंधित अधिकारी की डैथ हो चुकी
है। अब दलाल फर्मों के विरुद्ध दीवानी मुकदमा
चल रहा है इसका जो भी निर्णय होगा वह सामने
आ जाएगा।

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(22 12 09)

The Civil case is pending in the
Court of Ld Civil Judge,
Chandigarh Ms Parmjit Laur
and next date of hearing is fixed
for 21 12 2009

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	
22	श्री अमीर चन्द मक्कड द्वारा पूछे गए अतारकित प्रश्न सं० 11 के उत्तर में — (क) क्या हासी में गांव ढाणा रामपुरा में महाराजा फरीदकोट से संबंधित भूमि के आबटन के सबध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथा (ख) यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?	10-3-1992	(क) ग्राम ढाणा रामपुरा में भूतपूर्व महाराजा फरीदकोट की भूमि से संबंधित केवल एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है * * * * इस बारे उल्लेख है। (ख) ऊपर खड (क) में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सरप्लस भूमि का अलॉटियो को मौक पर कब्जा दिलाते समय किसी प्रकार की हिंसा की सभावना को रोकने के लिए और मामले को स्थाई ढंग से निपटाने हेतु सभी संबंधित पक्ष एवं पार्टियों को विश्वास में लेकर सभी उचित कदम उठाये जाएंगे।	गांव ढाणा रामपुरा में महाराजा फरीदकोट से संबंधित सरपलस भूमि बारे राजा हरिन्द्र सिंह के वारसान ने पजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में CWP No 2994 of 1991 दायर की हुई है। जिसमें माननीय न्यायालय ने इसके निर्णय तक वदी आदेश परति किए हुए है। इसलिए केस में निर्णय होने तक उक्त सरपलस भूमि का आबटन नहीं किया जा सकता। यह केस विनाक 29 01 2009 को बहुत हेतु लगा था। परन्तु केस की सुनवाई बारे अगली तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है। केस के निर्णय उपरांत सरपलस भूमि के आबटन बारे कार्यवाही की जाएगी। 28 4 09	The Committee would like to know the latest position in this regard (12 5 2009)
23	श्री निशान सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1039 — क्या नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या दोहाना में	19-3-2002	लघु सचिवालय केवल जिला मुख्यालयों पर ही निर्मित किए जाते है फिर भी दोहाना में प्रशासकीय/यायिक परिसर निर्मित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।	लघु सचिवालय/न्यायिक परिसर दोहाना के निर्माण के हेतु 12 एकड़ 2 कनाल 17 मरले भूमि अभिगहन करने हेतु भू अभिग्राहण अधिनियम	The Committee would like to know the latest position in this regard (1 10-07)

लघु सचिवालय के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

24

श्री भूपेन्द्र चौधरी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 470 क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या पटौदी व फरुखनगर की उप-मण्डल के रूप में घोषणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

24 3 2006

नहीं श्रीमान जी, फरुखनगर को उपमण्डल बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। जहाँ तक पटौदी को उप मण्डल बनाने का संबंध है प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

1894 के अधीन धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 1 10 2007 तथा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 1 10 2008 को जारी की जा चुकी है तथा धारा 7 का आदेश जारी करने हेतु प्रारूप उपायुक्त फतेहबाद से मगवाया जा रहा है।

1 तहसील पटौदी को उप-मण्डल अपग्रेड करने बारे अधिसूचना जारी करने हेतु न्याय प्रशासन विभाग को लिखा जा रहा है कि वह इस संबंध में पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के व्यूज प्राप्त करके इस विभाग को सूचित करे ताकि अधिसूचना जारी करने बारे आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। 2 जहाँ तक फरुखनगर को उप-मण्डल अपग्रेड करने का प्रश्न है, इस बारे व्यक्त किया जाता है कि तहसील फरुखनगर को उप-मण्डल अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(28 4 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (12 5 2009)

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

25 ताराकित प्रश्न संख्या 707 के सदस्य मे श्री ए०सी० चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
अध्यक्ष महोदय, रिहबिलिटेशन डिपार्टमेंट देश के बटवारे के वक्त माईग्रेंट्स को अपने देश मे रिसैटल करने के लिए बनाया गया और उन्होंने साइज ऑफ प्लाट मुकर्रर किया था लेकिन हर प्लाट के साथ कुछ न कुछ एडिशनल लैंड रह गई जिसे एडजेस्ट एरिया के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई और 1982 और 1985 के बीच मे उसका रेट तय हुआ वह 75 रुपए प्रति गज है। उस वक्त 233 गज मे जो मकान बनाए गए थे उनकी टोटल कॉस्ट इन्क्लूडिंग कंस्ट्रक्शन 2615 रुपये थी।**पिछली सरकार जब पहले सत्ता मे आए थे तो उन्होंने इसका रेट 75 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति गज कर दिया और जब वे दोबारा से सत्ता मे आए तो उन्होंने उस रेट को

स्पीकर सर इन्होने जो बात रखी है उस बारे मे विचार कर लिया जाएगा। अभी हम स्टेट एक्ट बना रहे है जब वह बन जाएगा तो उसके अनुसार ही इस बारे मे विचार किया जाएगा।

22 3 2007

इस बारे विस्तृत रिपोर्ट पहले भी प्रस्तुत की जा चुकी रे। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पटीशन संख्या 2272/2003 मे सरकार की नीति दिनांक 1 11 2001 मे लगाया गया स्टे अभी तक लागू है और मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित है। सरकार द्वारा बनाये गये नये एक्ट हरियाणा निष्क्रान्त सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निपटान) अधिनियम 2008 के अधीन नियम तैयार किये जा रह है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये स्टे के हटने के बाद तथा एक्ट के अधीन नियमों को अन्तिम रूप देने के बाद इस सम्बन्ध मे अग्रिम कार्यवाही कर ली जाएगी।

(28 1 10)

750 रुपये प्रति गज कर दिया। *** मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्यों न ऐसी इसकी इन्क्वायरी मुकर्रर कर दी जाए ताकि इस सिस्टम को भी सम्भाल लिया जाए और यह जो विवाद है इसको खत्म किया जाए।

26 ताराकित प्रश्न सख्या 707 के सदर्थ मे श्री आनन्द सिंह दागी पूछा गया अनुपूर्क प्रश्न
 ***अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इस बारे मे सरकार के पास ऐप्लीकेशन पेंडिंग पडा हैं। अगर माईग्रेट पर्सन्ज की ऐप्लीकेशन पेडिंग पडी है और आप उनको डिसपोज ऑफ नही करेगे तब तक आप किसी और के नाम जमीन अलॉट नही कर सकते। ***
 पहले उन ऐप्लीकेशन की वैरीफाई करवाओ कि उनका हक बनता है कि नहीं। अगर हक बनता है तो उनके नाम वह जमीन अलॉट करो यदि उनका हक नही बनता है तो उसके बाद ही दूसरी बात सोची जा सकती है। अगर उनका हक बनता है तो उनको जमीन देनी पडेगी।

22 3 2007

अध्यक्ष महोदय जैसा दागी साहब ने कहा है कि इसकी जाच होनी चाहिए तो इसकी जाच भी करवाएंगे और जो 593 एकड जमीन उस वक्त 2003 मे ट्रासफर हुई थी और उसके बाद मे स्टे हो गया था उस बारे मे जाच करवायेगे और जॉच मे जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard (28 1 10)

इस बारे विस्तृत रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की जा चुकी है और अब यह भी सूचित किया जाता है कि हरियाणा निष्क्रान्त सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निपटान) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अभी नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। नियमों के जारी होने के बाद अग्रिम कार्यवाही तदनुसार कर ली जाएगी।
 (28 1 10)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

27 तारांकित प्रश्न संख्या 874 के संदर्भ में श्री नरेश यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय अटेली कृपा एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई सरकारी जगह नहीं है। अटेली के पास खोड गाव है जहाँ पर गाव की पचायत बस स्टैंड के पास जमीन देने को तैयार है। हमारे जितने भी कार्यालय हैं एक एक डेढ-डेढ किलोमीटर के फासले पर छोटे से कब्जे के चारो तरफ पडते है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहाँ पर एक मिनी सैक्रिटेरियेट बनाने के बारे में विचार करेगी ताकि सारे सरकारी कार्यालय एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाए और लोगों को सुविधा हो जाए। इस मिनी सैक्रिटेरियेट के लिए गाव खोड में पचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है, क्या वहाँ पर मिनी सैक्रिटेरियेट बनाया जाएगा।

18 3 2008

सीकर सर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि अटेली मण्डी में एक उप तहसील है और अटेली मण्डी के लोगों के लिए जिला सचिवालय, महेन्द्रगढ में बना हुआ है। उप तहसील में उप-तहसील के लिए भवन बनाया जाएगा इसके लिए जमीन आईडेंटिफाई कर रहे है, जगह आईडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पर भवन बनाया जाएगा लेकिन उसका काम अभी मार्किट कमेटी के भवन में चल रहा है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
REHABILITATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

28 (क) श्री राम जी लाल, एम एल ए द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सं० 1007 — क्या राजस्व राज्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान पुनर्वास/वकबन्दी विभाग द्वारा भूमि की बिक्री/आबंटन में कोई अनियमितताएँ/अवैधताएँ की गई हैं

(ख) यदि हा, तो क्या इस सबंध में जिला प्रशासन अम्बाला यमुनानगर फरीदाबाद तथा पंचकुला से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथा

(ग) क्या सरकार द्वारा अब तक कोई जाच की गई है यदि हा, तो उसकी रिपोर्ट क्या है तथा इस सबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

15-11-99

* * * इस सबंध में जिला प्रशासन अम्बाला यमुनानगर फरीदाबाद और पंचकुला से निश्चित तौर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। फिर भी सरकार द्वारा वर्ष 1996 में यह निर्णय लिया गया कि जिला अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर के उन सभी अलाटमेंट/बिक्री/भूमि अंतरण के केसों की जाच की जाए जिनमें अनियमितताएँ होने की आशंका थी। अलाटमेंट के 26 केसों में आयुक्त अम्बाला मण्डल, अम्बाला द्वारा जाच की गई और इसके अतिरिक्त क्रमशः 35 2 और 39 बिक्री/भूमि अंतरण के केसों में क्रमशः उपायुक्त अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर द्वारा जाच की गई। जिला अम्बाला के 3 केसों को छोड़कर सभी केसों में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इन रिपोर्टों के भली भाँति निरीक्षणोपरत यह पाया गया है कि अलाटमेंट के 25 केसों में और बिक्री/सम्मिलित के अंतरण के 25 केसों में अनियमितताएँ की गई, पाई गई हैं। इन सभी केसों में निपटान की गई संपत्तियों को वापिस लेने के लिए सक्षम न्यायालयों में सुओमोटो रैफ़रेस किए जा चुके हैं। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी पारम्भ की जा चुकी है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (14 7 2009)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
INDUSTRIES DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

21-7-98

29 वर्ष 1998-99 का बजट।

***हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बावल में 156 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया है। इस औद्योगिक सम्पदा के अधीन लगभग 1200 एकड़ भूमि है। प्रथम चरण में लगभग 400 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 800 एकड़ भूमि का विकास करने का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। आगामी तीन वर्षों में इसमें 125 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। 107 एकड़ भूमि पर निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम को धारा 4 के अन्तर्गत लगभग 450 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। आगामी तीन वर्षों में इस परियोजना में 75 से 80 करोड़ रुपये का निवेश होने की आशा है। साहा (जिला अम्बाला) में 1000 एकड़ क्षेत्र में एक विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है। लगभग 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका विकास दो

सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पहले ही 1200 एकड़ भूमि ग्रोथ सैन्टर बावल के लिए अधिग्रहण की जा चुकी है। भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार ने पहले ही अपने शेषर की राशि 10 करोड़ तथा 5 करोड़ रुपये जारी कर दी है। 800 एकड़ में आधारभूत सुविधाएँ जैसे कि सड़क जन सेवाएँ, बिजली का कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट पर 155.49 करोड़ रुपये जून 2004 तक खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा औद्योगिक विकास निगम ने 107 एकड़ भूमि निर्यात सवर्धन औद्योगिक पार्क कुण्डली में अधिग्रहण की है। भारत सरकार मिनिस्ट्री आफ कामर्स ने पहले ही अनुदान की शेष राशि 10 करोड़ रुपये जारी कर दी है। सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी हैं तथा कार्य चालू है। इस प्रोजेक्ट पर 20.84 करोड़

The Committee would like to know the latest position in this regard (12.7.2005)

चरणों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गलौर के समीप बड़ी में 500 एकड़ भूमि पर औद्योगिक केन्द्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लगभग 300 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। इस स्थल पर कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

रुपये जून 2004 तक खर्च किये जा चुके हैं।

कुण्डली फेज 4 में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने लगभग 457 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है क्योंकि माननीय पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले स्टे दिया हुआ था इसलिए प्रगति कार्य शुरू नहीं किया जा सका। अब माननीय हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया है और भूमि अधिग्रहण मई 2003 से करने के साथ-साथ प्रगति कार्य पूरे जोर से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जून 2004 तक 24 82 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा औद्योगिक विकास निगम द्वारा पहले ही 414 एकड़ भूमि ग्रोथ सैन्टर साहा (अम्बाला) के लिए भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है और आधारभूत सुविधाओं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बिजली का कार्य दिसम्बर 2004 तक पूरा होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट पर जून 2004 तक 13 98 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बहड़ी के लिए 275 एकड़ भूमि

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अधिग्रहण का है और इस पर सभी आधारभूत सुविधाएँ जैसे सड़क, जन सेवाएँ तथा बिजली की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर जून 2004 तक 28 36 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। (9-11-2004)

- 30 डॉ० सीता राम द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 636 —
 “क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या निकट भविष्य में डबवाली में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?”
- 12-6-2001
 (प्रथम बैठक)
- हा, श्रीमान् जी, डबवाली में 731 लाख रु० की लागत से एक फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
- संमति इस बारे में 88 लेटेस्ट पोषीशन जानना चाहती है।
 (12-7-2005)
- हा, श्रीमान जी, डबवाली में 731 लाख रुपये की लागत से फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत लगभग 113 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है।
 (9-11-2004)
- 5-3-2002

जी हाँ।

- 31 श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अताराकित प्रश्न संख्या 871 — “क्या नगर विकास गण्य मंत्री कृपया बताएंगे कि अम्बाला

छावनी में एक यात्री निवास निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?'

32 श्री अनिला विज द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 866 —

“क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि क्या राज्य सरकार द्वारा साहा, जिला अम्बाला में एक आद्योगिक प्रोथ सेन्टर स्थापित करने के लिए भूमि अर्जित की गई है यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसा सेटर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?”

20-3-2002

हा, श्रीमान् जी साहा जिला अम्बाला में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु 414 एकड़ 2 कनाल 10 मरला भूमि अभिग्रहण की गई है। इस परियोजना के विकास का कार्य आरम्भ हो चुका है और सितम्बर, 2003 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(समिति इस बारे में लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है।
(12-7-2005)

हा श्रीमान जी साहा जिला अम्बाला में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु 414 एकड़ भूमि अभिग्रहण की गई है। इस परियोजना के विकास का कार्य बिजली के कार्य को छोड़कर लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। बिजली का कार्य दिसम्बर 2004 तक पूरा होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट पर जून 2004 तक 13998 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(9 1 04)

4-9-2002

स्पीकर सर गुप्ता जी ने ठीक ही कहा है। 200 के लगभग इस प्रकार की यूनिट्स नोटिस में आयी है जिन्होंने लोन लेने के बाद अपनी यूनिट नहीं स्थापित की। विजिलेंस से इस मामले की जांच करवाई गई है और विजिलेंस जांच में भी ऐसा ही पाया गया है। स्पीकर सर 1994 में इन यूनिट्स को इस प्रकार के लोन दिये गये थे जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। गुप्ता जी, अब अगला प्रश्न यही पूछेंगे कि इस बारे में कार्यवाही क्या की गयी है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि

ताराकित प्रश्न संख्या 1064 के सदर्भ में श्री जय प्रकाश गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुरूपक प्रश्न — अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन यूनिट्स को लोन दिया गया था क्या उन्होंने अपने यूनिट्स स्थापित किये थे या नहीं?

33

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

महकमे मे दोषी कर्मचारियो और अधिकारियो को डिसमिस कर दिया है साथ ही जिन्होने लोन के बाद अपनी यूनिट स्थापित नही की उनके खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। इसमे से कई गिरफ्तार भी हुए है।

4-9-2002

34 ताराकित प्रश्न संख्या 1064 के सदस्य मे श्री जय प्रकाश गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० साहब से जानना चाहता हूँ कि जिन लोगो का यह लोन (मूलधन व ब्याज) माफ किया है उसकी रिकवरी के लिये क्या पग उठाए गये थे और क्या ये लोन देते समय श्योरिटी का प्रावधान था और अगर लोनी रिकवरी के समय लोन नही दे पा रहे थे तो क्या उन यूनियो को सेल किया गया और सेल करने के बाद उनका जो मूल व ब्याज बचा है उसकी रिकवरी के लिए क्या पग उठाए गए हैं, ये बताने की कृपा करें।

*** जहा पर पेमेंट थर्ड पार्टी को न देकर डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई उनसे रिकवरी का जहा तक प्रश्न है अभी केस दर्ज किये गये है। उनसे रिकवरी भी ली जायेगी और विजीलेस की रिपोर्ट आने के बाद चाहे वे कितने भी बड़े आदमी हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

10 3 2003

सरकार की नियात प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप गत तीन वर्ष के दौरान राज्य का निर्यात बढ़कर दोगुना हो गया है और वर्ष 2002 03 के दौरान यह 10 000 करोड़ रुपये तक पहुँचने की आशा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला गुड़गाव ने गाव गढी हरसरू में एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Committee would like to know the latest position in this regard
(9 11 2004)

सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना को कार्यान्वित करने हेतु 1729 एकड़ भूमि अभिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत दिनांक 29 1 2003 धारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 28 1 2004 तथा धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 4 7 2004 को अधिसूचित की गई है। भूमि अभिग्रहण अधिकारी गुड़गाव को इस भूमि का अवार्ड घोषित करने के लिए आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक जोन की नीति निर्धारित करने के लिए केस सरकार के विचाराधीन है। जिसमें निर्णय शीघ्र अति शीघ्र ले लिया जाएगा। इस परियोजना के स्थापित होने से राज्य का निर्यात वर्ष 2011 तक लगभग दोगुना होने की संभावना है।
(/ 9 2004)

9 2 2004

** तथा 4819 करोड़ रुपये के प्रस्ताव (विदेशी निवेश के) राज्य सरकार के विचाराधीन है **

** जिला भिवानी में गाव कल्याणा के फ्लोक्स्बल सेण्ड स्टोन को राष्ट्रीय पाक घोषित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। पिनौर के निकट एक फ्रासिल पार्क (जीवाश्म पार्क) स्थापित करने पर भी

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

कायवाही का जा रही है। **

12 2 2004

37 वर्ष 2004 05 का वार्षिक बजट

वर्तमान सरकार के शासन काल के दौरान 3132 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव क्रियान्वित किए गए हैं और 4819 करोड़ रुपये के प्रस्ताव विचारार्थी हैं।

29 7 2004

38 ताराकित प्रश्न संख्या 1833 के संदर्भ में श्री नरफे सिंह राठी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
अध्यक्ष महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली के अन्दर से बड़े व्हीकलज क्रास नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पदेनजर कोई सुपर हाई वे बनाने जा रही है? मुझे अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला है कि यह हाई वे दुनिया का सबसे चौड़ा हाई वे होगा। अगर सरकार

***अध्यक्ष महोदय मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हम पलवल से लेकर कुडली तक एक एक एक्सप्रेस हाई वे बनाने जा रहे हैं। यह एक्सप्रेस हाई वे शायद हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी हाई वे होगी। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है ध्रुत जल्द हम इस पर काम शुरू करने जा रहे हैं।

84

The Committee would like to know the latest position in this regard (5 1 2007)

हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का काम हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया है और निगम ने इसका कार्य के एम पी एक्सप्रेसवे लिमिटेड को दे दिया है कम्पनी द्वारा यह काम नवम्बर 2006 से शुरू कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
(18 8 2006)

का इस तरह का हाइ वे बनाने का विचार है तो ये उनसे जानना चाहूंगा कि इस पर कब से कार्यवाही शुरू होने जा रही है ?

39 राज्यपाल का अभिभाषण

22 3 2005

मेरी सरकार राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाएगी। राज्य में उद्योगों के विकास के लिए निर्बाध बिजली की आपूर्ति और बढ़िया कानून व्यवस्था का होना प्रमुख जरूरत है। मेरी सरकार ऐसा परिवेश प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है जहां उद्योग पलायन करने की बजाय राज्य में फल फूल सके। ताल फीताशाही औद्योगिक विकास में बाधक है और उद्यमियों की सहायता के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार का प्रवेश में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने का उद्देश्य है। आवश्यक सुविधाएं व आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उद्यमी उद्योगपति और व्यापारी समुदाय को किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई पेश न जाए। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए राज्य में अनुकूल और बाधा रहित परिस्थितियां बनाई जाएंगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard (25 9-2006)

- * नई उद्योग नीति 6 जून 2005 से लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य दो लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश आकर्षित कर 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है।
- * भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में 6000 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश से पैरावालीन/व्यूरीफाइडेथलीक एसिड का प्रोजेक्ट मार्च अप्रैल में उत्पादन में आ जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान केवल औद्योगिक क्षेत्र में करीब 10000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश हुआ है।
- * सुखमय चातावरण एवं औद्योगिक नीति के फलस्वरूप राज्य में इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।
- * राज्य का निर्यात बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
- * औद्योगिक परियोजनाओं की

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

स्वीकृति/कलीयरस समयबद्ध सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम लागू।

* औद्योगिक यूनिटों को अनावश्यक निरीक्षण से छुटकारा दिलाने के लिए स्व प्रमाणीकरण प्रणाली लागू।

* दिल्ली और चण्डीगढ़ में दो निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित।

* मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन बोर्ड गठित।

* मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश परामर्श परिषद गठित।

* मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उद्योगों और सरकार का एक संयुक्त कार्य बल गठित।

* ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए खासी एंव रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

* ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना लागू की जा रही है।

- * 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक के पूंजी निवेश या 500 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करने पर स्थानीय क्षेत्र विकास कर में 5 वर्ष की छूट एवं 50 प्रतिशत वेट के भुगतान पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा 7 वर्षों के लिए।
- * पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन।
- * 30 करोड़ रुपये से अधिक लागत के उद्योगों को कस्टमाइज पैकज आफ इन्सटिक्स दिये जा रहे हैं।
- * निर्यातोनमुखी यूनिटों को विशेष प्रोत्साहन।
- * खाद्य प्रसस्करण उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन।
- * सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएँ को विशेष प्रोत्साहन।
- * आई एम टी मानेसर और पचकूला में दो आई टी पाक विकसित किये जा रहे हैं।
- * आई टी क्षेत्र के निर्यात में हरियाणा का देश में तीसरा स्थान।

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

- * हरियाणा में राज्य व्यापी कुशल दूरसंचार सेवा तंत्र उपलब्ध है।
- * हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 लागू निजी क्षेत्र को विशेष आर्थिक ज्ञान स्थापित करने पर कई सहूलते एवं प्रोत्साहन।
- * राज्य में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से पारित। इसके अतिरिक्त 14 अन्य विशेष आर्थिक ज्ञान स्थापित करने का योगनार्थ राज्य सरकार के विचाराधीन। रिलायंस उद्योग लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास पर 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
- * 3000 एकड़ भूमि पर गंभी हरसरू गुड़गांव में एच एस आई डी सी द्वारा विशेष आर्थिक ज्ञान स्थापित किया जा रहा है।
- * औद्योगिक नीति के फलस्वरूप विशेष आर्थिक ज्ञान स्थापित करने के लिए राज्य में एक लाख करोड़ रुपये की

- * परियोजनाएँ प्राप्त हुई।
* कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू। इस मार्ग के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर नये आर्थिक केन्द्र विकसित किये जायेंगे।
- * राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 2, 8 और 10 के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।
- * स्वच्छ वातावरण एवं सामूहिक उद्योगों के विकास हेतु अति आधुनिक आधारभूत सुविधाओं सहित विकसित औद्योगिक सम्पदाओं में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं हुडा द्वारा औद्योगिक प्लाट उद्योगियों को उचित दरो पर आवंटित किये जा रहे हैं।
- * उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों के लिए करीब 20,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही है।
- * लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से पानीपत में पैट्रोकेमिकल हब स्थापित किया जा रहा है।
- * कलस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत टेक्सटाईल उद्योगों के सामूहिक विकास के लिए पानीपत में भारत सरकार की सहायता से 55 करोड़ रुपये की लागत

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

से परियोजना क्रियान्वित।

- * भारत सरकार द्वारा फरीदाबाद में लाईट इंजीनियरिंग सामान के सामूहिक क्षेत्र के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये की योजना पंक्ति तथा गुटगाव में ग्रामीण आटोमोबाईल क्षेत्र के विकास के लिए 67 करोड़ की परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है।
- * राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सी एन जी/पी एन जी को प्रचालित करने की योजना है।
- * रेल यातायात की सुविधा के लिए इन्टरप्रिटिड रेल कम बस ट्रांसिट सिस्टम लागू करने की परियोजना प्राथमिकता के आधार पर त्रिनागर (दयाबस्ती) बिजवासन गुडगाव लिंक स्थापित करने की योजना पारित।
- * मानेसर जिला गुडगाव में 50 एकड़ भूमि पर जैव प्रौद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना।
- * केन्द्रीय प्लास्टिक तथा इंजीनियरिंग

प्रौद्योगिकी सस्थान यानीपत मे स्थापित किया जा रहा है।

* आइ एम टी मानेसर की भाति फरीदबाद और खरखौदा मे दो अन्य औद्योगिक माडल टाकनशिप विकसित किये जायेंगे।

* सापला बादली जहागीरपुर आर गन्नार समालखा के समीप तीन नए शहर विकसित किए जायेंगे।

* गुडगाव में एक रत्न तथा आपभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है।

* गुडगाव तथा बडही जिला सोनीपत मे दो पोशाक पार्क भारत सरकार की सहायता से विकसित किये जायेंगे।

* करनाल और बहादुरगढ मे फुट वियर एव लैडर गारमेट पार्क स्थापित करने की योजना हे।

* गुडगाव मे 18 करोड़ रुपय की लागत से एक जायानी होटल का निर्माण किया गया है।

* गुडगाव में 15 करोड़ रुपये की लागत से बहुस्थलीय पार्किंग विकसित किया जाएगा।

* गुडगाव में साइबर सिटी टेक्नोलजी

क्र० संख्या	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पार्क तथा मडीसिटी का विकास किया जा रहा है।

- * गुड़गांव को मेट्रो रेल से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेट्रो रेल को फरीदाबाद व बृहदुगुगुड में जोड़ने का प्रस्ताव है।
- * मानेसर में केन्द्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये की लागत से आटोमोबाईल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है।
- * कृष्णली जिला सोनीपत में भारत सरकार ने माध्यम से 150 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य प्रसस्करण अनुसंधान व उद्योगिता एवं प्रबन्धकी विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।
- * राह में 60 करोड़ रुपये की लागत से फल एवं सब्जी मण्डी स्थापित की जा रही है।
- * राज्य में वर्षों से लम्बित पेंडिंग कैपिटल सब्सिडी व जर्नलिंग सब्सिडी के केसों का भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने 26 62 कराड़ रुपये की सब्सिडी वितरण

हेतु जारी की है। 2 करोड़ रुपये से अधिक हेडलूम के रिबेट कलेम भारत सरकार की स्वीकृति से प्राथमिकता हथकरघा सहकारी समितियों को आवंटित किये गये है।

- * शान्ति सामंजस्य तथा सुरक्षा के माहौल में औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरवनात्मक श्रम नीति घोषित की गई है।
(30 3 2006)

22 3 2005

लघु स्तरीय इकाइयों की स्थापना के लिए युवाओं को ब्याज की कम दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। लाभदायक रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए दस्तकारों और दूसरे लोगों को उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने की योजनाएँ बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बाजार विकसित करने के लिए कुछ बूझ नीति बनाई जाएगी। रोजगार की समस्या के निदान के लिए समग्र नीति बनाना समय की मांग है न कि इसका आधे अधूरे दृष्टिकोण से समाधान निकाला जाए और मेरी सरकार इसके लिए नीति और तंत्र दोनों ही विकसित करेगी।

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

41 बजट भाषण

23 3 2005

**** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिये प्रभावशाली पग प्रारम्भ किए जाएंगे। एक नई औद्योगिक नीति की शीघ्र ही घोषणा की जायेगी।

The Committee would like to know orally Examine Department in this regard (25 9-06)

- * मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक शिष्ट मंडल जापान व कोरिया गत महीने पहले गया था। जापानी व कोरियन कम्पनियों व हरियाणा में 2200 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी की परियोजना लगाने के प्रस्ताव दिये थे।
- * नई उद्योग नीति 6 जून 2005 से लागू की गई है।

(30 3 2006)

15 6 2005

42 ताराकित प्रश्न संख्या 53 के सदन में श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान द्वारा पूछा गया अनुपूर्वक प्रश्न अध्यक्ष महोदय पीछे जो एरियाज कांग्रेस के जमाने में इंडस्ट्रियली बेकवर्ड घोषित हुए थे 5 6 सालों तक जनरेटर की सबसिडी के लिए लोग लाईन में लगे रहे दूसरे साधनों के लिए सरकार जो सबसिडी देती है उसके लिए भी लान्ची लाईन लगी हुई थी पिछली सरकार ने बगैर किसी कानूनी कारण के उस लाईन को खत्म कर

**** हम उस पर विचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि प्लितना अकामोडेड हम इण्डस्ट्रीज को कर सकते हैं उतना करेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (18 7 2008)

जैनरेटिंग सैट अनुदान के वितरण के लिए 7 70 करोड़ रुपये की राशि लम्बित है। वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार ने 5 90 लाख रुपये प्रदान किये थे जो कि योग्य इकाइयों को वितरित कर दिये। वर्ष 2006-07 के दौरान 3 00 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया जिसमें से 1 20 करोड़ रुपये 92 इकाइयों में वरिष्ठता की सूची अनुसार वितरित कर दिये। सरकार पिछले लम्बित पड़े केसों

दिया कि हम यह सबसिखा नहीं देते। जिन लोगो ने अपनी इण्डस्ट्री लगाई थी उन्होने यह सोचकर लगाई थी कि इतने प्रतिशत इसमे हमे सरकार से जनरेटिंग कम्पैसिटी पर मदद मिलेगी। अब वह यूनिट ही अनवायेबल हो गई उसके बारे मे सरकार का विचार क्या है। जो गलतिया पिछलो ने की उनको सही करने का आज की सरकार का भी दायित्व है क्या मंत्री जी इसके लिए प्रयास करेंगे ?

43

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

16 1 2006

***** यह बात हमने आलरेडी कही हुई है कि जो भी एस ई जैड बनाएंगे उसमे जो गाव आएंगे उनका विकास भी उनको करना पड़ेगा उनके बच्चों को नौकरी देने पड़ेगी तभी हमे फायदा होगा और प्रदेश को फायदा होगा।

44

ताराकित प्रश्न सख्या 576 के सदर्थ मे
श्री धर्मपाल सिंह मलिक द्वारा पूछा गया
प्रतिपूरक प्रश्न
***** अध्यक्ष महोदय, मे यह कहना चाहता हूँ कि मैने गोहाना के बारे मे स्मैसिफिक सवाल पूछा है लेकिन इन्होने इसके बारे मे भी कुछ नहीं बताया है।

12-3-2007

"अध्यक्ष महादय जहा तक गोहाना की बात है तो मै इस बारे मे इनको यह कहना चाहता हूँ कि हम वहा पर एग्जामिन करवाएंगे ताकि वहाँ पर कलस्टर की बजाए इंडस्ट्रियल स्टेट बनायी जाए।"

के निपटाने हेतु प्रयासरत है।
(23-4-07)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गोहाना में बहुत ज्यादा निवार बनती है। मैं फ्लोर ऑफ दि हाउस यह कहना चाहता हूँ कि यह रिकार्ड की बात है कि सोरे हरियाणा में सबसे ज्यादा निवार का उत्पादन गोहाना में होता है वहाँ पर निवार बनती है।**** मेरा कहना यह है कि वहाँ पर निवार बनाने की कोई इडस्ट्री नहीं है क्या प्रॉयोरिटी बेसिज पर वहाँ पर ऐसा कलस्टर बनाया जाएगा जिससे वहा पर उद्योग डिवैल्य कर सके। क्या मानीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वहा पर (गोहाना में) निवार का कलस्टर स्थापित करने के लिए विचार करेगी?

13 3 2007

45 श्री धर्मपाल सिंह मलिक एम०एल०ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 578 क्या उद्योग मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) हों श्रीमान जी। खरखौदा जिला सोनीपत में औद्योगिक मॉडल नगर क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रस्ताव है। परन्तु गोहाना, जिला सोनीपत में औद्योगिक नगर क्षेत्र

खरखौदा जिला सोनीपत में औद्योगिक मॉडल शहरी सम्पदा के विकास के लिए एक प्रस्ताव है परन्तु गोहाना जिला सोनीपत में औद्योगिक शहरी सम्पदा के

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-4-08)

- (क) क्या गोहाना तथा खरखोदा जिला सोनीपत में औद्योगिक मॉडल नगर क्षेत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है , तथा
- (ख) यदि हाँ तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

(ख) के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत खरखोदा जिला सोनीपत में औद्योगिक नगर क्षेत्र के विकास हेतु भूमि चयन के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण तथा अधिसूचना के प्रारूप की तैयारी प्रगति पर है।

विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। औद्योगिक मॉडल शहरी सम्मदा खरखोदा जिला सोनीपत के विकास हेतु प्रथम चरण में 3670 एकड़ 1 कनाल 13 मल्ले भूमि को अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है तथा अगले अन्तिम चरण में लगभग 1300 एकड़ भूमि और अधिग्रहण करनी प्रस्तावित है।

(20-3-08)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
TRANSPORT DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

The Committee would like to know the latest position in this regard (12 5-09)

पलवल जिला बनने पर उपायुक्त, फरीदाबाद ने हसनपुर बस अड्डे के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 3 12 2008 को उपायुक्त, पलवल को पत्र लिखा जिसके सदर्थ में पुन इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13 1 2009 को उपायुक्त पलवल को स्रण पत्र जारी किया गया। उपायुक्त महोदय, पलवल का उत्तर वांछित है। (24 4-09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (12 5 2009)

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो जमीन बस स्टैंड के निर्माण के लिए परिवहन विभाग को दी जा रही है उसकी कीमत कमर्शियल रेट पर लगाई गई है जिसको सरकारी रेट पर लगाने में मामला विचाराधीन है। (24-4-2009)

23-12-1992
हसनपुर में जमीन ऐक्वायर की कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है फिर भी मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो हमें उसे पूरा करना है व कार्यवाही हम पूरी करेंगे?

46 ताराकित प्रश्न संख्या 350 के सदर्थ में श्री राम रतन द्वारा पूछा गया अनुपूर्क प्रश्न —
“अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के हसनपुर में बस-स्टैंड बनवाने का जो आश्वासन दिया था वह कब तक पूरा हो जाएगा?”

12-3-93

(क) जी हा।
(ख) साइटिंग बोर्ड द्वारा भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। स्थान का अनुमोदन सरकार से किये जाने के उपरान्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। भूमि अधिग्रहण क उपरान्त तथा विभाग के पास धनराशि की उपलब्धि पर ही बस अड्डे का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

47 चौधरी जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 538 का भाग (क) तथा (ख)
(क) क्या जिला गुडगाव में तावड में बस अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा

(ख) यदि हा तो निमाण कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

48 श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 591 क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि नागल चौधरी के बस अड्डे का निर्माण कार्य किस समय सीमा तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

12-3-2007

महोदय जैसे ही ग्राम पंचायत बस अड्डे का निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवा देगी तब विचार कर लिया जाएगा। अतः समय सीमा नहा दी जा सकती। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मशा है कि नागल चौधरी में बस अड्डा बनाया जाए। इस जगह पर जमीन का काफी दिक्रत रही है। सरकार की नीति तो यह है कि ऐसी सब जगहों पर ग्राम पंचायत या नगरपालिकाएं यदि जमीन दे दे तो बस अड्डा बनाया जा सकता है। हमने निर्णय किया है कि एक-एक एकड़ जमीन एक्वायर करके ऐसी सब जगहों पर बस अड्डे बनाये जायेंगे।

12 3 2008

49 श्रीमती सुमिता सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 909 क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि (क) क्या करनाल में सभी आधुनिक सुविधाओं मार्किट इत्यादि सहित

(क) जी हा महोदय
(ख) प्रस्तावित करनाल बस स्टैंड का निर्माण सभी आधुनिक सुविधाएं सहित सार्वजनिक तथा निजि सहभागिता (बी ओ टी) के माध्यम से निर्माण किया जाना है जैसे ही

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(19 5 2009)

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा का गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एक बस स्टैंड का निर्माण करने का कोई प्रस्तावित सरकार के विचाराधीन है, तथा (ख) यदि हा, तो इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सलाहाकर फर्म को सौंप दिया है। जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा प्रस्तावित दस्तावेज तैयार हो जायेंगे तो बस स्टैंड के निर्माण हेतु निविदाएं मांगी ली जायेंगी।

24 3 2008

50 ताराकित प्रश्न संख्या 917 के सदस्य मे नरेश मलिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय 2008 मे माननीय मुख्यमंत्री जी सापला मे गये थे और वहा बस स्टैंड बनाने की घोषणा करके आये थे। अध्यक्ष महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस स्थिति मे है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सापला मे बस स्टैंड बनायेगे।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि सापला बस स्टैंड के लिए जमीन एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग चल रही है।

24 03 2008

51 ताराकित प्रश्न संख्या 917 के सदस्य मे श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पूछा मे श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पूछा

***इस बारे मे मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम फरीदाबाद मे करनाल की

गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय फरीदाबाद जिला आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है। वहां पर सैक्टर 12 में सामान्य बस अड्डा बनाया जाना है जिसकी शायद मार्च में नींव भी रखी गई थी। पिछले विधान सभा में सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने माना था कि फरीदाबाद में बस अड्डा बनाया जायेगा। x x x मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि वहां पर बस अड्डा बनाने का प्रोजेक्ट भी है और मंत्री जी ने कमिटमेंट भी किया हुआ है इसलिए क्या वहां पर मंत्री जी बस अड्डा बनाने की कृपा करेंगे और बनायेगे तो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

52

तारकित प्रश्न संख्या 917 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न ** इस लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हू कि कलायत के अन्दर बस अड्डा बनाने के लिए 26 अक्टूबर 2006 को माननीय मुख्यमंत्री

तरह बहुत आधुनिक बस अड्डा बनाना चाह रहे हैं। जिसको हम जल्दी ही फाईनल करने जा रहे हैं।

24 3 2008

अध्यक्ष महोदय, मैं माफ़ी चाहूंगा और माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कलायत में पहले बस अड्डे के लिए जो नींव रखी गई और जो साईट बस अड्डे के लिए सिलैक्ट की गई थी वह गलती से दूसरे प्लॉट की सिलैक्ट हो गई लेकिन जब वहां नींव रखने के बाद कार्य शुरू करने लगे तब

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणा
1	2	3	4	5

जी ने शिलान्यास किया था। वहां पर बस अड्डा बनाने के लिए जमीन नेशनल हाईवे नं 65 पर है जो कि बस अड्डा बनाने के लिए बहुत अच्छी साईट है। वहां पर बस अड्डे के लिए जो जमीन थी उसमें मिट्टी भी डल चुकी है और मीटिग भी हो चुकी है लेकिन बस अड्डे का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहती हू कि वहां पर कब तक बस अड्डे का काम शुरू होगा?

53 श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 843, क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि -
(क) क्या हरियाणा सरकार तथा अशोकालेलेड कम्पनी ने गढी पाडला जिला कैथल में सयुक्त लेलेड कम्पनी ने गढी पाडला जिला कैथल में सयुक्त रूप से एक परिवहन प्रशिक्षण संस्थान निर्मित करने का

आबौक्शन आ गया कि वह साईट हमारे विभाग की नहीं है। लेकिन उस मसले को अब हमने बडी मुश्किल से सुलझाया है और हमने उस जगह का पोजीशन ले लिया है। जमीन की फीलिंग भी कर दी गई है और जल्दी ही वहां पर बस अड्डा बनाना शुरू कर देंगे।

24 3 2008

(क) जी हा, श्रीमान जी।
(ख) जी हा श्रीमान जी। ग्राम पचायत गढी पाडला ने 10 एकड़ शामिल भूमि उपहार के रूप में दी है। चार एकड़ अतिरिक्त भूमि तबदील करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
(ग) परियोजना प्रारम्भ कर दी गई है तथा यह अगले वित्त वर्ष 2008 09 में पूर्ण होने की संभावना है। इस परियोजना पर 16 95 करोड़ रुपये का खर्च सभावित है।

निर्णय लिया है

(ख) क्या ग्राम पंचायत गंभीर पाइला ने इस परियोजना के निर्माण के लिए 14 एकड़ कृषि भूमि दान दी थी, तथा

(ग) इस परियोजना के कब तक आरम्भ/पूरा किए जाने की सम्भावना है तथा इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जानी है?

54

तारकित प्रश्न संख्या 1000 के संदर्भ में श्री विनोद शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अम्बाला शहर में जो पुराना बस स्टैंड था उसको बन्द करके नया बस स्टैंड बनाने का प्रावधान था और उसके लिए पिछले अठारह तीन साल से चर्चा चल रही है। किन्तु कारणों से वह बस स्टैंड नहीं बन पा रहा है?

19 2008

अध्यक्ष महोदय जहाँ अम्बाला सिटी के बस स्टैंड का सवाल है, हमारे मंत्री जी ने भी उसका जवाब दिया है। जहाँ पहले बस-स्टैंड बनाने की प्रपोजल थी मंत्री जी उस जगह को दिखवा ले। स्पीकर सर, उस जगह को दिखवा कर वहाँ पर जल्दी ही बस स्टैंड बनाने का प्रयास करेंगे।

19 2008

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी ही

55

तारकित प्रश्न संख्या 1000 के संदर्भ में श्री अर्जुन सिंह द्वारा पूछा

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमारे छछरौली में बस स्टैंड मजूर किया था क्या उस पर मंत्री जी जल्दी से काम शुरू करवाएंगे?

56 ताराकित प्रश्न संख्या 1000 के सदस्य में श्रीमती सुमिता सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि करनाल में जो एक नया बस स्टैंड बनाने का प्रयोजन था उसका क्या हुआ? करनाल में इसके लिए जगह भी फाइनेल हो गयी है और काफी देर से इसको बनाने की चर्चा भी चल रही है। पिछले साल भी बात चली थी कि कसलटैटस के टैंडर होने

19 2008

स्पीकर साहब करनाल के बस स्टैंड को एक बहुत ही आधुनिक बस स्टैंड बनाने की नीयत सरकार की है। ऐसा आधुनिक बस स्टैंड न तो हरियाणा में और न किसी दूसरी स्टेट में होगा। यह हरियाणा का पहला बहुत अच्छा आधुनिक बस स्टैंड होगा इसलिए ही इस बस स्टैंड को बनाने के लिए बहुत बड़े बजट का प्रावधान किया गया और बहुत बड़े-बड़े कंसल्टेंट्स तैयार किये गये, बहुत सारी स्कीमज इसके लिए बनायी गयी। स्पीकर साहब अब इसको बनाने का काम फाइनेल हो गया है। बी ओ टी के माध्यम

है। मेरे ख्याल से कंसलटेंट्स के टैडर हो गये होंगे तो करनाल मे बस स्टैंड बनाने का काम कब शुरू होने की उम्मीद है ?

57 ताराकित प्रश्न सख्या 1000 के सदर्थ मे श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
स्पीकर साहब, कलायत सबसे पुराना बताक है। 26 अक्टूबर 2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहा पर एक बस स्टैंड बनाने के लिए शिलान्यास भी किया है लेकिन आज तक उस बस स्टैंड को बनाने का प्रपोजल पैडिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि कब तक कलायत बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा ?

58 ताराकित प्रश्न सख्या 1000 के सदर्थ मे श्री हरि राम द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न

से इस बस स्टैंड का हम बनाकर देगे। बहन जी आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके टाईम मे ही यह बस स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा और इसका क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा।

19 2008

स्पीकर साहब, कलायत के बस स्टैंड बनाने का मामला बहुत दिन से उलझा हुआ था लेकिन अब यह सुलझा दिया गया है हालांकि इसको सुलझाना बहुत मुश्किल था। बहन जी से इस बारे मे परामर्श आया था इसलिए इस बारे मे बहुत प्रयास किए गए। पहले यह मामला कोर्ट मे था लेकिन कोर्ट से इस बारे मे समझौता करवाया गया है। जिस मालिक से इस बारे मे झगडा था उसको मनाकर प्लाट उससे ले लिया गया है इसलिए अब जल्दी ही यह काम शुरू कराया देगे।

19 2008

अध्यक्ष महोदय मे आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि ये जो बस स्टैंड मे पानी भर जाने की बात

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

स्पीकर साहब झज्जर के बस स्टैंड को बनते बनते चार साल हा गये थे लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हो पाया है। थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो वहा पर दो दो इजन लगवाकर पानी निकलवाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि कब तक यह बस स्टैंड बन जाएगा। हमारे यहा पर तो इसके लिए जमीन भी बहुत पडी है?

बता रहे हैं तो यह बस स्टैंड चार साल पहले बना था उस समय मैं मंत्री नहीं था। उस जमीन की च्वाइस इन्होंने ही की होगी। ऐसे निचले एरिया में बस स्टैंड बना लिया गया कि थोड़ी सी बरसात होते ही वहा 2-2 फुट पानी भर जाता है। जब इस बारे में सरकार ने आपके कहने पर यह महसूस किया है कि वहा याकई ही दिक्कत है। अब वहा पर बाहर जगह ले ली गई है और बहुत जल्द नया बस स्टैंड बनाएंगे।

OUTSTANDING ASSURANCES

**Relating to the
IRRIGATION DEPARTMENT**

Note —In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
59	बाढ़ के कारण हुई क्षति सबधी प्रो० छत्तर सिंह चौहान द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1237 का भाग (ड) — “(ड) क्या राज्य में भविष्य में ऐसी घटना को टालने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?”	27-2-96 ****राज्य सरकार बाढ़ की भविष्य में रोकथाम के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है जिसके लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन सिचाई व ससदीय कार्य मन्त्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। समिति द्वारा 31-3-96 तक अपनी सिफारिशें देने की सम्भावना है।	RDF VIII (Part I) के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा 6 स्कीमे स्वीकृत हुई थी जोकि निम्नलिखित हैं— 1 निजामपुर भरो खेडा 234 19 रामकली ड्रेन 2 खटौली कोरला ड्रेन 223 60 3 कूलर ड्रेन 118 98 4 हिसार घगर बहु-उद्देशीय चैनल 8813 59 5 बहु-उद्देशीय चैनल 3564 96 व हासी बहु-उद्देशीय चैनल 6 रसोई खरीफ चैनल 3548 37 योग 16503 69 जिनमे 2 स्कीमे (संख्या 1 व 2) जिसकी अनुमानित लागत 457 79 लाख रुपये थी को नाबार्ड से हटाकर बजट शीर्ष 4711 में पूरी करने की हिदायत दी	The Committee would like to know the latest position in this regard (24-10 2007)

थी को पूरा कर लिया है।

क्रम सख्या 3 पर जो स्कीम है उसे भी पूरा कर लिया है। बाकी 3 स्कीम जो क्रम सख्या 4, 5 व 6 पर हैं।

30 3 2007 तक क्रमश 6719 76 लाख 3998 59 लाख व 3520 60 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और शीघ्र ही तीन स्कीमों पर कार्य पूरा हो जायेगा।

(10 8 07)

60 ताराकित प्रश्न सख्या 1233 के सदर्थ म श्री ओम प्रकाश बेरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक पश्न—“अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि ज०एल०एन० सीपेज की वजह से 5461 एकड़ एरिया प्रभावित हुआ है इनको महकमे ने गलत सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय 20 हजार एकड़ एरिया सीपेज की वजह से अकेले रोहतक जिले मे प्रभावित हुआ है हमने इस बारे मे निरीक्षण किया है तभी यहा पर बता रहा हूँ।” * *

29-9-1995

* * * * *

* * * * *

जब मैं इनके साथ वहा पर गया था तो कुछ पम्प हाऊस खराब थे और उनको ठीक करने की बात कही थी। हमने उनको ठीक करवाया था लेकिन फिर खराब हो सकते है। हम इनको ठीक करवा देने * * हम झज्जर सब ब्राच के साथ डिच ड्रेन बनाने की सोच रह है और यह 62 बुर्जी तक बनाने का विचार है। वहा पर मोधे देने हैं और बाध देने है। * *

111

The Committee would like to know the latest position in this regard (7 7-09)

जे एल एन फीडर के दाईं ओर डिच ड्रेन बुर्जी न 83-124 तथा 156 से 235 तक चालू है। ग्राम बालन्द एव डीधल की जमीन का मुआवजा बट चुका है। ग्राम मायना की 0 41 एकड़ भूमि का मुआवजा झगडे की वजह से अभी नहीं बटा है।

बुर्जी न 296 से 306 तथा 312 से 329 तक जमीन अधिकरण के लिए नोटिफिकेशन 4, 6 और 7 हो चुकी है तथा पैसा एल ए ओ

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

के पास जमा हो चुका है अभी अवार्ड होना बाकी है। इस कार्य के लिए टैंडर 9 06 2009 को खुलने है तथा यह कार्य 31 3 2010 तक पूरा हो जायेगा। बिशान लिंक ड्रेन के लिए भी नोटिफिकेशन 4, 6 और 7 हो चुकी है तथा पैसा एल ए ओ के पास जमा हो चुका है अभी अवार्ड होना बाकी है। यह कार्य भी 31 3 2010 तक पूरा हो जायेगा।

बुर्जी न 240 से 296 तथा 306-312 के बीच जहा-जहा आवश्यकता है उसकी सफाई 30 6 2009 तक कर दी जायेगी।
(7 7 09)

24-5-1996

* * * लेकिन जो चौथी भजन लाल जी ने सदन मे बताया उसके हिसाब से लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट मे ठीक गई। हम उस केस को परस्यू करेगे और दूसरी तरफ साथ ही साथ

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमन्त्री श्री बसी लाल द्वारा दिया गया उत्तर।

21 4 2008 को मामले की सुनवाई नहीं हुई इसके उपरान्त सुनवाई की अगली तिथिया 4 11 2008 और 2 3 2009 निश्चित हुई।

हम पंजाब की सरकार से भी बात करेंगे।* * *

* इसी तरह गंगा का पानी है उसको लाने के लिए, केस को रा-ओपन करवाकर हमारी भरसक काशिश होगी कि गंगा का पानी लाये।

The Committee would like to know the latest position in this regard (7 7 2009)

23 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि इस केस को माह अगस्त 2009 में लिस्ट किया जाये।

गंगा की सहायक नदी शारदा से पानी यमुना नदी में डालने का मामला अभी भी राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण के पास विचाराधीन है। प्रोजेक्ट की फिजीबिलिटी रिपोर्ट बना दी गई है। (7 7 09)

113

6-3-2002

*** हरियाणा में निर्मित सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के प्रभाग की मरम्मत एवं क्षमता बढ़ाली का कार्य पंजाब प्रभाग के पूरा होने से पूर्व ही करवा लिया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब प्रभाग में सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की खुदाई का कार्य जहां पूरा नहा हुआ को जारी रखे और नहर को 15 1 2002 से एक वर्ष की अवधि में चालू करे। माननीय न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि उक्त अवधि के दौरान पंजाब सरकार यह कार्य पूरा नहीं करती तब केन्द्र सरकार उसे

The Committee would like to know the latest position in this regard (7 7 2009)

21 4 2008 को मामले की सुनवाई नहीं हुई इसके उपरांत सुनवाई की खगली तिथिया 4 11 2008 और 2 3 2009 निश्चित हुई। 2 3 09 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि इस केस को मास अगस्त 2009 में लिस्ट किया जाए। (7 7 09)

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 934

“क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या राज्य सरकार ने हरियाणा तथा पंजाब राज्य के क्षेत्र में एस०वाई०एल० नहर के निर्माण/पूरा करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कोई पग उठाए है तथा यदि हा तो उसका ब्यौरा क्या है?”

(ख)

62

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अपनी संस्था द्वारा यथा सम्भव शीघ्रतापूर्वक पूरा
करवायेगी।

14-3-2003

63 श्री उदय भान द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1338 क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दिल्ली के सीवेज / कारखानों का गन्दा तथा प्रदूषित पानी यमुना नदी में गिर रहा है तथा आगरा नहर से छोड़ा जा रहा है जोकि मानव उपयोग तथा कृषि उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, यदि हाँ, तो ऐसे प्रदूषित पानी का आगरा तथा गुडगांव नहरों में छोड़ने पर नियंत्रण करने के लिए क्या पग उठाये गए या उठाये जाने प्रस्तावित हैं?

हों श्रीमान जी मामला दिल्ली प्राधिकरण व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ उठाया हुआ है।
इस प्रदूषित जल को प्रयोगशाला द्वारा जाच रिपोर्ट के आधार पर यह पानी पीने योग्य नहीं है तथा खेती के लिये लगभग उपयुक्त है फिर भी इस प्रदूषित पानी को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा दिल्ली सरकार के साथ उचित कार्यवाही हेतु पग उठाया हुआ है। इसके लिए दिल्ली प्रदूषण बोर्ड पर्यावरण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के साथ मंत्री एवं मुख्यमंत्री लेवल पर पत्र व्यवहार जारी है।
(7 7 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard
(7 7 2009)

16-6-2005

64 श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 93 क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि -
(क) क्या राज्य सरकार को पूर्व सरकार

(क) हा श्रीमान जी।
(ख) शिकायते जाचाधीन है।

1 करनाल व जींद जिले के बहुत से लोगो ने आदरणीय परिवहन एवं ससदीय कार्य मंत्री तथा विभिन्न सिचाई कार्यों मे हुई धाधलियों की

The Committee would like to know the latest position in this regard
(7 7 2009)

के शासनकाल के दौरान राज्य में जल निकास/जल मार्गों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने सबधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तथा (ख) यदि हा तो क्या ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट मामले में कोई जाच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

शिकायत की। जिनमें घटिया निर्माण कार्यो एवं सरकारी खजाने को हानि पहुंचाने जैसे गम्भीर विषयों को उठाया गया। यह शिकायत सरकार को 31 3 2005 को प्राप्त हुई और उसी दिन सतकर्ता मण्डल अम्बाला को जाच के लिए भेज दी हे। इन कार्यो का विवरण निम्नलिखित है

(क) कालवा सब माईनर नरवाना जिला जीन्द का माखडा जल सेवाएं परिमण्डल के अन्तर्गत किया गया कार्य जिसकी रूप रखा इस प्रकार है।

योजना की स्वीकृत राशि	61 46 लाख रुपये
लम्बाई	5500 फुट
भूमि की कीमत	22 24 लाख रुपये
निकास	4 25 क्यूसिक
लाभान्वित क्षेत्र	442 एकड़
लाभान्वित गांव	कालवा
टेण्डर के अनुसार कार्य की देय राशि	15 43 लाख रुपये
सस्था का नाम	भैसर्ज रघुबीर सिंह

दरों की स्वीकृति की तिथि	जिला जीव
कार्य शुरू करने की तिथि	24 8 2004
कार्य की स्थिति	22 9 2004
टेण्डर होने की तिथि	सम्पूर्ण
जब तक किया गया खर्च	विभागीय रेट
सरकार के पत्र क्रमांक 6/107/2005 41 ई	24 606 लाख रु

विनांक 5 3 2008 क आदेशानुसार यह शिकायत फाइल कर दी गई हे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) दुरुदस्त कैंथल व करनाल जिलों से गुजरने वाली सब ब्राच की क्षमता बढ़ाने का कार्य निर्माण परिमण्डल करनाल के अन्तर्गत किया गया है। जिसकी रूपरेखा निम्न प्रकार है

ए आई बी पी के अन्तर्गत 350 लाख रुपए

लम्बाई 86700 फुट

निकास 902 71/763 83 क्यूसिक

लामान्वित क्षेत्र 5900 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र

(ग) बजीदा साईपन जिला करनाल में जल सेवाएँ परिमण्डल

करनाल के अन्तर्गत रूपरेखा इस प्रकार है।

निकास 213 क्यूसिक

लम्बाई 284 फुट

बरल का साईज 8 फुट x 7 फुट

कीमत 70 लाख रुपए निर्माण परिमण्डल

कार्य देने की तिथि

70 लाख रुपए निर्माण परिमण्डल करनाल द्वारा

28 1 04 को कार्य ठेके पर दिया गया लेकिन काम नहीं

हुआ। अक्टूबर 2004 में कार्य यमुना जल सेवाएँ परिमण्डल

के स्थानांतरित किया गया तथा इस पर कार्य

28 11 04 को आरम्भ हुआ।

संस्था का नाम श्री राजबीर सिंह

कार्य के पूर्ण होने की 30 6 2005

अनुमानित तिथि

कार्य की स्थिति

90 प्रतिशत पूर्ण

खिलवाड़ कर रहे थे क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

66

श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 158 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि

(क) क्या राज्य सरकार ने राज्य में पूर्व सरकार के शासन काल के दौरान सिचाई विभाग के सिचाई विभाग ग्रहों तथा भूमि की बिक्री के संबंध में कोई जांच प्रारंभ की है तथा

(ख) यदि हा तो क्या इस संबंध में कुछ अधिकारियों में प्रश्न पूछे गए हैं ?

14 12 2005

(क) जी हा श्रीमान जी। राज्य सरकार ने यह अनुभव किया है कि कुछ मामलों में सिचाई विभाग की भूमि अधिकतर केवल आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम की गई है जबकि ऐसी भूमि को नीलाम नहीं करना चाहिए था। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले का जांच सिचाई विभाग के सतर्कता विंग स करवाई जाए।

(ख) यह विषय जांच अधीन है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (7 7 2009)

121

67 वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर चर्चा

22-3-2006

**** इसके अलावा हमारे साथी श्री राधे श्याम शर्मा जी ने नागल दर्जू वाटर वर्क्स के बारे में जिज्ञासा की। मैं इनको बताता चाहता हूँ कि हम वाटर वर्क्स स्ट्रेथनिंग का कार्य कर रहे हैं। जो शहजादपुर डिस्ट्रीब्यूटी है उसकी भी हम स्ट्रेथनिंग कर रहे हैं और हम पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि इसका कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाए और पाना यहाँ तक पहुँच सके। दूसरे झकरी वाटर वर्क्स हैं हा के बारे में इन्होंने पूछा है। तीसरे इन्होंने हमीदपुर बाध से एक नहर जोड़ने की

The Committee would like to know the latest position in this regard (7 7 2009)

शहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटी का रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु बिजली की कम उपलब्धता तथा अपर्याप्त पानी की वजह से पानी किमी 15 500 तक ही पहुँच पाता है। नागल वाटर वर्क्स शहबाजपुर रजबाहा के किमी 19 100 पर है। शहबाजपुर रजबाहा में आगे पानी ले जाने की कोशिश जारी है। दोचाना माईनर तथा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		डिमाण्ड की है वहा के बारे मे मैने बता ही दिया है। भाखरी वाटर वर्क्स के बारे मे हम कार्य करने वाले हैं और दोचाना माइनर डिजिटलिंग का कार्य हम पूरा कर रहे है और उसकी मुरम्मत का काम भी हम कर रहे है और यह कार्य अप्रैल 2006 तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री नरेश मलिक जी ने पाकसमा माइनर के बारे मे जिक्र किया है। मैं इनको एश्योर करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एनाउसमेंट है सरकार उसको जरूर पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, श्री निर्मल सिंह जी ने दादपुर नलवी नहर के बारे मे जिक्र किया है। मैं हाउस को एश्योर करता हूँ कि अगले महीने इस नहर का कार्य शुरू करवाएंगे। इसके अलावा श्री राम कुमार गौतम जा ने जिक्र किया है कि आउटलैट्स का साईज हमने कम कर दिया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बिल्कुल बराबर साईज रखा है ताकि पाना टेल तक पहुच सके। श्री हर्ष कुमार जी ने उड़ीना ड्रेन के बारे मे जिक्र किया है और कहा कि वहाँ पर बाँध बनाया जाए। कुछ बाध हमने बनाए है और बाकी भी हम बनाएंगे ताकि उसमे पानी रिजर्व	बलावा सब माईनर की रिपेयरी का कार्य पूर्ण हो चुका है। भाँखरी वाटर वर्क्स को पिछले 4 5 महीनो से पूर्ण रूप से भरा जा रहा है। कुछ समस्या पब्लिक हैलथ का खाला टूटा होने से है जिसके लिए उन्हें बार बार लिखा जा रहा है। पाकसमा माईनर को बनाने का कार्य प्रगति पर है। 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य 31 10 09 तक पूरा हो जायेगा। रूपगढ माईनर पर पम्प हाऊस बनाने का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। पम्पो की खरीद 10/2009 तक पूरी हो जायगी। सागा माईनर की क्षमता बढ़ाने का कार्य 31 7 09 तक पूरा हो जायेगा तथा मोगो को बढी क्षमता के अनुसार 31 8 09 तक लगा दिया जायेगा। दादपुर नलवी स्कीम फेज-1 का कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है	

कर सके और उस पानी को रिटैन कर सके। अध्यक्ष
मनोदय इसके बारे में हम कार्यवाही करेंगे। एक
रूपगढ़ माइनर के बारे में श्री भारद्वाज जी ने बिक्र
किया है, वहाँ पर पम्प हाउस की स्कीम के बारे
में हम विचार कर रहे हैं। टेक्नीकल कमेटी ने
उसे पास कर दिया है और उसका काम भी जल्दी
ही शुरू करेंगे। इसके साथ सागा माइनर और
पालावास माइनर अंडर एजामिनेशन है और इनके
बारे में भी हम जल्दी ही कार्य करेंगे।

फेज-2 नलवी डिस्ट्रीब्यूट्री का कार्य
प्रगति पर है और 40 प्रतिशत कार्य
पूरा किया जा चुका है। यह कार्य
30.6.10 तक पूरा कर दिया
जाएगा।

उज्जिना एच नूह ड्रेन पर तीन
बाध (हम्पस) 36.79 लाख रुपये की
लागत से मजूर किए गए थे जिसमें
से 2 बाध (हम्प) आर डी
6500/47500 नूह ड्रेन पर बन
चुके हैं। आर डी 36.000 उज्जिना
ड्रेन का हम्प का कार्य रुक गया है
क्योंकि साइट बदलने का केस
हाईकोर्ट में लम्बित है।

(7.7.09)

68 श्री उदय भान द्वारा पूछा गया ताराकिन
प्रश्न संख्या 7.1 क्या सिचाई मंत्री
कृपया बताएंगे कि यमुना नदी पर
बनाये जाने वाले किसान रेणुका तथा
लस्कर बाधों की वर्तमान स्थिति क्या
है तथा उपरोक्त बाधों के निर्माण के
लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये
जा रहे हैं?

19.9.2007

लस्कर बाध ताम के किसी बाध की कोई
प्रस्तावना नहीं है। यमुना पर तीन बाधों रेणुका
बाध किसान बाध और लखवार-व्यासी
बाध के निर्माण की प्रस्तावना है। क्योंकि ये
अन्तर्राज्यीय परियोजनाएँ हैं हरियाणा सरकार
इन बाधों के शीघ्र निर्माण तथा लाभों को
हिस्सेदारों में विभाजित करने के लिए बेसिन
राज्यों के मध्य समझौता करवाने के लिए
भारत सरकार के साथ तत्परतापूर्वक पेरवी

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(7.7.2009)

इन बाधों के निर्माण के मामले पर
अपर यमुना रिवर बोर्ड में एक बैठक
11.2.08 को हुई जिसमें हरियाणा
ने इन बाधों के जल्दी निर्माण पर
जोर दिया। योजना आयोग में
24.4.08 को हुई बैठक में हरियाणा
ने रेणुका किसान और लखवार
व्यासी बाधों से पानी और बिजली
की उचित हिस्से की मांग की।
30.12.08 को हुई अपर यमुना

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

कर रही है।

रिवर बोर्ड की बैठक में यह बताया गया कि भारत सरकार ने इन बांधों की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दे दिया है जिसके अन्तर्गत सरकार इन योजनाओं में सिंचाई तथा पीने के पानी के खर्चे पर 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि रेणुका बांध के शीघ्र निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये जल्दी रिलीज कर दिए जाए। इस विषय पर केन्द्रीय जल ससाधन मंत्रालय में सचिव, जल ससाधन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं।

(7709)

19 9 2007

69 ताराकित प्रश्न संख्या 731 के सदस्य में श्री उदयमान द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न *** अध्यक्ष महोदय

***अध्यक्ष महोदय इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हरियाणा के हितों के

इस विषय पर विधान सभा में 24 9 07 को विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय की

The Committee would like to know the latest position

1994 में आत्मघाती यमुना जल समझौता किया था। इस समझौते के कारण हमारे प्रदेश के हिस्से का लगभग 20 प्रतिशत पानी कम हो गया। इससे पहले हमारा 68 प्रतिशत पानी का हिस्सा था जो उसके बाद कम होकर 47.82 प्रतिशत रह गया। क्या मंत्री जी हरियाणा के हितों के लिए कुछ करेंगे? *** अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है कि यह जो इता आत्मघाती यमुना जल समझौता हुआ है उस यमुना जल समझौते को रद्द करने के लिए क्या सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आयेगी? दूसरी बात मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि रेणुका डैम बनन से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब हमें उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो हमें रेणुका बांध बनने से क्या लाभ होगा?***

70

श्री फूल चन्द मुलाना द्वारा पूछा गया तत्कालित प्रश्न संख्या 731 श्रीमान अध्यक्ष महोदय तथ्य के मद्दे नजर कि समझौता पूर्ण नहीं है क्योंकि

लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है और मैं on the floor of the House भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हरियाणा के हितों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। ***अध्यक्ष महोदय उदयमान जी ने जो जिक्र किया है इस बारे में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बाकायदा on the floor of the House कहा है कि इस मामले को हम वाबारा रिव्यू करायेंगे और जहां तक रेणुका डैम की बात है तो उसका पानी हरियाणा से होकर ही निकेलगा। यह तो नहीं है कि वह आकाश से गिर जायेगा या किसी टनल के अन्दर से निकर जायेगा। ***

19.9.2007

हम इस मामले में दोबारा से प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गम्भीर हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम

अध्यक्षता में एक 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं। (7.7.09)

in this regard
(7.7.09)

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(7.7.2009)

अपर यमुना रिवर बोर्ड की 30.12.08 को हुई बैठक में बोर्ड के सदस्य सचिव ने यह बताया कि भारत सरकार के विधि एवम्

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	राजस्थान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार को इस समझौते को पुनः निष्पादित करवाने के लिए आवश्यक पग उठाने चाहिए तथा तब पानी का अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए आग पग उठाने चाहिए।	वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर से बाल करेंगे। ओर अगर इन मामलों का रिव्यू करवाना पड़ा तो वह भी करवायेगे ताकि हरियाणा को उसका हक मिले।	न्यायालय मंत्रालय से यह राय ली गई थी कि क्या रेणुका और किशाऊ बाघों के संबंध में 1994 में जो तथाकथित समझौते हुए थे वह राजस्थान के हस्ताक्षरों के अभाव में वैध हैं या नहीं इसके उत्तर में विधि और न्यायालय मंत्रालय ने राय दी है कि यह समझौते वैध नहीं हैं और इन्हें दूसरों पर जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता। इसलिए इन परियोजनाओं के लिए नये समझौते करने पड़ेंगे। जब भी नये समझौतों की बात होगी हरियाणा अपने हितों का पूरा ध्यान रखेगा। (7709)	

12308

- 71 श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया नारनौल निर्वाचन क्षेत्र का गांव राय मलिकपुर बुढ़वाल सब माइनर जोकि नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी प्रणाली की घनताल माइनर से निकलती है के अन्तिम छोर पर पड़ता है। नोलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, घनताल माइनर और

ताराकित प्रश्न सख्या 816 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नारनौल निर्वाचन क्षेत्र के राय मलिकपुर, बनयाल तथा दोखेडा

गावों में नहरी पानी की सप्लाई अन्तिम छोर तक देने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए ?

बुढ़वाल सब माइनर की आन्तरिक सफाई का कार्य प्रगति पर है और 31 5 2008 तक पूरा कर लिया जायेगा । जवाहर लाल नेहरू प्रणाली में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा चुकी है और इस प्रणाली के पम्पो का पुनर्वास करके उनकी पानी उठाने की क्षमता बढ़ाई जा रही है । इन पम्पो में गाव राय मलिकपुर तक अन्तिम छोर पर नहरी पानी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा । नारनौल निर्वाचन क्षेत्र के गाव दौखेडा और बनयाल का क्षेत्र पहाड़ी है और जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई परियोजना की महेन्द्रगढ़ नहर प्रणाली की कमान सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है ।

12 3 08

(क) जी हा श्रीमान जी । जिला भिवानी में सेमग्रस्त भूमि का सुधार करने के लिए मिताथल-घुसकानी सम्पर्क ड्रेन के निर्माण की योजना बनाई है ।

(ख) यह योजना स्वीकृत की जा चुकी है और 30 6 09 तक पूरी होने की संभावना है ।

(ग) इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रणबीर महेन्ना द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 827 क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि—
(क) क्या जिला भिवानी के चाग, मिताथल गुजरानी, सै, फाल्गुवाम नाथुवास, घुसकानी तिगडाना, बडेसरा, जताई धनाना तथा मथाना गावों की सेमग्रस्त भूमि का सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है

72

क्र० सख्या	सदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) यदि हा, तो उक्त योजना की स्थिति क्या है तथा इस सबध में क्या पग उठाए गए तथा इससे किसानों को कब तक राहत मिलेगी तथा (ग) क्या राज्य सरकार ने इस सबध में केन्द्रीय भू जल बोर्ड के साथ चर्चा की है?

13 3 08

73 आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सबधी गैर सरकारी सकल्प का जवाब देने के दौरान।

**अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो एन सी आर चैनल की बात की है वह पलवल तक पानी लेकर जाएगी और उस पर 225 करोड रुपये का खचा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कार्य तीव्र गति से जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों ही इसकी आधारशिला रखी थी और 31 मार्च, 2009 तक यह चैनल बनकर तैयार हो जाएगा। **हृगचन्द डिस्ट्रीब्यूटरी को एक्सटेंड करने के बारे में जो मेरे साथी जौनापुरिया जी ने बात कही है उस पर भी हम विचार करेंगे। दूसरे जो गुडगाव कैनाल की कैमिसिटी बहुत ज्यादा है उसके लिए

गुडगाव कैनाल के साथ साथ हम एक छोटा चैनल बनाना चाहते हैं ताकि उससे पानी तेजी से फ्लो कर सके और जब एस टी भी लग जाएगा तब जो पानी आयेगा वह गुडगाव कैनाल में पानी सही तरीके से चले इसलिये हम साथ में एक छोटा चैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम उसका लैवल ठीक करके एक छोटा सा टैंक बनाकर एक 600 क्यूबिक की स्टोरेज बनायेंगे। **

13 3 08

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले भी कह चुका हूँ कि केन्द्र में हमारे जो वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर हैं उनसे इस बारे में बात चल रही है। सी डब्ल्यू सी से भी बातचीत चल रही है। जो प्रदेश गढ़ा पानी हमारे प्रदेश को भेज रहा है तो उनकी ही जिम्मेवारी बनती है कि वे हमें ट्रीटीड पानी दें। उन्होंने जिन प्राइवेट पार्टीज को ओखला और हैदपुर में ट्रीटमेंट प्लांट दे रखा है वे पानी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। हम उनसे इस मामले को टेकअप करेंगे।

आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सबधी गैर सरकारी सकल्प पर चर्चा के दौरान श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही है कि ये दिल्ली की सरकार के खर्चे पर एस टी पी लगाने की बात करेंगे लेकिन दिल्ली की सरकार हमें क्यों खर्चा देगी। हमारे बच्चों को गढ़ा पानी पीना पड़ता है हमारे पशुओं को गढ़ा पानी पीना पड़ता है और हमारी ही फसलों में गढ़ा पानी लगता है। अगर उसका खर्चा दिल्ली की सरकार देगी तो ही क्या ये वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे?

74

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

19 3 08

अध्यक्ष महोदय

75 श्री नृपेन्द्र सिंह सागवान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 941 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि -

(क) क्या लोहारू उठान सिचाई नहर प्रणाली पर लगी खराब मशीनरी/पम्प सैटो की मरम्मत/ बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा, तो खराब मशीनरी/पम्प सैटो की कब तक मरम्मत/बदले जाने की संभावना है तथा

(ख) क्या लोहारू उठान सिचाई नहर प्रणाली पर निर्मित पम्प हाऊसों की जीर्ण शीर्ष इमारतों/ढाचों की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा, तो उपरोक्त इमारतों/ढाचों की मरम्मत कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

(क) जी हा, श्रीमान जी लोहारू उठान सिचाई नहर प्रणाली पर लगी खराब मशीनरी/पम्प सैटो की मरम्मत/बदलने का कार्य पहले से ही प्रगति पर है और यह कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिये जाने की संभावना है,

(ख) जी हा, श्रीमान जी, पम्प हाऊसों के लिए निर्मित जीर्ण शीर्ष इमारतों/ढाचों की मरम्मत का कार्य पहले से ही शुरू किया हुआ है और यह कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

24 3 08

(क) मदीना जल सेवाए उपमण्डल रोहतक का मुख्यालय महम मे स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तदनुसार, बौंद जल सेवाए मण्डल, भिवानी तथा जल सेवाए मण्डल, भिवानी के कुछ क्षेत्र जोकि महम निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है, को भी प्रस्तावित महम उपमण्डल के साथ संयोजन करने की भी प्रस्तावना है।

(ख) महम मे उपमण्डल जून, 2008 मे खोले जाने की संभावना है। x x x

2 ****लेकिन मेरे माननीय साथी के क्षेत्र के अन्दर जो इलाका पडता है उसमे कई माईनर्ज है जिनकी टेल इनके यहा आकर खलम हो जाती है और उनका कंट्रोल भी भिन्न भिन्न डिविजनो मे होने की वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए निर्णय लिया है कि महम हल्के के लिए अलग से डिविजन बनाया जायेगा जिसके बारे मे मैने अपने जवाब मे भी चर्चा की है जहा तक माननीय साथी ने 'संभावना' शब्द की बात की है, इस बारे मे मै माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसको यथार्थ मे बदला जायेगा।

श्री आनन्द सिंह दागी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 960 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि - (क) क्या यह तथ्य है कि महम निर्वाचन क्षेत्र का इलाका तीन डिवीजनो अर्थात् रोहतक, जींद तथा भिवानी में पडता है जिसके कारण किसानो को भारी कठिनाई का सामना करना पडता है यदि हा, तो क्या महम निर्वाचनक्षेत्र के पूरे इलाके के लिए एक पृथक डिवीजन या सब डिवीजन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा

(ख) यदि हा, तो ऐसा प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है? x x x x x x

2 मंत्री जी ने अपने जवाब मे जहा संभावना शब्द का इस्तेमाल किया है इसकी जगह वे आश्वासन दें कि महम हल्के के सभी माईनर्ज को एक डिवीजन में कर दिया जायेगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	स्पर्कार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
77	डा शिव शंकर भारद्वाज द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 946 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि भिवानी घग्गर ड्रेन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?	26 3 08 श्रीमान जी योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 30 6 09 तक पूरा होने की संभावना है।		
78	श्री राम कुमार गौतम द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1009 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पतिहारी माईनर की लाईनिंग/स्तर को ठीक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि नारनौद निर्वाचनक्षेत्र में मसूदपुर गांव तक पानी पहुंच सके, यदि हा, तो इसे कब तक ठीक किए जाने की संभावना है?	1 9 08 जी हा श्रीमान जी। यह कार्य 31 मार्च, 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।		
79	ताराकित प्रश्न संख्या 1009 के संदर्भ में श्री रामकिशन फौजी द्वारा	1 9 08 स्पीकर साहब, आश्वासन दिया था तो काम भी करवायेंगे। खानक माईनर के लैवल में		

प्रोबलम है जिसको ठीक करवायेगे और दुर्जनपुर माईनर को भी ठीक करवाया जायेगा।

पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो दुर्जनपुर माईनर जो हासी नहर से निकलता है और दूसरा खानक माईनर जो सुदर नहर से निकलता है इनकी टेल ठीक नहीं है जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुँचता? जिसके कारण वहाँ कई सालों से बहुत विकृत हो रही है। मंत्री जी जब क्वारी आये थे उस समय किसानों ने इन दोनों माईनरो की टेल तक पानी पहुँचाने की माग की थी और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है।

2908

xxx(ग) गाव राय-मलिकपुर तथा बूढ़वाल मे नहरी पानी की आपूर्ति 31 3 09 तक की जाने की सभावना है। xxx

80

श्री राधे श्याम शर्मा, एम एल ए द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1017 क्या सिचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि
(ग) निजामपुर क्षेत्र के राय-मलिकपुर, बूढ़वाल तथा मोखूता बामनवास

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
५०१	२	३	४	५

गावों में नहरी पानी की आपूर्ति कब तक की जाएगी?

५२

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
POWER DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा को गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

81 श्री सोमवीर सिंह, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 221 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि

(क) क्या यह तथ्य है कि सिंचाई विभाग ने लोहार नहर के पम्प हाउसों के लिए अपनी अलग लाईन ली है परन्तु आम किसानों को इन लाइनों से नलकूप कनेक्शन दिए गए हैं जिसके कारण अधिक लोड पड़ने पर बार बार ये पम्प हाउस बन्द हो जाते हैं

(ख) क्या सिंचाई विभाग की अलग लाईन से अन्य कनेक्शन को काटने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा तो ये कनेक्शन कब तक काट दिए जाएंगे

(ग) नहर के लिए 33 के वी बिजली घर बेरला का निर्माण कब तक किया जाएगा तथा

(घ) क्या पम्प हाउसों पर लगाए गए ट्रांसफार्मरों या कम क्षमता वाले अन्य उपकरणों को बदलने या मुरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इनके कब तक बदले जाने या मुरम्मत किए जाने की संभावना है ?

15 12 2005

(ख) हा श्रीमान इन कनेक्शनों को अन्य ग्रामीण फीडरो पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है तथा यह शिफ्टिंग का कार्य दो महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) लोहार पम्प घर पर कम क्षमता ट्रांसफार्मरों तथा पुराने विद्युत उपकरणों को बदलने के लिए एक प्रस्ताव है तथा इन्हें 6 महीने के अंदर बदल दिया जाएगा।

(क) सिंचाई विभाग ने लोहार नहर के पम्प हाउसों के लिए अलग लाईन तो रखी है तथा अब इस पर किसानों को कोई नलकूप कनेक्शन नहीं है।

(ख) आज के दिन सिंचाई विभाग के अलावा इस लाईन पर किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है।

(ग) नहर के लिए अलग से 33 के वी बेरला बिजली घर की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान नेटवर्क नहर के लिए पर्याप्त है।

(घ) पुनर्जामिन करा लिया गया है कि पम्प हाउसों की क्षमता के अनुसार ही विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं विद्युत उपकरण चाहे पुराने हो गये हैं पर अभी ठीक काम कर रहे हैं तथा समय-समय पर इनकी मरम्मत भी का जा रही है।

(18 12 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard
(22 1 2010)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(B & R) BRANCH

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-12 2009)

- 82 ताराकित प्रश्न संख्या 396 के संदर्भ में श्री हरि सिंह नलवा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
- “अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 1993-94 में पानीपत में कोई बाईपास बनाने की योजना है और साथ ही 1993-94 में हरियाणा के कौन-कौन से ऐसे और शहर हैं जहां पर बाईपास बनाने की योजना है।
- 26-2-93
- अध्यक्ष महोदय सरकार का जीन्द, नारनोल झंजर, रिवाडी और पानीपत में बाईपास बनाने का प्रावधान है।
- नारनोल बाईपास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हरियाणा राज्य सड़क एंव सेतु विकास निगम के माध्यम से तैयार करके मुख्य अभियंता (नाबाई) को नाबाई ऋण परियोजना के अन्तर्गत लेने के लिए भेजी जा चुकी है। झंजर बाईपास हरियाणा राज्य सड़क एंव सेतु विकास निगम से संबधित नहीं है। इस कार्य की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत 32 64 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो चुकी है। इस सड़क की लम्बाई 6 08 किलोमीटर है। भूमि अधिग्रहण का कार्य भूमि अधिग्रहण की धारा IV व VI के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत राशि जमा करवा दी गई है। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करनी शेष है। सड़क निर्माण का कार्य एजेंसी को आवंटित कर निग

गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 30.10.2010 है।
(15.6.09)

The Committee would like to know the latest position in this regard
(16.12.2009)

18-3-2002

****हम पूरा रूप से केन्द्र सरकार से इस मामले में जुड़े हुए हैं और उनसे हमारी खतोखिताबत जारी है और वे भी इस बात को सिद्धान्त रूप से मान रहे हैं कि यहाँ एक एलीवेटिड पुल बनना चाहिये इसलिए इसके लिए हम केन्द्र सरकार से आग्रह कर सकते हैं बार-बार जोर दे सकते हैं। हम प्रयासरत हैं और ज्यों ही वे इसका निर्णय देंगे उनके निर्णय के बाद बहुत जल्द ही इस पुल को हम बना देंगे।

ताराकित प्रश्न सख्या 856 के सदर्थ में श्री राजेन्द्र सिंह बीसला द्वारा पूछा गया अनुपूर्व प्रश्न—अध्यक्ष महोदय **** नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया में कोई एलीवेटिड कारीडोर बनाने का प्रपोजल पैपिडग पड़ा है और हम 20 सालों से रोपीट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से यह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। इसलिए क्या इसके लिए कोई विशेष प्रयास किया जायेगा?

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 2 पर बदरपुर में ऊपरगामी (एलीवेटिड) छ लेन हाईवे बनाने का कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाना है जबकि राज्य सरकार ने प्रोजैक्ट व स्टेट स्पॉर्ट एग्रीमेंट की इन प्रिंसीपल स्वीकृति दे दी है। एन.एच.ए.आई. द्वारा वे कार्य अलाट हो चुका है। निर्माण कार्य 9/2008 से शुरू होने की सम्भावना है और 9/2010 तक पूरा करने की सम्भावना है।
(15-6-09)

20-3-2002

(क) हा. श्रीमान जी,
(ख) समय अवधि को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard
(16-12-2009)

यह कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए कन्सेशन एग्रीमेंट साईन 6.11.07 को हो चुका है। 36 महीने की अवधि में कार्य पूरा होने की सम्भावना है।

(15.6.09)

83

84

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आस्थापन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) यदि हा तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

85 ताराकित प्रश्न संख्या 1212 के संदर्भ में श्री रमेश कुमार खटक द्वारा पूछा गया अनुपूर्व प्रश्न- अध्यक्ष महोदय x x क्या सी०पी०एस० महोदय इस बारे में बताएंगे, अध्यक्ष महोदय मेरी मुख्यमंत्री महोदय से भी रिवैस्ट है कि वहा पर (गोहाना में) किसानों को सुविधा और शहर की सुविधा को देखते हुए वे क्या गोहाना में बाईपास बनवाएंगे ?

30-10-2002
*****बाकी जहां तक गोहाना बाईपास बनाने का मामला है मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह मामला भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है ओं जब भी भारत सरकार से मजूरी मिल जाएगी तो यह काम हम करेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-12 2009)

एन एच ए आई द्वारा पानीपत रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 71 ए को फोर लेनिंग करने के लिए एन एच डी पी के तहत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस फोर लेनिंग के प्रोजेक्ट में गोहाना शहर का बाईपास भी शामिल है। एन एच ए आई ने इस प्रोजेक्ट को पी पी पी ए सी से स्वीकृत करवाने के लिए प्रस्तुत कर दिया है।

(15 6 09)

86 श्री लीला राम द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1830 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या केवल शहर में जीन्ड सड़क से खनोरी सड़क तक नए बाईपास के निर्माण का कोई

29 9 2004

हा श्रीमान जी उपरोक्त मामले में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डेढ़ वर्ष में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard (16 12 2009)

इस बाईपास पर मिट्टी का कार्य विभाग की यांत्रिक विंग द्वारा प्रगति पर है। इस कार्य का 1213 18 लाख रुपये का परिशोधित कच्चा

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हा तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

87

ताराकित प्रश्न सख्या 27 के सदर्थ मे श्री ए० सी० चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न स्पीकर सर, मे रेलवैट क्वेश्चन पर ही आपके माध्यम से आनरेबल मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी भिवानी मे रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की बात कही गई थी। यह मान लिया कि वहा पर गरीब अनाथ बच्चों का आश्रम बीच मे आता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वहा पर इसके आल्टरनेट के रूप मे सब-वे या अदर ब्रिज बनाकर लोगों की समस्या का हल करेगी ताकि वह आश्रम भी वहा कायम रहे और लोगों की जो बहुत बड़ी पीडा है उसका भी निवारण हो सके।

9-6-2005

स्पीकर सर जैसा मैंने पहले दूसरे माननीय सदस्य के सवाल के जवाब मे बताया था कि वहा पर दोनो तरफ बिल्डिंग होने की वजह से ऊपर और नीचे की खुदाई करना संभव नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहा पर लोगों के मकानो और उस अनाथ आश्रम को भारी क्षति पहुंचेगी। फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको हम टैक्नीकली एंजायिन करना लगे।

अनुमान सरकार को भेजा गया था परन्तु सरकार ने चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होते तक लम्बित रखने का फैसला लिया है। निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही इसके बाद की जाएगी।

(15 6 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-12-09)

यह कार्य आबटित कर दिया गया है। कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण इन्वाल्व है जिसके लिए मामला सरकार को भेज दिया गया है। यह कार्य 26 11 07 को आबटित किया गया था भूमि अधिग्रहण न होने के कारण कार्य शुरू करने की अवधि 27 7 08 से प्रारम्भ की गई थी। भूमि अधिग्रहण हो चुकी है तथा लगभग सात महीनो की अवधि मे एजेंसी ने केवल दो टैस्ट पाईल ही लगाई थी। एजेंसी की कार्य करने मे असफलता को देखते हुए उसका कन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दिनांक 23 2 09 को टरमीनेट कर दिया गया है तथा शेष कार्य के लिए ताजा टेंडर कॉल किए जा रहे है। (15 6 09)

क्रम संख्या	सर्वर्ण	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

16-6-2005

- 88 श्री अर्जुन सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 94 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि
- (क) क्या यह तथ्य है कि छछरौली निर्वाचन क्षेत्र में सड़के बहुत बुरी अवस्था में हैं तथा यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर सकारात्मक में हो तो इन सड़कों की मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?
- (ख)

(क) तथा (ख) कुछ सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। इनमें से कुछ सड़कों की विभिन्न योजनाओं के तहत मरम्मत करने का प्रस्ताव है। यद्यपि इसकी कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती, फिर भी राज्य सरकार इनको जल्दी मरम्मत करने का प्रयत्न करेगी।

श्रीमान जी यह सूचित किया जाता है कि छछरौली निर्वाचन क्षेत्र में जो सड़के बुरी हालत में थी उन सभी की मरम्मत वर्ष 2008-09 के दौरान शीर्ष 3054 में (प्राथमिकता न 1) कर दी गई है और कुछ सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता न 2 में वर्ष 2009-10 में कर दी जायेगी।

यह भी ध्यान में लाया जाता है कि यह क्षेत्र क्यूरी जॉन में आता है, जिसके कारण यहां बहुत सारी सड़कों पर अत्यधिक भार वाले वाहन चलते हैं, जो सड़कों को जल्दी खराब कर देते हैं इनमें से एक बे के डी (बुडिया खादरी-देवघर) जिस पर अत्यधिक यातायात है, को नाबाड़ में बनाने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

(15 6 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-12 2009)

ताराकित प्रश्न सख्या 447 के सदर्थ में श्री रामकिशन फौजी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत के कारण इस रोड के लिए 1775 64 लाख रुपये का बजट पास किया गया था और आज से 11 महीने पहले इस काम के लिए टेडर हुए थे और काम शुरू हुआ था। प्रश्न के उत्तर में गलत काम किये ठेकेदार ने इस काम में गलत काम किये हैं इसलिए इसकी इक्वायरी चल रही है और इक्वायरी पूरी होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक 11 महीने हो चुके हैं इसलिए यह काम शुरू करवाया जाना चाहिए। हाजमपुर से तोशाम और हासी से तोशाम की सड़को की बहुत बुरी हालत है। मंत्री जी बताएं कि कब तक यह इक्वायरी पूरी करवाकर इस काम को शुरू करवा देंगे?

22-3-2006

स्वाकर सर जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि 1775 64 लाख रुपये इस सड़क के लिए सरकार ने दिए थे। इस सड़क की लम्बाई 63 50 किलोमीटर है। स्मीकर सर सरकार ने 15 4 2005 को भिवानी डिवीजन के लिए ओर 22 7 2005 को चरखी दादरी डिवीजन के लिए ठेकेदार को कान्ट्रैक्ट भी दे दिया था। मेटेलिक स्टेज पर यह काम भिवानी डिवीजन में हो चुका था और आगे भी यह काम जारी है। लेकिन वहां के लोगों से उस कान्ट्रैक्टर की काफी शिकायतें आईं जिसके बाद विभाग ने उसकी शिकायतों की जांच के आदेश दे दिए। जांच पूरी होने के बाद अगर उस कान्ट्रैक्टर के काम में कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस समय ऐसी सड़क बनाने का कोई लाभ नहीं होगा जो बनने से पहले ही टूट जाए। स्मीकर सर, वहां के नागरिकों की शिकायत पर ही जांच के आदेश दिए गए हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि यह काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-12 2009)

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यकारी अभियन्ता दादरी तथा कार्यकारी अभियन्ता, भिवानी ने कार्य को करने के लिये पहले ठेकेदार (श्री करतार सिंह) के जोखिम लागत पर कार्य को पुनः पत्र क्रमांक 1363/आर 2 दिनांक 7 8 08 और पत्र क्रमांक 2394/आर-2 दिनांक 18 9 08 को टेंडर आबंटित किये हैं तथा कार्य 30 6 09 तक पूरा हो जाएगा।

(15 6 09)

क्रम संख्या	सदस्य	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

90 तारांकित प्रश्न संख्या 733 के सदस्य मे श्री राम किशन फौजी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि हमारे वहां हासी-तोशाम और तोशाम होते हुए सूदीवास रोड है। इस बारे में मैंने और चौधरी सोमवीर जी ने पिछले सेशन में भी प्रश्न पूछा था। इसकी एप्रूवल भी हो गई बजट भी अलॉट हो गया था और ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया था लेकिन आज तक यह रोड नहीं बना है। वहां पर तीन-तीन चार-चार फिट के गड्ढे पड़े हुए हैं जिसके कारण लोगो को बहुत असुविधा होती है। यह स्टेट हाई-वे है जो हाजमपुर से शुरू होता है और हासी तोशाम लोहारू और सूदीवास होते हुए राजस्थान बॉर्डर पर जाता है। मंत्री जी इस स्टेट

अध्यक्ष महोदय मैं सदन में माननीय साथी को आशवासन देना चाहूंगा कि जिस सड़क का माननीय साथी जिक्र कर रहे हैं इसको ठीक भी करवाया जायेगा और इसकी मरम्मत भी करवाई जायेगी।

18 9 2007

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यकारी अभियन्ता, दादरी तथा कार्यकारी अभियन्ता, भिवानी ने कार्य को करने के लिये पहले ठेकेदार (श्री कस्तार सिंह) के जोखिम लागत पर कार्य को पुन पत्र क्रमांक 1363/आर 2 दिनांक 7 8 08 और पत्र क्रमांक 2394/आर-2 दिनांक 18 9 08 को टेंडर आबटित किये है तथा कार्य 30 6 09 तक पूरा हो जाएगा।

(15 6 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-12 2009)

हाई--ये को कब तक बनवायेगे।

91

श्री दरियाव सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1331

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि झुंजर शहर में एक बाईपास के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है यदि हा तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की सम्भावना है ?

11 3 2003

हा श्रीमान जी। वर्तमान स्थिति में समय निधारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार को इस बाईपास निर्माण के लिए सहमत होना है।

92

ताराकित प्रश्न संख्या 801 के सन्दर्भ में श्री नरेश यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता है। स्पीकर सर, मैंने जितनी भी रोडज दी है ये सभी राजस्थान से जुड़ने वाली लिंक रोडज है। राजस्थान सरकार ने ये पूरी रोडज बोर्डर तक बना दी है। ये सभी 10 सड़कें हरियाणा से लिंक रोडज है। ये सभी सड़कें आधा एक या दो किलोमीटर लम्बी है सिर्फ एक सड़क ही 6 किलोमीटर लम्बी है। इसके अलावा हमारे यहां

10 3 2008

****अध्यक्ष महोदय, ये जिस एक गांव शाहपुर दोयम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर कोई भी एप्रोच रोड नहीं है। इनका कहना सही है इसलिए मैं इनको आश्वासन देता हू कि हम उस गांव की सड़क अवश्य बनवा देंगे क्योंकि उस गांव में कोई एप्रोच रोड नहीं है।

क्रम संख्या	सदस्य	दिनांक/आस्थापन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पर शाहपुर दोयम गाव है जो कि बहुत बड़ा गाव है और वह गाव हरियाणा मे अकेला ऐसा गाव है जो सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। मंत्री जी का अपने जवाब मे यह कहना कि प्रश्न ही नहीं उठता सही नहीं है, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सड़कें सभी शर्तें पूरी करती हैं और इनको अभी तक नहीं बनाया गया है।

11 3 2008

हा श्रीमान जी, बाई-पास की सभाविता की जाच करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। बाई-पास के निर्माण के बारे निर्णय सभाविता रिपोर्ट की जाच के बाद लिया जायेगा।

श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 814 क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नारनौल शहर के लिए एक बाई-पास के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा तो उस पर कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

ताराकित प्रश्न सख्या 814 के सर्वर्ष मे श्री बलवन्त सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न

***क्या अम्बाला शहर मे बाई-पास बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है और अगर विचाराधीन है तो यह बाई पास कब तक बनाया जाएगा?

11 3 2008

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अम्बाला में 4 लेनिंग का काम चल रहा है और अम्बाला में पुल का काम चल रहा है। फिर भी हम माननीय साथी की बात को एजामिन करके कंसल्टेंट अप्वायट कर देने।

श्री भूपिन्ध चौधरी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 862 क्या लोक निर्माण (मवन एंव सडके) मंत्री कृपया बतायेगे कि क्या पटौदी निर्वाचनक्षेत्र इलाके में विभिन्न योजनाओं के अधीन नई सडको के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा, तो उन सडको के नाम क्या है तथा ऐसी सडको का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

11 3 2008

हा, श्रीमान जी पटौदी से रिवाड़ी तक वाया जाट जाटीं 540 किमी की लम्बाई की सडक अनुमोदित की गई है। इस कार्य के लिए निविदाएं 17 3 08 को प्राप्त होने की संभावना है जिसके अनुसार कार्य 6 मास में पूर्ण होना है।

क्रम संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

96 श्री नृपेन्द्र सिंह सागवान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 828 क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बतायेंगे कि दादरी में रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है तथा उक्त उपरि पुल के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है।

13 3 2008

97 श्री सोमवीर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 922 क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बतायेंगे कि -
(क) क्या तोशाम-बहल-सुदीवास सड़क को चौड़ा करने का भरमत्त करने का कार्य किसी कम्पनी/ठेकेदार को सौंपा गया था, यदि हा, तो उक्त कार्य के कार्यान्वयन में देरी के

13 3 2008

(क) तथा (ख) हा श्रीमान जी इस सड़क के निर्माण का कार्य अलग अलग तौर पर भिवानी मंडल के लिए दिनांक 15 4 2005 को तथा चरखी दादरी मंडल के लिए 22 7 2005 को श्री करतार सिंह ठेकेदार को आबद्धित किया गया था। कार्य को गुणवत्ता मुद्दे के कारण 11/2005 में रोक दिया गया था। कार्य से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य

जल्द ही आरम्भ होने की सम्भावना है।

कारण क्या है, तथा
(ख) ऊपर के भाग (क) में यथा
निर्दिष्ट सड़क को चौड़ा करने तथा
मरम्मत करने का कार्य कब तक
पूरा किए जाने की सम्भावना है?

14 8 2008

डबवाली सागरिया सड़क को पिछली बार
तीन फेसिज में रिकारेपेट किया गया था -
(i) सितम्बर, 2005 के दौरान किमी
2.15 से 28.00 तक।

(ii) xxxxx

सड़क के क्रमांक (i) तथा (ii) के हिस्से की
हालत सतोषजनक है तथा एजेंसी को सड़क
क्रमांक (ii) के हिस्से को मरम्मत करने की
हिदायतें दे दी गई हैं।

14 3 2008

***जहां तक फेस 2 की बात है उसकी
प्रीवियस रिकार्पेटिंग सितम्बर 2005 में
कम्प्लीट की गई और 2007 तक इस
सड़क की कंडीशन ठीक रही। किसी सड़क
की रिकार्पेटिंग के लिए यह कंडीशन होती
है सड़क कम से कम 3 साल तक चलनी
चाहिए। इसकी थिकनैस की जहां तक

98 डा सीता राम द्वारा पूछा गया
ताराकत पश्न सख्या 808 क्या
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)
मन्त्री कृपया बतायेगे कि
डबवाली-सागरिया की रिकार्पेटिंग
(मरम्मत) गत समय किस तिथि को
हुई थी तथा उक्त सड़क की मरम्मत
कब तक की जायेगी क्योंकि इस
समय यह सड़क बहुत खराब अवस्था
में है?

99 ताराकत प्रश्न सख्या 808 के सदर्थ
में डा सीता राम द्वारा पूछा गया
अनुपूरक प्रश्न - अध्यक्ष महोदय, मैं
यह कह रहा हूँ कि पार्ट 2 और 3
का कार्य सतोषजनक नहीं है क्योंकि
मैं अक्सर उस एरिया की तरफ
जाता रहता हूँ। यह सड़क बिल्कुल

क्रम	संक्षेप	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

टूटी हुई है और इसके टूटने का भी कारण है क्योंकि राजस्थान के अन्दर जयपुर हाईवे चार लेन का बन रहा है वह रतनगढ़ से होता हुआ हनुमानगढ़ रावतपुर तक जाता है उसकी वजह से राजस्थान से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। रोड के ऊपर अतिरिक्त लोड होने के कारण यह सड़क जल्दी टूट जाती है। अगर इसकी रिपेयर भी करवाई जाएगी तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसलिए मंत्री जी नैशनल हाईवे की तर्ज पर इसकी रिकॉपेटींग करवाने का क्या कोई प्रावधान करेंगे ताकि यह लम्बे समय तक चले सके। क्या मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे?

14 3 2008

****स्पीकर सर, हमारी कण्डीशन है कि कम से कम दो साल के बाद सड़क की मरम्मत होती है और तीन साल के बाद उसकी रिकॉपेटींग का काम करवाया जाता

100 ताराकित प्रश्न संख्या 808 के सदर्भ में ईश्वर सिंह पलाका द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - स्पीकर सर मे आपके माध्यम से माननीय मंत्री

महोदय को बताना चाहता हू कि लाडवा दू मुस्तफाबाद रोड में बहुत ज्यादा गड़दे पड़े हुए हैं। क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रोड की मरम्मत करवाने का कोई प्रावधान सरकार ने रखा है। इस सड़क की रिपेयर का काम होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस रोड को चौड़ा करने का भी कोई विचार है, यदि हा तो इसको कब तक किया जाएगा ?

है। हम इस रोड को दिखवा लेंगे और अगर इस रोड की कंडीशन खराब है तो इसकी रिपेयर कराया देगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से डा सीता राम जी को यह बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में प्राईम मिनिस्टर सड़क योजना के तहत चोरम खेडा से लेकर चुकरिया रोड और सकता खेडा से मुरपल्ला खेडा की दो सड़कें हैं जो 13 करोड 14 लाख रुपये की लागत से बनेगी और इन पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री रोड योजना के तहत इस रोड को 12 फुट से बढ़ा कर 18 फुट चौड़ा किया जाना है जिसके लिए 13 करोड 14 लाख रुपए लगेंगे।

14 3 2008

101 ताराकित प्रश्न सख्या 808 के सदस्य ने श्री रणदीर सिंह महेन्द्रा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डाक्टर भारद्वाज ने कहा कि इन सड़को का काम पी डब्ल्यू डी को दिया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। मेरे हल्के के गांव मिताथल बाई पास हरिजन बस्ती के पास से निकलता है और जताई

अध्यक्ष महोदय, हम अधिकारियों को निर्देश देगे कि वे वहा जाकर इस बारे मे जाच करे। जो भी इस मामले मे दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेगे और इन सड़को की रिपेयर का काम जल्दी करवाएगे।

क्रम संख्या	सदस्य	विनायक/आवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गाव की सडकें बनने का काम दो साल से मजूर हुआ पड़ा है। जब विभाग के अधिकारियों से पूछते हैं तो यह जवाब आता है ठेकेदार किसी और जगह काम में लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से रिव्यू कराना चाहता हूँ कि इन सडकों की रिपेयर के काम को एक्सपेडिईट करवा दें।

102 ताराकित प्रश्न संख्या 874 के सदस्य मे डॉ शिव शंकर भारद्वाज द्वारा पूछा गया अनुपूर्क प्रश्न अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि एक सडक तो काफी कम है इसलिए कम से कम दो सडकें तो जरूर बनवा दें। रूपगढ से ढाणी जगा की अपनी पचायत नहीं है और रूपगढ के साथ उनकी

1832008

***जो उन्होंने रूपगढ से ढाणी रोड की बात कही है उसको जरूर सरकार बनवा देगी। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा।

ग्राम पचायत है। मेरा कहना तो यह है कि रूपगढ टूट जागी जगा की रोड अगर बनवा देंगे तो उससे वहाँ के ग्रामवासियों को काफी फायदा हो सकता है।

103 ताराकित प्रश्न सख्या 874 के सदर्थ मे श्री राम किशन फौजी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि मेरे हल्के में बोहर से खानक तक और किरावड से कुगड होते हुए गढी तक नयी सडक बनाने का कोई प्रावधान मंत्री जी ने रखा है?

18 3 2008

***मैं इनको बताना चाहूँगा कि 110 सडके ऐसी हैं जो कि पचायती राज द्वारा बनाई गई थी जिनको अब हमने टेकओवर कर लिया है जिसमे से 51 सडके रिपेयर कर दी है। जिस सडक का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसको भी हम रिपेयर कराएंगे यह मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन देता हूँ।

25 3 2008

***जैसा मैंने बताया कि जो रेलवे का इसमें शेयर है वह 1028 65 लाख रुपये है जबकि सरकार का शेयर 1336 72 लाख रुपये है। यह काम मैसर्ज जू डवैल्प्स प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया है। इसमें जो रेलवे का पोर्शन है उसके टैडर 20 3 2008 को रिसीव कर लिए गए हैं

104 ताराकित प्रश्न सख्या 844 के सदर्थ मे श्री एस एस सुरजेवाला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न स्पीकर सर, मंत्री जी ने इस प्रोजैक्ट की कैबल में ROB बनाने बारे जो टोटल कॉस्ट के बारे में नोट फॉर पैड में बताया है कि यह करीब 23 करोड

क्रम संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

65 लाख रुपये हैं। इसके लास्ट पैरा में इन्होंने यह लिखा है कि update expenditure of this work is 26 21 lacks यानी करीब 26 करोड़। सीकर साहब, जो 23 करोड़ और 26 करोड़ में वैरीएशन है क्या मंत्री जी इसके बारे में भी बताएंगे?

105 ताराकित प्रश्न संख्या 844 के सदस्य मे डा सीता राम द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - सिरसा और मंडी डबवाली के आर ओ बी के बारे में भी मंत्री जी कृपया जबाब दे दे।

25 3 2008

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनका सिरसा डबवाली का पोर्शन है इसके टैंडर कर लिए गए हैं और ये उम्मीद है कि जो आर ओ बी डबवाली है इसको 2009-10 के प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा।

24 3 2008

106 श्री नरेश यादव द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 965 क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या निम्नलिखित सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

(क) केवल क्रमांक संख्या-7 पर लिस्ट की गई सड़क पर ही निर्माण के लिये विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये सरकार ने 1888 लाख 38 हजार रुपये 54 87 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने के लिए प्रधान मंत्री

- है -
- 1 मोहल्ला से रामचन्द्रपुरा वाया रताकला,
 - 2 रताकला से कलवाडी,
 - 3 गोकलपुरा से बिहली वाया बेगुपर अटेली
 - 4 मीलवाडा से नावडी आश्रम (नारनौल से रेवाडी सडक तक)
 - 5 महासर से रघुनाथापुरा (निरधरपुर मोड तक)
 - 6 कारिया से बोचडिया , तथा
 - 7 सराय से शाहपुर दोयम तक ,
- ग्रामीण सडक योजना के तहत दिए गये है । इन सडको मे सरकार ने मुख्यत अटेली खेडी रोड से राजस्थान बोर्डर तक, नारनौल से मढाना राजस्थान बोर्डर तक, महेन्द्रगढ से चामधेडा, भालखी दोगडा, सिलारपुर, अटेली रोड और अटेली से कनीना रोड रेवाडी से नारनौल जो कि स्टेट हाईवे न 26 है और यहा से खोड, सिलारपुर, सीमा, दडौली अहीर से लेकर स्टेट हाईवे न 17 तक की सडके बनाने के लिए मजूर की है । इसके अलावा 2 सडके और हमने अटेली विधान सभा क्षेत्र की मजूर की है । एक सडक अकोली से खुरान राजस्थान बोर्डर तक जो कि 2 20 किलोमीटर लम्बी है जिस पर 17 लाख 31 हजार रुपये खर्च आयेगा और दूसरी सडक शोभापुर ये राजस्थान बोर्डर तक की है जो आधा किलोमीटर लम्बी है जिस पर 5 लाख 55 हजार खर्च आयेगा और जो सडक हमने कहा है कि अडर कन्सीडरेशन है इस पर भी 266 लाख अकेली पर खर्च आयेगा ।

24 3 2008

- 107 ताराक्ति प्रश्न सख्या 965 के सदर्भ मे श्री अर्जन सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो बी के डी रोड का नाम लिया है पहले भी इसका जिक्र हुआ था और माननीय सदस्य

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	भरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यमुनानगर में जो बी के डी रोड है जो कि 100-150 गांवों को जोड़ती है और जिस पर स्टोन क्रैशर जॉन भी पड़ता है, क्या मंत्री जी इसको बनवाने का कोई प्रावधान करेंगे?

25 3 2008

108 ताराकित प्रश्न संख्या 844 के संदर्भ में श्री जय सिंह राणा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी और तरावड़ी के दो आर जो भी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

**वैसे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि तरावड़ी का आर जो भी बनाने के लिए मंजूर हो चुका है और इस पर जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी नीलोखेड़ी के आर जो भी का मामला सरकार के विचाराधीन है।

25 3 2008

109 ताराकित प्रश्न संख्या 961 के संदर्भ में श्री आनन्द सिंह दागी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न **यह क्वेश्चन बहुत ही अहम सडक के बारे में है

अध्यक्ष महोदय, बहुअकबर, मदीना और खरकड़ा ये तीनों ही गांव एन एच 10 जो रोहतक से महम की तरफ जाता है उस पर पड़ते हैं। एन एच 10 वैसे दिल्ली से हिसार

जो दिल्ली से लेकर अबोहर फ्राजिल्का तक जाती है। यह सड़क ठीक न होने की वजह से बहुअकबरपुर, मदीना और खरकड़ा इन तीनों गावों में इतना बुरा हाल है कि वहाँ न तो पानी की निकासी के लिए कोई साधन है और मदीना गाव में तो नेशनल हाईवे की सड़क पर एक एक फुट के गहरे गड्ढे हैं। इन तीनों गावों की आबादी 20-20 हजार की है। इन तीनों गावों में ट्रैफिक के आवागमन इतने हैं कि हर एक मिनट में एक दर्दीकल वहाँ से निकलता है इसलिए वहाँ पर डिवाइडर भी बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही पानी की निकासी के लिए ड्रेन बनाने के बारे में भी वहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। ड्रेन बनाने के लिए स्पेस भी है और जमीन ऐक्वायर करने की जरूरत भी नहीं है।** मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दे।

रोड है और इस रोड को बनाने का काम सरकार ने नेशनल हाईवे अथोरिटी को ट्रांसफर किया हुआ है। माननीय सदस्य की इन्फर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इन तीनों गावों के बाई पास बनाने के लिए सरकार की एक प्रपोजल है ताकि बाई पास बनाने के बाद जो गावों के बीच से ट्रैफिक निकलने की समस्या है वह दूर हो जाए। बहुअकबरपुर के बाई पास का काम आलरेडी चल रहा है। मदीना गाव के बीच में से होकर जाने वाली जो सड़क खराब है उसको हम एच आर डी एफ के माध्यम से बनवा देंगे और इसके दोनों तरफ ड्रेन जरूर बनवा देंगे।** जहाँ तक डिवाइडर की बात है तो इसके बारे में हम एग्जामिन करवा लेंगे। उसके बाद ही मैं कुछ जवाब दे पाऊँगा। जैसाकि मैंने बताया है कि यह रोड नेशनल हाईवे अथोरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिए इस बाई पास को हम जल्दी ही पूरा करवा देंगे। 464 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट है। जो हमारे अधिकारी हैं वे इस पर जल्दी कार्यवाही करेंगे।** मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इनके गावों की सड़कों के गड्ढे भी

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ठीक करवाए जाएंगे और ड्रेन भी बनवाई जाएगी।

25 3 2008

110 श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 844 क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) हा, श्रीमान जी।
(ख) रेलवे उपरि पुल कैथल के लिए निविदा का आबंटन दिनांक 31 1 2008 द्वारा किया जा चुका है।

(क) क्या कैथल शहर की नगरपालिका सीमा से गुजरने वाली सड़क पर रेलवे उपरि पुल के निर्माण को हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दी थी

(ग) इस कार्य की कुल लागत 2365 37 लाख रुपये है एवं इसका निर्माण कार्य 30 9 2009 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) क्या उक्त उपरि पुल के निर्माण की निविदाएं आमंत्रित/आबंटित की गई हैं, तथा

(ग) पुल के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उक्त पुल के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की जानी है?

26 3 2008

****ठीक है हम गान्धरा गाव की सड़क को बनवा देंगे ।**

111 वर्ष 2008 09 के बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान श्री नरेश मलिक द्वारा पूछा गया सवाल-अध्यक्ष महोदय मैंने पिछली बार भी यह आवाज उठाई थी कि मेरे हल्के के पाकस्मा गाव से गान्धरा तक 22 फुट चौड़ा और दो किलोमीटर का कच्चा रास्ता है । अगर उसे सड़क बना दिया जाए तो पाकस्मा गाव के लोगों को बहुत फायदा होगा । अब अगर पाकस्मा गाव के लोगों को सापला आना हो तो उन्हें या तो नौनोन्द होकर जी टी रोड पर आना पड़ता है या किसरैटी, अटायल होकर सापला जाना पड़ता है जो कि 12-13 किलोमीटर का पड़ता है । अगर यह दो किलोमीटर का टुकड़ा बन जाए तो पाकस्मा गाव के लोगों की 6 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और लोगों को फायदा होगा ।

27 3 2008

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूँ कि हिसार से रोहतक और आगे रिवाड़ी

112 तारकित प्रश्न सख्या 948 के सदर्भ मे श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया द्वारा पूछ गया अनुपूरक प्रश्न स्पीकर

क्रम संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सर झज्जर से लेकर रिवाड़ी तक जो नैशनल हाईवे है हमने सुना है कि उसे डबल करने की परियोजना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यदि ऐसा है तो इस परियोजना पर कब तक काम शुरू हो जाएगा?

तक की सड़क जो एन एच 8 में मिलेगी उस सड़क की फोरलेनिंग मजूर हो चुकी है। पहले इसकी स्ट्रैथनिंग एण्ड वाईडनिंग के लिए सैट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही थी लेकिन हमारे अधिकारियों ने बड़ी मेहनत से इसकी स्ट्रैथनिंग और वाईडनिंग का केस तैयार करके सेंटर गवर्नमेंट को भेजा। भारत सरकार ने इस सड़क के लिए हा कर दी है और इसके टैडर भी हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के पास इस सड़क की वाईडनिंग का काम चल रहा है और रोहतक झज्जर रोड की वाईडनिंग का काम भी होगा और जल्दी ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा।

27 3 2008

113 ताराकित प्रश्न संख्या 973 के सदस्य
मे श्री रमेश कुमार गुप्ता द्वारा पूछा
गया अनुपूरक प्रश्न
अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम

अध्यक्ष महोदय यह पंहुवा से हरिद्वार वाया
पिपली, लाडवा रोड जो है यह 83 34
किलोमीटर लम्बी है। इसमें स्टेट की 72
34 किलोमीटर लम्बी सड़क है। अध्यक्ष

से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी एक बार पेहवा में जाएं थे और वहां पर उन्होंने एक घोषणा की थी कि पेहवा से हरिद्वार तक सड़क की फोरलेनिंग करने के बारे में कसीडर करेंगे। पेहवा धार्मिक रूप से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और यहाँ पर रेलवे लाईन भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी तथा आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस सड़क के लिए फण्डज ऐलोकेशन करके इस सड़क की फोरलेनिंग का काम जल्दी शुरू करने की कृपा करें।

महोदय, 83 34 किलोमीटर सड़क है इसमें से 11 20 किलोमीटर सड़क फोर लेनिंग है। इसमें से जो 72 14 किलोमीटर सड़क है वह फोर लेनिंग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 11 20 का ऐरिया एन एच 73 के अन्दर आता है। अध्यक्ष महोदय, फोर लेनिंग का स्ट्रैच जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तीसरे गेट से लेकर ज्योतिसर तक हैं यह 6 किलोमीटर का है दूसर पेहवा टाऊन से लेकर ज्योतिसर तक 16 किलोमीटर का ऐरिया है। इसको हमने सी आर एफ स्कीम के तहत अपने हैड ऑफिस मैमो नम्बर 4NH29J5 dated 5 5 2007 को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भेजा हुआ है और यह टोटल 22 किलोमीटर का ऐरिया पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में हमें जल्दी से सैक्शन मिल जाएगी। मजदूरी मिलने के बाद हम इस 22 किलोमीटर के ऐरिया को सी आर एफ स्कीम के तहत फोर लेनिंग करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय इसमें इनका जो एन एच 73 का 11 किलोमीटर का ऐरिया है वह भी आता है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय पचकूला से यमुनानगर होते हुए यूपी बोर्डर तक जो सड़क जाती है उसको भी फोर लेनिंग करने के लिए नेशनल हाईवे अथोरिटी एक प्रोजेक्ट

क्रम	सर्वभ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

बना रही है। इसके अलावा हमारी सरकार का भी एक परपोजल है कि यह जो पिपली से लेकर यमुनानगर वाया लाडवा तक सड़क है इसके लिए हमने एक डी पी आर प्रोजैक्ट बनाया है। इसके लिए हमने कसलैट भी नियुक्त कर लिया है। इसमें तकरीबन 128 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। हम इस सड़क को बी ओ टी बेसिज पर बनवाएंगे क्योंकि इस सड़क पर काफी हैवी ट्रैफिक चलता है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, अर्जन सिंह जी का जो ऐरिया है वहां पर भी बी ओ टी बेसिज पर सड़क बनवाने का प्रावधान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि हम इस फेस को एक महीने में बी ओ टी के बेसिज पर निपटाने की कोशिश करेंगे। विशेष तौर पर जहां पर कमर्शियल व्हीकलज निकलते हैं, जो डम्पर हैं, जो भारी सामान लेकर ट्रक आते हैं उनकी वजह से सड़क टूट जाती है। उस सड़क को हम बी ओ टी के लैवल पर बनवाएंगे। अध्यक्ष

महोदय हमने नारनौल एरिया में, यमुनानगर में, रमेश गुप्ता जी के एरिया में और मेवात के एरिया में भी पाच ऐसी सड़के आईडेंटिफाई करी है जिनको बीओटी के बेसिज पर बनवाएंगे। अध्यक्ष महोदय सोहना तक की सड़क को भी हम बीओटी बेसिज पर बनवाएंगे। हमने इस सड़क की डीपी आर तैयार कर ली है और जल्दी इस बारे में फैसला करेंगे। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रायपुर, लाडवा अप टू डिस्ट्रिक्ट बाउडरी ऑफ कुरुक्षेत्र दूसर सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड बावैन वाया खैरी खेरा इस पर हम 3 68 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। यह सड़क 10 11 किलोमीटर लम्बी है और इसको प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा एक और सड़क को 4 55 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया है। हमने बड़ा, दूधा, गाडली केरमीं दोधी, उमरी, इन्ड्री रोड है यह भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 14 40 करोड़ रुपये की मजुरी करवाई है। इसको भी हम जल्दी पूरा करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय सहारनपुर-कुरुक्षेत्र रोड है, उसको भी अण्डर डी एफ

क्रम संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सी at a cost of 339 करोड़ रुपये की लागत से हमने बनाया है इसकी लैंग्थ 793 किलोमीटर है।

27 3 2008

114 ताराकित प्रश्न संख्या 943 के संदर्भ में डा सुशील इन्दौरा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न

अध्यक्ष महोदय, सदन में सड़को की फोर लेनिंग, ऊपरगामी पुलों को बनाने और यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए कहा जा रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि फतेहाबाद के बीचो बीच नैशनल हाईवे नम्बर 10 निकलता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनवरी में वहाँ पर गए थे और लोगों ने वहाँ पर बाई पास बनाने की इनसे माग रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस बारे में आश्वासन

स्वीकर साहब, जहाँ पर भी रोडज पर कंजेशन है वहाँ हम जरूर ध्यान देंगे। फतेहाबाद की सड़क के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। मैं कहना चाहूँगा कि तीन साल हो गये हैं इन्होंने न तो इस बारे में मुझे लिखित में दिया है और न ही मुझ से इस बारे में कहा है। अभी दो दिन पहले ही असेम्बली में इन्होंने मुझ से जरूर इस बारे में बात की थी इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमें थोड़ा समझ दे। हम इस बारे में ऐग्जामिन करवा लेते हैं। श्री दुडा राम जी को भी इस सड़क की बड़ी चिन्ता है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस बारे में ऐग्जामिन करवा कर ही आपको कुछ बता पाऊँगा।

तो नहीं दे कर आए थे लेकिन कहा था कि फतेहाबाद में बाई पास बनाने का काम करेंगे। क्या इस बारे में मंत्री जी विचार करके कोई कार्यक्रम बनाएंगे।'

1115 ताराकित प्रश्न संख्या 943 के सदस्य श्री निर्मल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूर्व प्रश्न

‘स्पीकर सर, मंत्री जी ने अभी जिक्र किया है कि यमुनानगर जिले में बी ओ टी बेसिज पर रोड बनायी जाएगी। शायद यह बूडिया से मूड वाया देवघर सड़क है जो छछरीली हल्के में है। हम कब से देख रहे हैं कि यह सड़क अडर कन्स्ट्रक्शन है। मेरे ख्याल से शायद यह सड़क 6 साल से बनती आ रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब तक यह सड़क बन जाएगी और कितना बजट इसका है? स्पीकर साहब, शायद इसका बजट 70 करोड़ रुपये है लेकिन 70 करोड़ रुपये में कौन प्राइवेट आदमी इसको बनाने के लिए तैयार होगा?’

27 3 2008

स्पीकर साहब, दिक्कत यह आती है कि पब्लिक यह नहीं चाहती कि कोई भी रोड बी ओ टी बेसिज पर बने क्योंकि वहां से खास तौर से जो कार वगैर या नॉन कमर्शियल व्हीकल निकलते हैं तो उन लोगों में टोल टैक्स देने में रिजैटमेंट सी होती है। स्पीकर साहब, अगर हम बी ओ टी बेसिज पर उन सड़कों को नहीं बनाएंगे जहां से डम्पर वगैर निकलते हैं तो दिक्कत होगी क्योंकि उनकी वजह से सड़क जल्दी टूट जाती है। स्पीकर साहब सरकार यह विचार कर रही है कि आम पब्लिक पर उतना ही बोझ डालेंगे जितना उचित हो ताकि पब्लिक को दिक्कत न हो। हम एक महीने के अन्दर इस बारे में जल्दी ही फैसला कर लेंगे। स्पीकर साहब जिस सड़क का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसको भी और चार पांच सड़कों के बारे में श्री अर्जुन सिंह जी भी कह रहे थे, उनको भी हम

क्रम	सदर्म	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
सख्या				
1	2	3	4	5

टेकअप कर लेंगे।

28 3 2008

116 ताराकित प्रश्न सख्या 977 के सदर्म मे श्री फूल चंद मुलाना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न

अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जगाधरी रोड टू अम्बाला हिसार रोड मुलाना और नगल दोनो हल्को से होकर गुजरता है। दो साल हो गए इस रोड पर प्रधानमंत्री सडक योजना के तहत वाइडनिंग और स्टैथनिंग का काम शुरू हुआ था। मुझे बडे दुख के साथ कहना पडता है कि इस सडक पर बहुत बिलो क्वालिटी का काम हुआ है और काम पूरा भी नहीं किया गया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक यह रोड बना दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, जगाधरी अम्बाला रोड अपटू अम्बाला हिसार रोड पर कार्य चल रहा है। इस पर 7 90 करोड रुपये अब तक खर्च हो चुके है। जहा तक माननीय सदस्य ने बिलो क्वालिटी वर्क का जिक्र किया है इस बारे मे माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम इसकी जाच करवाएंगे और क्वालिटी मे कमी होगी तो जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। चाहे कोई कितना भी बडा अधिकारी क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

117

श्री उदय भान, एम एल ए द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 1023 क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) मंत्री कृपया बताएंगे कि पलवल से नोएडा जाने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है तथा इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

29 2008

यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा किया जाना है। मालूम हुआ है कि इसके जून 2009 तक आरम्भ होने की संभावना है। यह कार्य जून 2012 तक पूरा किये जाने की उम्मीद है।

♦

♦

♦

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Note —In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(2-6-2009)

(क) यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा स्थाई डिस्पोजल बना कर चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक अनुमान 65 30 लाख रुपये का वर्ष 2004 05 में स्वीकृत किया गया तथा कुल धनराशि वितरित की जा चुकी है। म्यूनिसिपल कमेटी से डिस्पोजल की जगह उपलब्ध न होने के कारण कार्य बंद पड़ा था लेकिन अब जगह उपलब्ध हो गई है जिसके तहत कार्य प्रगति पर है और इसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

(ख) इस कार्य के लिए एक अनुमान 49 10 करोड़ रुपये का केंद्रीय सरकार को घघर एक्शन योजना के तहत स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है परन्तु अभी इसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(13 3 09)

22-1-98

(क) 31-3-1998 रसा विभाग से मिली भूमि में बड़ी सीवर की लाईन लगाने की स्वीकृति आने तथा इस काम के लिये धनराशि उपलब्ध होने पर सीवर ज व्यवस्था के आगामी विस्तार पर विचार किया जाएगा।

(क) श्री अनिल विज द्वारा पूछे गए ताराकित प्रश्न संख्या 562 के सदस्य से— म्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) अम्बाला छावनी में चल रहा सीवर ज प्रणाली का निम्न कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है, तथा

(ख) क्या पूर्वोक्त शहर के ग्रेव क्षेत्र में सीवर ज प्रणाली बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री निशान सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 1037 —
 “क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि टोराना के रामनगर मोहल्ले में बरसानी पानी एकत्रित हो जाता है, यदि हा, तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं ?”

20-3-2002

हा श्री मान जी। रामनगर आबादी से हिसार-चण्डीगढ़ मार्ग तक 400 मीटर लम्बी आर०सी०सी० पाईप सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। बिजली से चलने वाले दो पम्पिंग सैट तथा एक डीजन से चलने वाले पम्पिंग सैट लगाए गए हैं। इस बस्ती के लिए 40 के०वी०ए० का एक डीजल जनरेटिंग सैट भी लगाया जा चुका है। इस प्रणाली में और सुधार करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

ताराकित प्रश्न सख्या 10० के सदर्थ में श्री अमीर चंद मक्कड़ द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न स्पीकर सर माननीय मंत्री जी ने माना है कि हमी शहर की कुछ कालोनियो में पीने के पानी की भारी कमी है, तत्कीकत यह है कि आधा शहर पीने के पानी की सप्लाई से बंदा परेशान है। जितनी भी हरिजन बस्तिया हैं, गोल कोठी, कालिया मंडी आदि हलाकों में पीने का पूरा पानी नदी पहुंच रहा है। स्पीकर सर, एक नहरी वाटर शर्क्स की स्कीम यहां के लिए बनी हुई है ताकि सारे शहर को पीने का पानी मिल सके।

The Committee would like to know the latest position in this regard (2-6-2009)

इस समय हासी शहर के उन क्षेत्रों जहां पर जल वितरण प्रणाली उपलब्ध है में पेयजल का कोई अभाव नहीं है। लेकिन शहर में पीने के पानी की भविष्य की मांग को देखते हुए जल वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान जलधर पर नई सरचना करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए द्वितीय जलधर की आवश्यकता है। राज्य योजना के अंतर्गत धन की कमी के कारण द्वितीय जलधर बनाना संभव नहीं है। इसलिए हासी

20-6-2005

स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि शेखपुरा और चार ढाणिया सोबा, चन्द्रपाल, कुदगपुर और केन्दु है, कौ स्कीम नबार्ड से एप्रूव करवा ली है। यह स्कीम 104 लाख 11 हजार रुपए की है और हमने उम्मीद है कि यह 31-12-2005 तक बनकर पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही हमने 11 स्कीमें 10 गांवों और 60 ढाणियों में से जो हासी विधान सभा के हल्को को कवर करेगी जिसके लिए 494 लाख 1 हजार रुपए की लागत आने का अनुमान है। यह भी एप्रूव करवा ली गई है। इस बारे में डिटेल् में माननीय साथी को दे दूंगा। इसके अलावा दो कनाल बेस्ड वाटर वर्क्स बनाने का सरकार का प्रयोजन है। यह दिल्ली

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
121	श्री राम किशन फौजी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 275 क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि सिवानी तथा बवानी खेडा नगरपालिकाओं का सीवरेज सिस्टम का निर्माण कार्य बंद पड़ा है, यदि हा, तो इसके कब तक निर्मित करवाए जाने की संभावना है?	5-12-2005 हा श्रीमान, सिवानी तथा बवानी खेडा नगरपालिकाओं में सीवरेज प्रमिया स्टेशन का कार्य जमीन की उपलब्धता होने की वजह से रुका हुआ है। बवानी खेडा में भिवानी जिला न्यायालय से स्टे है तथा भिवानी में सीवरेज डिस्पोजल का कार्य जमीन अधिग्रहण के बाद शुरू किया जाएगा। जिसमें एक साल लगेगा।	सिवानी शहर सिवानी में सीवरेज प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है तथा कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। बवानी खेडा में सीवरेज/डिस्पोजल प्रणाली के लिए भूमि बवानी खेडा नगरपालिका द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। लेकिन कुछ लोग के न्यायालय से स्टे लेने पर	The Committee would like to know the latest position in this regard (2-6-09)
	आज गर्मी का मौसम है और लोग पीने के पानी के लिए दु खी और परेशान हैं। जब तक नई वाटर वर्क्स की स्कीम चालू नहीं करेगे तब तक पानी की समस्या का हल नहीं होगा। क्या मंत्री जी नई वाटर वर्क्स को चालू करने के बारे में विचार करेंगे?	से हिसार रोड पर ढाणी कुतुबपुर के पास है। यह प्रपोजल सरकार के कंसीडरेशन में है और यह स्कीम 3120 लाख रुपये की है। इस बारे में नहरी महकमें से बात चल रही है। यह कनाल बेस्ड स्कीम है और उसमें काफी जमीन की एक्वीजिशन की जरूरत है। सरकार इस प्रपोजल पर गंभीरता से विचार कर रही है इस के अलावा हासी में जो 28 कालोनिया एग्रीव हुई थी वहां पर दो नए बुस्टिंग स्टेशन का काम इसी साल में पूरा हो जाएगा।	शहर की 14 अनुमोदित कालोनियों के लिए 314000 लाख रुपये का एक अनुमान जिसके तहत द्वितीय जलधर तथा जल वितरण प्रणाली का प्रावधान है, को राज्य के 54 शहरों के लिए एक्सटर्नल एंडिड परियोजना जिसके लिए विश्व बैंक धनराशि उपलब्ध करेगा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव की अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।	

कार्य नहीं हो सका तथा स्टे खरिज होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। (13309)

The Committee would like to know the latest position in this regard (2-6-09)

19-12-2005

- 122 श्री कुलवीर सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 291 क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि -
- (क) क्या जिला फतेहाबाद में गांव चिंदर में एक जलघर के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा
- (ख) यदि हा, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

- (क) जी हा, श्रीमान। नहरी पानी पर आधारित 103.50 लाख रुपए की एक योजना अनुमोदित की जा चुकी है और यदि जलघर के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी जाती है तो यह योजना 31-3-2007 तक चलू होने की संभावना है।
- (ख)

(क) वर्ष 2004 में नहरी जल आधारित जल घर का अनुमान 103.50 लाख रुपये का मजूर हुआ था। परन्तु पचायत द्वारा जगह उपलब्ध न करवाने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब पचायत द्वारा दोबारा जगह देने का प्रस्ताव राज्य सफाई बोर्ड की बैठक दिनांक 4.6.2008 में 129.80 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है तथा उसे 37.00 लाख रुपये दिए गए हैं। इस कार्य के लिए 112.10 लाख रुपये का टैंडर लगाने के लिए डी एन आई टी का अनुमोदन कर दिया गया है तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

13309

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

123 श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 392 का भाग (ग)- क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि- (ग) क्या वर्ष 2006 के दौरान नारनौल शहर की पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

17-3-2006
(ग) हा, श्रीमान जी।

124 श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 622 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला फरीदाबाद से गुजरने वाली यमुना को साफ करने के लिए कोई कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है यदि हा, तो इस संबंध में उठाये गए पगों का ब्यौरा क्या है?

19-3-2007

हाँ श्रीमान। जिला फरीदाबाद में बादशाहपुर, प्रतापगढ़ तथा मुझेरी गांवों में यमुना कार्य योजना चरण-1 के अन्तर्गत स्थापित मल शोधक संयंत्रों को अपग्रेड करने की कार्यवाही की जा रही है। इन संयंत्रों को अपग्रेड करने के लिए मास्टर प्लान, औचित्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना लोकनिर्माण विभाग, जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन विभाग हरियाणा द्वारा यमुना कार्य योजना-2 में तैयारी के अन्तर्गत है। इनके द्वारा अपग्रेड करने का कार्य यमुना कार्य योजना-3 में शुरू किया जायेगा। अपग्रेड होने पर इससे जिला फरीदाबाद में यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार

यमुना एक्शन प्लान चरण-2 के अन्तर्गत फरीदाबाद शहर की मल योजना के मास्टर प्लान, फिनिशिली रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस रिपोर्ट के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने पर एवं धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर यह कार्य यमुना एक्शन प्लान चरण-3 के अन्तर्गत शुरू कराया जायेगा और इसकी वर्ष 2009-10 में शुरू होने की सम्भावना है। (13309)

The Committee would like to know the latest position in this regard (2-6-2009)

आयेगा।

22-3-2007

125 ऐप्रोप्रिएशन नंबर-2 बिल का जवाब देते समय वित्त मंत्री द्वारा

****अध्यक्ष महोदय, भाई राधे श्याम शर्मा जी ने भी अपने हल्के मे पीने का पानी उपलब्ध करवाने के बारे में बिक्र किया था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इनके यहाँ कुछ साल पहले अडर ग्राउंड वाटर का 20-22 गावों में सर्वे करवाया था। सदन यह जानकर अचम्भित होगा कि 1200-1200 फिट तक कहीं कोई पानी उपलब्ध नहीं है। वहाँ सिचाई के पानी की बात तो छोड़ें, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। हम इसको प्राथमिकता पर लेंगे और वहाँ के लोगों की पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे।

7 3 2008

126 राज्यपाल अभिभाषण

****अरावली ब्रेणी की पहाड़ियों की तलहटी में 290 द्यूबूवैल लगाये जायेंगे। यह परियोजना, जिसमें 503 गावों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, आगामी वित्त वर्ष में पूरी होने की सम्भावना है।

10 3 2008

127 श्री रणधीर सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 850 के सदर्थ

श्रीमान जी गाव राखी खास के हरिजन मोहल्ले की जल सप्लाई के सुधार का कार्य

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मे क्या जलापूर्ति एव स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गांव राखी खास के हरिजन मोहल्ला के 200 घरों की सुचारु जल आपूर्ति के लिए कोई प्रबन्ध किया जा रहा है यदि हा, तो ऐसी जल आपूर्ति के लिए व्यवस्था कब तक की जाएगी?

वित्तीय वर्ष 2008-2009 किया जायेगा। स्वीकर सर, 19 लाख 50 हजार रुपये हमने उसके लिए मंजूर किए हैं।

25 3 2008

128 ताराकित प्रश्न संख्या 944 के सदस्य मे श्री रामकिशन फौजी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-

“लगभग एक साल पहले बवानी खेड़ा मे रेली के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक वाटर वर्क्स मिलकपुर मे मंजूर किया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है और उस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा?”

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो दिन पहले मुझे इस बारे में लिखकर दिया है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम उसे सैनिटेशन बोर्ड की बैठक के अंदर ले जाएंगे और इस वाटर वर्क्स के लिए जितने पैसे की जरूरत है वह मंजूर कर दिया जाएगा।**

26 3 2008

129 श्री निर्मल सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 974 क्या जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि अम्बाला छावनी में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रीमान जी, अम्बाला छावनी के लिए नहरी पानी पर आधारित 30 81 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है जिसको 31 12 2008 तक चालू किए जाने की संभावना है।

26 3 2008

130 डा शिव शंकर भारद्वाज द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 947 क्या जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि -
(क) क्या सरकार इस तथ्य के अवगत है कि भिवानी शहर की विकास प्रणाली बहुत बेकार है, तथा (ख) यदि ऊपर (क) का उत्तर सकारात्मक में है, तो भिवानी में विकास प्रणाली का सुधार करने के लिए क्या पग उठाए गए हैं?

श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है। **बरसाती पानी तथा शुद्ध मल की डिस्पोजल की क्षमता को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने हेतु सिचाई विभाग, हरियाणा सरकार 2128 00 लाख रुपये की लागत से भिवानी घग्घर ड्रेन का निर्माण कर रही है। इसका निर्माण 30 6 2009 तक सम्पन्न होने की संभावना है। इस कार्य से शहर के बरसाती पानी की निकास प्रणाली में बढौतरी होगी जिससे अधिक सुचारु डिस्पोजल होगी। इसके उपरान्त जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग शहर के अन्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उपयुक्त योजना बनाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

131 श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 970 - क्या जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि नवलपुर रजबाह से नारनौल शहर की ओर पानी ले जाने के लिए ड्रेन पिछले डेढ़ साल से पूरी नहीं हुई है यदि हा तो उक्त ड्रेन कब तक पूरी की जाने की संभावना है?

27 3 2008

The work for laying of 36 diameter RCC pipe inlet channel is in progress and is likely to be completed by April 2008 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और पूरे सदन को यह बताना चाहता हूँ कि नारनौल शहर के लिए 485 लाख रुपये की स्कीम सरकार ने मंजूर की थी जो तकरीबन एक महीने बाद यानी अप्रैल 2008 तक पूरी हो जायेगी। इसमें नारनौल शहर की 100 प्रतिशत कवरेज हो जायेगी और जो 40 साल पुरानी समस्या थी उसका भी निदान हो जायेगा। माननीय सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था और मुझे भी कहा था इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह काम तकरीबन पूरा हो चुका है और एक महीने के अन्दर इसको पूरा कर देंगे।

27 3 2008

132 श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 987

नहीं श्रीमान जी। हासी जल वितरण प्रणाली नहरी पानी पर आधारित है जिसके

इन लोगों ने आगे आरोप लगाया कि यद्यपि कार्य श्री राजबीर सिंह ठेकेदार को आवंटित किया गया है लेकिन वास्तव में यह कार्य श्री तेलु राम व अन्य द्वारा निर्मित किया जा रहा है जो कि सरकारी कर्मचारी है। निर्माण उत्तमता व सरकारी खजाने की हानि पहुँचाने जैसे गम्भीर विषयों को उठाया गया है। वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सिचाई को इस विषय में गोपनीय नोट भेजते हुए आदरणीय परिवहन एवं ससदीय कार्य मंत्री ने चाहा है कि विभाग मामले की पूर्ण छानबीन विभागीय या राज्य सतर्कता शाखा से करवाए तदनुसार आदरणीय परिवहन मंत्री ससदीय कार्य मंत्री जी के उपरोक्त नोट प्राप्ति उपरांत वित्तायुक्त व प्रधान सचिव द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी सिचाई विभाग हरियाणा को छानबीन करने के आदेश दे दिए गए।

सरकार के क्रमांक न 6/107/2005 41 इ दिनांक 5 3 08 के आदेशानुसार यह शिकायत फाईल कर दी गई है।

2 (क) श्री अशोक कुमार उपमण्डल अधिकारी, सतर्कता विभाग द्वारा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव को भेजी गई प्रस्तुति भी सतर्कता शाखा की जाच के लिए अकित की जा चुकी है। यह शिकायत सरकार द्वारा प्राप्ति उपरांत 22 3 2005 की जाच के लिए कार्यकारी अभियन्ता सतर्कता सोनीपत को भेजी जा चुकी है। यह प्रस्तुति कैरियर लाईण्ड चैनल सी एल सी की बुर्जी 24000 से बुर्जी 49000 के निर्माण में घटिया दर्जे का सामान प्रयोग करने के बारे में है। यह क्षेत्र अधीक्षक अभियन्ता निर्माण परिमण्डल करनाल व पानीपत के कार्य क्षेत्र में आता है। इस जाच में काफी अभिलेख की सलिप्तता है। अधिकतर अभिलेख को प्राप्त कर लिया गया है और आशा है कि 15 7 05 तक जाच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

इस शिकायत की जाच करके इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 222/ई एन-1/सोनीपत/05 दिनांक 23 11 05 द्वारा सरकार को भेज दी। सरकार के पत्र क्रमांक 6/143/2005/2 ई दिनांक 24 4 07 द्वारा इस शिकायत से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस अधीन कानून 8 करने का आदेश दिया था। इस कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को नोटिस कानून-8 बनाकर क्रमांक न 145/इ एन-1/सोनीपत/05 दिनांक 28 1 08 के द्वारा सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी दी है। सरकार के आदेशानुसार पत्र क्रमांक 6/143/2005 2 ई दिनांक 24 4 08 के द्वारा कई अधिकारियों को चार्जशीट सर्व कर दी गई है।

3 एक अन्य शिकायत श्री केहर सिंह रमेश कुमार, प्रारूपकार व अन्य की ओर से प्राप्त हुई है इसमें भी कैरियर लाइण्ड चेनल के निर्माण परिसण्डल सोनीपत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निर्माण के दौरान घटिया दर्जे के सामान का प्रयोग किए जाने के बारे में शिकायत की गई है। यह शिकायत इस कार्यालय में 5 5 05 को प्राप्त हुई है। 13 5 05 को कार्यकारी अभियन्ता सतकर्ता अम्बाला को जाच के लिए भेजी जा चुकी है। जाच अधिकारी ने सूचित किया है कि जाच में सलियत अधिकांश के ब्यानों की कमी के कारण जाच लम्बित है क्योंकि वह अधिकारी लम्बी छुट्टी काटने के उपरान्त 27 6 05 को अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थित होगा। इस शिकायत के मुख्य मुद्दे निम्न प्रकार हैं।

(क) प्रेशर रिलिज वाल्व व फिल्टर का सामान निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं है।

(ख) लाईनिंग का कार्यक्षेत्र एव बिना पेवर का प्रयोग किया गया है जो कि निर्धारित स्तर से कम दर्ज का है।

(ग) जोड़ों का डिजाइन एव निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं बनाया गया तथा उसमें प्रयुक्त सामग्री की भी जाच नहीं की गई।

(घ) क्यूरिंग कम्पाउड का लगाना एक छलावा या साईड लाईनिंग पर क्यूरिंग कम्पाउड की बजाए चाक चूने के मिश्रण के घोल का प्रयोग किया गया। यह परियोजना दिल्ली जल बोर्ड का देय कार्य है।

सरकार के क्रमांक न 6/143/2005-2 ई दिनांक 16 12 05 द्वारा यह शिकायत फाईल कर दी गई है तथा सरकार द्वारा मागी गई सैम्पल्स

की रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 46/ई एन-2/अम्बाला/2005, दिनांक 28 5 07 द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

4 दिनांक 12 4 05 को नीलोखेड़ी टाइम्स ने प्रकाशित समाचार भी सरकार के ध्यान में आया जिसमें अन्य वास्तविकताओं के अतिरिक्त यह आगेप लगाया कि कैरियर लाईण्ड की बुर्जी 5300 25000 व 35000 पर बने पुलों की नींव को डाटी के आधार का निर्माण नहीं किया गया। यह भी आरोप लगाया कि बजीवा साईफन के निर्माण में घटिया एव निर्धारित स्तर से नीचे की सामग्री का प्रयोग किया गया।

उपरोक्त शिकायत इस कार्यालय में 3 5 05 को कार्यकारी अभियन्ता सतर्कता सोनीपत को जाच के लिए भेज दी गई है। इस शिकायत की जाच माननीय सिचाई मंत्री हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार की जा रही है यह करनाल जिले तथा यमुना जल सेवाएं परिमण्डल करनाल के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। जाच कार्य आरम्भ हो चुका है तथा रिपोर्ट जुलाई 2005 के अन्त तक मिलने

क० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्विन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की सम्भावना है।

इस शिकायत की जाच करके इस कार्यालय के पत्र क्रमांक न 88/ई एन 12/करनाल/2005 दिनांक 31.8.07 द्वारा सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु भेजी दी गई थी।

सरकार के क्रमांक न 6/80/2007^ण2 ई दिनांक 13.5.2008 के आदेशानुसार अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।
(7.7.09)

20.6.2005

60 कालिंग अटेशन मोशन नं० 11 के सदस्य में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय में आपका माध्यम से मुख्यमंत्री जी स आश्वासन चाहता हूँ कि जैसा सिचाई मंत्री जी ने जवाब में कहा है अगर माना है कि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हमारा विफल हो चुका है और पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की औद्योगिक कारखानों से मिली भागत होने के कारण कोई भी कार्यवाही सही तरीके से अमल में नहीं लाई गई जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ऐसे अधिकारी जो लोगों की जिवनी के साथ

माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं-ना इस बारे में बात करेंगे और मैं स्वयं भी जाकर बात करूँगा। इनकी जो समस्या है हम उसके बारे में जानते हैं। इनकी समस्या बहुत भारी है और इन्को पोल्यूटिड वाटर मिल रहा है और इसके बारे में जो भी उचित कार्यवाही होगी हम करेंगे और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को भी एग्रीव करेंगे तथा हम बारे में भी कोरेक्ट स्टेप होंगे वह हम लेंगे।

प्रदूषित पानी की रोकथाम दिल्ली जल बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण बोर्ड को कार्यवाही करने के लिए मंत्री एवं मुख्यमंत्री लेवल पर पत्र व्यवहार किया है। GOI से मीटिंग 12.6.09 को निश्चित कर दी गई है।
(7.7.09)

क्या जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि हासी शहर में पीने के पानी की भारी कमी है यदि हा, तो क्या हासी शहर में पीने के पानी के सुधार के लिए एक दूसरा जल घर निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

साथ 21 नलकूप लगाए हुए हैं जिसकी कुल पानी निकालने की क्षमता 11 35 एम एल डी है। वर्तमान पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए 705 13 लाख रुपये की लागत से एक बूस्टिंग स्टेशन निर्माणाधीन है जो कि 30 4 2008 तक पूरा कर दिया जाएगा। यानि एक महीने में यह काम पूरा करके हम माननीय सदस्य को देगे जिससे शहर में पानी की व्यवस्था काफी सुधर जाएगी। इन्हेने मुख्यमंत्री महोदय से यह भी माग की थी कि हासी शहर में कैनाल बेसड वाटर वर्क्स बनवाया जाए। शहर की जल वितरण प्रणाली में बढौतरी, नई कॉलोनियो में पर्याप्त जलापूर्ति हेतु तथा पीने के पानी की भविष्य की माग को देखते हुए द्वितीय जलघर की आवश्यकता है। 3140 00 लाख रुपये का एक अनुमान जिसके तहत द्वितीय जलघर के निर्माण तथा वितरण प्रणाली का प्रावधान है, विश्व बैंक परियोजना के तहत प्रस्तावित है जो कि अभी विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने हरियाणा के सभी शहरो में सीवरेज ड्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए और पेयजल व्यवस्था को चुस्त दुस्त बनाने के लिए भारत सरकार

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा को गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

का जो प्रोजेक्ट था वह वर्ल्ड बैंक को भेज दिया है। जहां तक मुझे याद है कि यह प्रोजेक्ट तकरीबन 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार ने हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है और हमारी सरकार ने तो इसे पहले ही एप्रूव कर दिया था। प्लानिंग कमीशन ने उस पर मोहर लगा दी है। इस समय यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के पास विचाराधीन है और जैसे ही वहां से मंजूर हो जाएगा इनके हाथी शहर में दूसरा पेयजल घर लगाने का मामला टेकअप कर लिया जाएगा।'

28 3 2008

133 श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 988 क्या जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि -
(क) क्या यह तथ्य है कि हासी शहर की मल व्यवस्था प्रणाली पुरानी सीवेज लाईन होने के कारण बहुत बुरी अवस्था में है, यदि हा, तो क्या

(क) तथा (ख)
इस समय हासी शहर की मल निकासी प्रणाली के अंतर्गत 42 किलोमीटर सीवर लाईन, छह मध्यस्थित पम्पिंग स्टेशन तथा एक मुख्य डिस्पोजल लगा हुआ है। समस्त प्रणाली ठीक कार्य कर रही है और सुधार के कार्य जिसमें वर्तमान क्षमता को बढ़ाना सम्मिलित है। जहां आवश्यक है, शुरू किए

हसी शहर की मल व्यवस्था प्रणाली को सुधारने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा (ख) क्या हसी शहर की नई कालोनियों में मल व्यवस्था प्रणाली बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

जा रहे हैं। 156 00 लाख रुपये की लागत की एक योजना के अंतर्गत पुरानी छोटी सीवर लाईन को बड़ी सीवर लाईन के साथ बदलने का कार्य प्रगति पर है जिसकी 31 8 2008 तक सम्पन्न होने की सम्भावना है।

1650 00 लाख रुपये की एक अन्य परियोजना जिसके तहत 28 नई कालोनियों के लिए मल निकासी की व्यवस्था करना तथा एक मल शुद्धि संयंत्र लगाने का प्रावधान है का प्रस्ताव विश्व बैंक परियोजना के तहत अभी विचाराधीन है। सर मैं यह भी बताता हूँ कि 705 लाख रुपये की नई बंसी स्टेज के लिए हमने दिए हैं और अप्रैल 2008 तक यह काम पूरा कर देंगे। 156 लाख रुपये की राशि सीवर के लिए दी है और इसका काम 31 अगस्त, 2008 तक पूरा कर देंगे।

28 3 2008

134 ताराकित प्रश्न संख्या 988 के सदर्भ में आई जी शेर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जुलाना में

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात बिल्कुल वाजिब है लेकिन जुलाना छोटा टाउन नहीं है जींद जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है। माननीय सदस्य वहां की नुमायंदगी करते हैं और इनके नेतृत्व में उस शहर ने

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

दोबारा से सीवर सिस्टम का काम शुरू करने का सरकार का कोई प्रपोजल है?

ग्रोथ की है और ज़ीद के बड़े शहरों में और प्रगतिशील शहरों में जुलाना का नम्बर आता है। हमारे पास जुलाना में सीवरेज डालने का प्रपोजल है और वर्ष 2008-09 के साल में एक अप्रैल से चालू होने जा रहा है उसमें जुलाना में सीवर डालने के लिए पैसा देने वाले हैं।

28 3 2008

135 श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या, 986 क्या जलापूर्ति एंव स्वच्छता मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सोहना शहर में मल व्यवस्था प्रणाली अधूरी पड़ी हुई है, यदि हा तो इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

The work for laying of sewerage system alongwith a Sewage Treatment Plant (STP) in Sohna City at an estimated cost of Rs 584.85 lacs is in progress and is likely to be completed by March 2009 इसके अलावा कल मैंने 65 करोड़ रुपये से अधिक की स्कीम के बारे में बताया था। जहाँ तक इस ड्रीटमैट प्लांट की बात है तो इसको हमने चैक करवा लिया है और इसको हम जल्दी ही पूरा करवा देंगे।

27 3 2008

136 ताराकित प्रश्न संख्या 987 के संदर्भ में श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछा

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है इसलिए मैंने बताया है कि 7 करोड़

गया अनुपूरक प्रश्न
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम में यह जलघर अण्डर कंसीड्रेशन है। मेरी एक प्रार्थना है कि हासी में पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हर आदमी को 30 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देने की बजाय 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पीने का स्वच्छ पानी दिया जाएगा। हासी में कई जगह दृश्यबैलज लगे हुए हैं लेकिन उनका पानी खारा है और लोगो को पीने का पानी नहीं मिलता। जब तक दूसरा वाटर वर्क्स फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं बनेगा तब तक हासी के लोग प्यासे ही रहेंगे। कई गांवों में पीने के पानी की दिक्कत है इसलिए दूसरे वाटर वर्क्स को फस्ट प्रैफरेंस देकर बनाया जाए ताकि लोगों को पीने का पानी आसानी से मिल सके।

137 ताराकित प्रश्न सख्या 1019 के सर्वर्ष में श्री राधेश्याम शर्मा अमर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
अध्यक्ष महोदय गुडगाव में हुडा के

5 लाख 13 हजार रुपये की लागत से एक बूस्टिंग स्टेशन निर्माणाधीन है क्योंकि हासी के दो टुकड़े हैं। जैसे कि हमारे कई शहरों के बहुत सारे पोर्शन ऊंचे हैं और वहा पानी तो है लेकिन पानी ऊपर नहीं चढ पाता। यह बात आज की नहीं बल्कि 30-40 सालो से लगातार चली आ रही है। जब वहा सत्ता केन्द्र था तब भी यह समस्या दबी रही और इसका कोई हल नहीं निकाला गया। माननीय सदस्य इस समस्या को लेकर भेरे पास भी आए थे और मुख्य मंत्री महोदय जी ने भी कहा था जैसे कि मैंने बताया है कि एक महीने में बूस्टिंग स्टेशन का भेविनजम पूरा कर देंगे। I am making a categorical promise This work is almost completed 3140 लाख रुपये जो हम खर्च कर रहे हैं उनमें हासी के द्वितीय जलघर को हम टेकअप करने वाले हैं।

39 2008

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात वाजिब है। 1991-95 में 100 मीटर के करीब ग्रीन बैल्ट डिवेलप हुई थी। उसका एक हिस्सा उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर ने

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

सैक्टर 15 में जो पार्क है उसका 3 4 एकड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय के हुडा एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने लिए रिजर्व किया हुआ था और उसमें सैर करने वालों और घूमने फिरने वालों को घुसने नहीं दिया जाता था। लोग बैठकर बातें करते हैं कि ऐसा अग्रेजों के समय में होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस पार्क के ताले को खुलवाएंगे ताकि वहाँ पर आम आदमी घूमने फिरने के लिए जा सकें।

गवर्नर सीनियर सैकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ भी है। 30 प्राइवेट स्कूल हैं, पचायतो की 65 दुकानें हैं, तेल मिल है, चावल मिल है, सरसों मिल है और 700 दुकानें हैं और 3000 मकान हैं हसनपुर में पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ यमुना का पुल बनाने के लिए भी बात चल रही है।

एक दीवार बनाकर आरक्षित कर लिया था। उसके बाद इस बारे में लिटीगेशन हुई। मौजूदा सरकार ने निर्णय किया था कि ग्रीन बैल्ट या पार्क का कोई स्पेस किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित नहीं रह सकता। हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिया था लेकिन हमारे नोटिस में आया है कि जो दीवार उस समय खींची गई थी वह अभी भी वहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिया है कि उस दीवार को हटा दिया जाएगा and it will be a contiguous green belt and there will be no difficulty to the residents I can assure you

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
EDUCATION DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या	1	2	3	4
1	2	3	4	5

138 तारांकित प्रश्न संख्या 964 के सदर्थ में श्री रमेश राणा द्वारा पूछा गया अनुपूर्व प्रश्न-** अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के घरोडा के अदर नकरीबन 50 हजार की आबादी है और वहा पर 10+2 का लडकिया का एक ही स्कूल है और वह भी आधा एकड जमीन के अदर चल रहा है और उसमे दो शिफ्ट लगती है जिसके कारण बच्चियो को स्कूल मे रात हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मे सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस स्कूल को भी किसी खुली जगह पर बनाया जाए जिससे बच्चिया एक ही शिफ्ट मे पढ सके?

20-3-2002

**जहा तक दूसरे 10+2 स्कूल का सबध है यदि उसमे बिलिंग जगेह की कमी है वह हम देख लेंगे और उसके एक्सपेशन के लिए इन्तजाम कर दिया जाएगा।

The Committee would like to know the orally examine in this regard (17 2 2010)

रा क व मा वि फरौद (करनाल) के विद्यालय भवन को किसी अन्य खुली जगह पर बनवाने के लिए उपायुक्त करनाल के द्वारा पुराने सिविल अस्पताल फरौद के भवन/जमीन कुल 12 कनाल 13 मरले का चयन किया गया है। उपायुक्त करनाल के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 18579 एम ए 1 दिनांक 14 9 2009 के तहत इस जमीन को शिक्षा विभाग के नाम करने के लिए विलायुक्त एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा चण्डीगढ को अनुरोध किया गया है। यह जमीन अभी तक स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के द्वारा शिक्षा विभाग हरियाणा के नाम नहीं की गई है। रेलवे स्टेशन कोसली से लगभग 2 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च विद्यालय भाऊली है और रेलवे स्टेशन कोसली के पास प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। इसके

अतिरिक्त भाकली कोसली रेलवे स्टेशन के पास भाकली की ब्राच स्कूल खोलने के लिए ग्राम पचायत भाकली जमीन या भवन देने के लिए तैयार नहीं है।
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी ने सूचित किया है कि ग्राम पचायत भाकली ने स्कूल के लिए जमीन न देने बारे प्रस्ताव पास किया है।

(17 2 10)

17-3-2006

139 श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 343 - क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि -

(क) क्या वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान जिला महेन्द्रगढ के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित/नियुक्त करने में हुई अनियमितताओं के संबंध में शपथ-पत्र के साथ कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई जाच की

ताराकित प्रश्न 343 के भाग (क) (ख) एवं (ग) अंकित विवरण - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों/रेगुलराइजेशन में होने वाली अनियमितताओं बारे श्री राजेश कुमार जे बी टी अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बास खुडाना (महेन्द्रगढ) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

इस मामले में प्राथमिक जाच संयुक्त निदेशक प्रशासन (प्राथमिक) द्वारा करवाई गई थी। जाच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गए थे। तत्पश्चात इन कर्मचारियों ने माननीय

189
The Committee would like to know the latest position in this regard (17 2 2010)

(क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों/रेगुलराइजेशन होने वाली अनियमितताएं बारे श्री राजेश कुमार जे बी टी अध्यापक रा प्रा वि बास खुडाना (महेन्द्रगढ) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) इस मामले में प्राथमिक जाच संयुक्त निदेशक प्रशासन (प्राथमिक) द्वारा करवाई गई थी। जाच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। तत्पश्चात्

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गई है, यदि हा तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, तथा क्या चूको के लिए कोई जिम्मेवारी निश्चित की गई है, यदि हा तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(ग)

उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका क्रमांक 6241/05 दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 25 4 2005 के अन्तर्गत इन कारण बताओ नोटिसिज को रद्द कर दिया गया था। विचारोपरान्त हरियाणा सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 63/64/2004-चौ (II) दिनांक 17 1 06 के अन्तर्गत मामले में विजिलेंस जाच के आदेश दिये। यह जाच रिपोर्ट अभी भी आपेक्षित है।

उपरोक्त विभागीय जाच के आधार पर 48 कर्मचारियों जिनमें दो जिला शिक्षा अधिकारी, एक जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, छ उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, बाईस खण्ड शिक्षा अधिकारी तीन प्राचार्य एवं चौदह मुख्याध्यापक इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पाये गये थे। इससे पहले की इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती इसी शिकायतकता श्री राजेश कुमार जे बी टी अध्यापक, राजकीय प्राथमिक शिक्षा विद्यालय बास बुडाना (महेन्द्रगढ़) ने एक नई जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय

इन कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका 6241/05 दायर कर दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 25 4 05 के अन्तर्गत इन कारण बताओ नोटिप को रद्द कर दिया गया था। विचारोपरान्त हरियाणा सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 63/64/2004-चौ (II) दिनांक 17 1 06 के अन्तर्गत मामले में विजिलेंस जाच के आदेश दिये थे। विजिलेंस रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के सन्दर्भ में दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इस बारे लिखा गया है कि जिन अधिकारियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गलत नियुक्ति की थी उनके विरुद्ध आशासनिक कार्यवाही करने हेतु सबधित शाखाओं को लिखा जा चुका है

मे सिविल रिट याचिका क्रमांक 1562/05 दायर कर दी ओर नई जाच करवान की माग की। तदानुसार विभाग द्वारा सयुक्त निदेशक कार्यालय आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा को जाच अधिकारी नियुक्त करके मामले मे पुन नई जाच करवाने के आदेश दिये। इस दौरान हरियाणा चौकसी विभाग ने भी अपने पत्र क्रमांक 63/64/2004-चौ (11) दिनांक 17.1.2006 क अन्तर्गत इस मामले मे विजिलेंस जाच के आदेश दिये। जाच रिपोर्टस प्राप्त होने उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

और जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति गलत ढंग से की गई थी उनको नौकरी से हटाने बारे सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा जा चुका है। जिसकी अनुपालना मे संबंधित सस्था मुखियों द्वारा कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का Show Cause notice देने उपरान्त उनकी सेवाएं भग कर दी गई थी या की जाने वाली थी तो उनमे से कुछ कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे चुनौती थी जिस पर सी डब्ल्यू पी 5770 आफ 2008 शीला देवी बनाम हरियाणा सरकार मे दिनांक 7.4.2008 को आदेश पारित किए है कि authorities नियमानुसार कार्यवाही जैसे कि विभागीय जाच उपरान्त कार्यवाही की जाए यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे ही समान मामलो का निपटन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2008 को उक्त याचिका के निर्णय दिनांक 7.4.2008 की terms मे किया गया है। महाधिवक्ता हरियाणा द्वारा

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उक्त निर्णय के विरुद्ध एस एल पी फाईल किए जाने के लिए not fit बताया है। इसलिए क्षेत्रीय कार्यालयों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना नियमानुसार करने बारे धिमायते जारी की जा चुकी हैं। (17 2 10)

140 ताराकित प्रश्न संख्या 343 के सदस्य में श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - *** मैं शिक्षा मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि जो भी बड़े अधिकार उसमें शामिल थे और राजतंत्र पे जुड़े हुए लोग थे क्या उनको कानूनी तौर पर ये सजा दिलावाएने?

17-3-2006

***अध्यक्ष महोदय, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री की सरकार ने जाच के आदेश दिए और जाच के बाद कई सारे लोग दोषी पाए गए। वह हाई कोर्ट में चल गए। हाई कोर्ट ने वह नोटिस क्वेश्चर दिया और कहा कि इसको दोबारा सुना जाए। जब दोबारा सुनवाई की गई तो फिर एक बार रिट पेटिशन हाई कोर्ट में हो गयी और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि इसकी दोबारा जाच की जाए। अध्यक्ष महोदय, दोबारा जाच हो रही है और जाच में जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें दोषी और भी हो सकते हैं लेकिन जाच के दौरान जो कोई भी यदि दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की

विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। (17 2 10)

The Committee would like to know the latest position in this regard (17 2 10)

जाएगी।

14-3-2007

141 ताराकित प्रश्न सख्या 668 के सदर्थ मे श्री ए सी चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूर्क प्रश्न 'अध्यक्ष महोदय, ***हमारे यहा गाव सीकरी मे जो कि शहर से काफी दूर है और उसके इद गिर्द तास गाव आते हैं। वहा के लोगो की पुरानी माग थी कि वहा बच्चियो के लिए गर्लज कालेज का प्रावधान किया जाए। क्या मंत्री जी मुझे आश्वस्त करेगे कि वए गर्लज कालेज खोला जाएगा। वहा गाव के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं और फड से अमावट देने के लिए भी तैयार ह।

श्रीमान जी, हम इस मामले की जाच करेंगे।

सीफरी में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने बारे उपायुक्त फरीदाबाद से Feasibility report उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की हुई है।
(17 2 10)

The Committee would like to know the latest position in this regard
(17 2 10)

26 3 2008

142 श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 971 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि -- (क) क्या राज्य मे सरकार द्वारा 1996 से 2005 तक की अवधि के दौरान विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी की अनियमित तथा अवैध नियुक्तिया

श्रीमान जी, स्टेटमेंट विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।
(क) हा, श्रीमान जी। वर्ष 1996-2005 के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति बारे दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। (ख) हा, श्रीमान जी। पहली जाच रिपोर्ट मे 138 व्यक्तियों द्वारा 198 चतुर्थ

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सबधी कोई शिकायत प्राप्त की गई थी, यदि हा तो उस शिकायत की विषय वस्तु क्या है, (ख) क्या ऊपर (क) में शिकायत में कोई जाच श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित तथा गलत ढंग से नियुक्ति बारे मामला प्रकाश में आया। उक्त 138 व्यक्तियों की सूची अनुबध क' पर सलग्न है।

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
HEALTH DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

143 तारकित प्रश्न संख्या 1016 के संदर्भ में श्री सूरज भान काजल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
 “अध्यक्ष महोदय, जुलाना के अन्दर एक कम्युनिटी हैल्थ सेंटर है इसको बने हुए 50 साल से हो गए हैं। इसकी कोई भी बिलडिंग नहीं है लेकिन इसकी 25 बैडज की कैपेस्टी दिखा रखी है जबकि इसमें 10 बैडज भी नहीं आ सकते हैं। मे मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या उस बिलडिंग को बनाने का विचार है और अगर हा तो कब तक उसको बनवा दिया जाएगा?”

7-3-95

अध्यक्ष महोदय, वहां पर बैडज का प्रावधान है। वह पुरानी ब्लाक स्तर की पोएच०सी०थी इसकी पूरी बिलडिंग न बना करके इसके साथ कुछ एडीशनल बनाने की सरकार की योजना है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम जो बजट पास करेंगे और उसमें जो प्रावधान होगा, उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाएगा।

वर्तमान समय में सा०एच०सी० जुलाना की वर्तमान ईमारत 9 कनाल 4 मरले में बनी हुई है। इस केन्द्र के नये भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि अभी उपलब्ध नहीं है। सी०एच०सी० के भवन निर्माण हेतु 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। सिविल सर्जन जीद द्वारा ग्राम पंचायत जुलाना से विकल्प भूमि प्राप्त करने के प्रयासों के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने उन १६ पत्र क्रमांक 8/30/2008-6क-1 दिनांक 11 8 08 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुलाना के भवन निर्माण हेतु 4 एकड़ भूमि कलैक्टर रेट प देने की स्वीकृति प्रदान की है। नगरपालिका ने 5 50 लाख रुपए प्रति एकड़ कलैक्टर रेट की दर से 4 एकड़ भूमि के लिए 22 00 लाख रुपए नगरपालिका जुलाना में जमा करवाने का अनुरोध किया है।

अभी तक विभिन्न चिकित्सा

The Committee would like to know the latest position in this regard (26 5 2009)

संस्थाओं के लिए ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं/नगर निगमों द्वारा भूमि नि शुल्क उपलब्ध करवाई जाती रही है। नगरपालिकाओं/नगर निगमों से चिकित्सा संस्थाओं के लिए कलैक्टर रेट पर भूमि खरीदने के बारे में कोई नीति/प्रावधान नहीं है। राज्य की विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु नगरपालिकाओं/नगर निगमों की भूमि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलैक्टर रेट पर लेने के लिए नीति बनाने से सम्बन्धित मामला सरकार को भेजा गया था और सरकार ने दिनांक 9.4.2008 को नगरपालिकाओं/नगर निगमों की भूमि को स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए collectible पर लेने का सिद्धान्तिक निर्णय ले लिया है। नगरपालिका जुलाना की 4 एकड़ भूमि खरीदने हेतु 22.00 लाख रुपये की स्वीकृति देने बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(25.5.08)

1

10-9-2003

144 ताराकित प्रश्न संख्या 1568 के संदर्भ में श्री ओम प्रकाश बिदल द्वारा पूछा गया

*****तत्पश्चात् हमने वहां के सिविल सर्जन को कहा कि आप अपना इजिनियर भेज

सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 20/5/2003-5 एच बी III दिनांक The Committee would like to know

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	अनुपूरक प्रश्न "अध्यक्ष महोदय, मे सवाल ही पूछ रहा हूँ। डोल मण्डी में होस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वहा पर न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई दवाई है और लोगों के लिए इलाज करवाने के लिए बड़ी भारी मुसीबत में है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वहा पर होस्पिटल कब तक काम करना शुरू कर देगा?"	कर इस काम का एस्टीमेट भिजवाए ताकि इस होस्पिटल की खिडकी, दरवाजे और फर्श का काम करवाया जा सके और बिजली पानी का प्रबन्ध करवाया जा सके। हमारे पास 15 लाख 54 हजार रुपये का एस्टीमेट आ गया है और उस एस्टीमेट की हमने प्रशासनिक स्वीकृति ले ली है। इस पैसे के आने के बाद इस काम को यथाशीघ्र करवा दिया जाएगा।	23 8 06 द्वारा ठोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर दी है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए अपूर्ण भवन से कार्य कर रहा है। लोक निर्माण विभाग से इस भवन को पूरा करने हेतु 29 25 लाख रुपये के अनुमान प्राप्त हुए थे। जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति एन आर एच एम स्कीम के अंतर्गत दिनांक 15 1 09 को जारी कर दी गई है। निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।	the latest position in this regard (26-5 2009)
145	ताराकित प्रश्न संख्या 1568 के संदर्भ में श्री भगवान सहाय रावत द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न "अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने स्वास्थ्य की प्राथमिकता के	10-9-2005 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इन्होंने ओरगाबाद की पी एच सी की बात कही है। पिछली बार हमने सदन में कहा था कि इसकी ड्राईंग और एस्टीमेट तैयार हो गये थे, उस सदन और आज की डेट के बीच में हमने उनका पैसा स्वीकृत	प्रा०स्वा० केंद्र ओरगाबाद के भवन कार्य हेतु सरकार द्वारा 52 50 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 21 2 2002 को जारी की गई थी। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण	The Committee would like to know the latest position in this regard (26-5 2009)

आधार पर पुरानी 24 सी एच सी, पी एच सी और 17 नई सी एच सी, पी एच सी जिन पर काम जारी है उन 17 में से औरंगाबाद में कभी सी एच सी पी एच सी की बिल्डिंग के लिये चौधरी साहब ने नया भवन बनाने के लिए कहा था और नागल जाट में पी एच सी बनाने की बात कही थी। उनके काम की क्या पोजिशन है? रूपडका की उठावड में नई पी एच सी बननी थी उसकी क्या पोजिशन है?'

करके पी डब्ल्यू डी विभाग को भेज दिया है। वे अपने हिसाब से टेंडर वगैरह इन्वॉइट करके कार्य शुरू करवाएँ। जहाँ तक उठावड की बात है वहाँ हमारी पी एच सी किसी सहकारिता भवन में 1993 से चल रही है। ***** इसी तर्ज पर रूपडका गांव की पचायत ने चार एकड़ जमीन विभाग को देने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उस पर दोनो गावों की सहमति है। ***** जमीन का प्रस्ताव एस डी एम के पास विचारार्थीन है जब एस डी एम के पास से हमारे पास आ जायेगा तो जमीन का स्थानांतरण स्वास्थ्य विभाग को किया जायेगा। स्थानांतरण के बाद 74 लाख का जा हमारा पी एच सी का खर्च होता है एस्टीमेट मजूर करवाकर प्रशासनिक स्वीकृति दिलाकर इस काम की स्वीकृति देकर यह काम शुरू किया जाएगा।

हो चुका है। प्रांख्या० केन्द्र उठावड के भवन निर्माण हेतु ग्राम पचायत रूपडका द्वारा 27 फराल 17 मरले भूमि का प्रस्ताव दिया गया है, परन्तु ग्राम पचायत द्वारा भूमि अभी तक स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं करवाई है। भूमि स्थानांतरित होने उपरान्त भवन निर्माण बारे कार्यवाही की जायेगी। मेवात जिले के लिए बनाई गई मल्टी डिजैलेपमेंट सैक्टोरल प्लान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उठावड के भवन का निर्माण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की 85/15% की सहभागिता से बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

(25-5-09)

146

तारकित प्रश्न संख्या 1874 के सदर्भ में श्री अमय सिंह चौटाला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
***क्या मेडीकल कालेज अग्रोहा में पी जी कालेज बनाने का प्रस्ताव सरकार के

2 12 2004

***एम बी बी एस क्लास की 50 सीटों पर दाखिला करने का काम किया और सरकार के प्रयास है कि ये सीटें बढ़ाकर 100 हो जायें। हमारी कोशिश है कि वहाँ पी जी क्लासिंग शुरू की जाए। उसके लिए सरकार प्रस्ताव बना रही है हम एम सी आई को रिक्वेस्ट भी

The Committee would like to know the latest position in this regard (26-5 2009)

The Govt has issued essential certificate for increasing the seats from 50 to 100 MBBS admission vide its memo No 21/16/99 2 HP 2 HPIV dated 4 6 2008 The Director Maharashtra Agarsen

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

विचाराधीन है ?

करेंगे कि जितना पैसा लगोग सरकार उसमें अमदान के रूप में देगी और हम चाहेंगे कि अग्रोहा मेडिकल कालेज भी बहुत अच्छा पी जी संस्थान बने।

Medical College is approaching the Medical Council of India for its approval, so that seats may be increased from 50 to 100 from the Session 2009

(25-5-09)

20-9-2006

147 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 7 पर श्री राधे श्याम शर्मा एम एल ए द्वारा पूछा गया कि—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उप मण्डल अधिकारी, नारनौल द्वारा नागल चौधरी के अस्पताल पर दो बार छापे मारे गये। छापे के दौरान लाखों रुपये की दवाइया, इन्वेक्शन तथा अन्य उपकरण गटर गढो तथा कृष्णावती नदी में छिपे पाए गए। फरन्तु न तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है न ही यह सुनिश्चित किया गया है कि आगे क्या कार्यवाही की जाएगी।

यह स्वास्थ्य से संबंधित लोकहित का

**** इस मामले में सिविल सर्जन, नारनौल को तुरन्त एक तथ्यों पर आधारित जांच करने के निर्देश दिए गए ताकि जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके जो दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि कल हमने जांच रिपोर्ट मगवा ली है और उस रिपोर्ट से मैं सतुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैंने यहाँ से हैड ऑफिस से किसी सीनियर अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें सही मायने में दोषी कौन है। मैं माननीय सदस्य का यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि चाहे दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मामले में जांच करवाई गई है। जांच में डॉ० जी०के० सपडा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व डॉ० अश्वनी कुमार रोहिला, चिकित्सा अधिकारी दोषी पाए गए थे। इन अधिकारियों को नियम 8 में आरोपित किया जा चुका है। अधिकारियों ने आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

(25-5-09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (26-5-2009)

मामला है तथा दवाइयों की कमी के कारण लोगों को काफी हानी हुई है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस सबंध में इस महान सदन के पटल पर एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे ताकि लोग मामले में सूचना प्राप्त कर सकें।

148

श्री दिनेश कौशिक द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 610 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि—
(क) क्या पुण्डरी जिला कैथल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा
(ख) यदि हाँ तो उसका दर्जा कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

13-3-2007

(क) जी हा, श्रीमान।
(ख) समय सीमा नहीं दी जा सकती।

सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 20/91/2000-4 एच बी -III दिनांक 10 7 2008 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुण्डरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड करने बारे वित्त वर्ष 2009-2010 में विचार करने का निर्णय लिया गया है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

199

149

ताराकित प्रश्न सख्या 606 के सदर्थ में डॉ० शिव शंकर भारद्वाज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—स्पीकर सर भिवानी का जो रिजिल होस्पीटल है वह एशिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा होस्पीटल है। इसमें रिस्कन मेडिसिन, सर्जरी

16-3-2007

***** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि हम उस होस्पीटल में कार्डर्ड थैरेपी का एक कैंसर यूनिट खोलने जा रहे हैं।

सांठहं भिवानी में कोबाल्ट थैरेपी यूनिट स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने दिनांक 28 9 2007 को 3 00 करोड़ रुपये की स्वीकृति भेजी थी जिसमें से 2 75 करोड़ रुपये की लागत से कोबाल्ट थैरेपी

The Committee would like to know the latest position in this regard (26-5 2009)

The Committee would like to know the latest position in this regard (26-5 2009)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा को गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ई एन टी और आईज जैसे सब विभाग कार्यरत हैं इसलिए इसको मैडीकल कॉलेज बनाने में सरकार पर अधिक बोझ भी नहीं आवेगा और साथ ही मैडीकल कॉलेज बनने पर यह सारे दक्षिणी हरियाणा की मांग को भी पूरा करने में सक्षम हो सकता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदया से जानना चाहूँगा कि जब वहाँ पर सारा इफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है तो क्या सरकार उस सिविल होस्पिटल को मैडीकल कॉलेज बनाने पर विचार करेगी क्योंकि इससे सरकार को कोई ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।

150 राज्यपाल अभिभाषण।

7-3-2008

वर्ष 2008 2009 के दौरान सात नयी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरिया स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। चिकित्सकीय शिक्षा तथा शोध को और आगे बढ़ावा देने तथा प्रदेश में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाने के लिए

यूनिट मशीन खरीदी गई है। इसके भवन हेतु भूमि earmark हो गई है तथा त्रकशा भी पास हो गया है। भवन का निर्माण करवाने हेतु टेण्डर कॉल किये जाने हैं। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरान्त ही क्रीबाल्ट धैरेपी यूनिट मशीन install कर दी जाएगी।

(25 5 2009)

रोहतक स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एव आयुर्विज्ञान संस्थान को पंडित भगवत दयाल शर्मा हैलथ साईंसेज यूनिवर्सिटी के नाम से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है।

10-3-2008

- (क) नहीं श्रीमान जी।
(ख) हा श्रीमान जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी एच सी) बादली जा दर्जा बढा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, (सी एच सी) करना सरकार के विचाराधीन है?

- 151 श्री नरेश शर्मा द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 899 - क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि- क्या यह तथ्य है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी एच सी) गांव बादली का दर्जा कम करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया गया था, तथा

- (ख) यदि हा, तो क्या बादली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी एच सी) का दर्जा पुन बढा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी एच सी) करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

19-3-2008

- *****
(क) मल्ही स्पेशलिटी अस्पताल कैथल के भवन/वार्डस/अन्य सुविधाओं

- 152 श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 840 - क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बताएंगे कि—

- (क) कैथल में बहु-विशेषता अस्पताल की इमारत/चिकित्सकी तथा अमले के रिहायशी चार्जों का निर्माण कार्य/अन्य सुविधाएँ कब तक पूरी की जाने की संभावना है, तथा उक्त परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा 31-1-2008 तक आबंटित/जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

का निर्माण अक्टूबर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है। डॉक्टरों व स्टाफ के रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य 12 महीने की समय सीमा के साथ धन की उपलब्धता पर मई 2009 तक आबंटित किए जाने की संभावना है।

20-3-2008

माननीय स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से आदरणीय बहन जी को यह बताना चाहूँगी कि यह बात बिल्कुल सच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौलिया का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करना सरकार के विचाराधीन है। लेकिन इसकी समय सीमा इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जमीन देने के लिए पचायत का रेजोल्यूशन तो हमारे पास आ चुका है लेकिन वह जमीन अभी

153 श्रीमती प्रसन्ती देवी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 991 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला पानीपत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नौलिया का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हाँ, तो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा कब तक

बढाए जाने की सम्भावना है ?

तक स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांस्फर नहीं हुई है ।

154 ताराकित प्रश्न सख्या 991 के सदस्य
मे श्री नरेश यादव द्वारा पूछा गया
अनुपूरक प्रश्न स्पीकर सर, मे
आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य
मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हू कि
मेरे विधान सभा क्षेत्र मे काटी और
बाछौद मे पी एच सी मजूर हुई थी
उन पर कब तक काम शुरू हो
जाएगा । इसके जलावा माननीय
मुख्यमन्त्री जी द्वारा अटेली मडी के
लिए 50 बैड का हॉस्पिटल अनाउस
किया गया था उस पर कब कार्यवाही
शुरू हो जाएगी ।

28-3-2008

माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो
सवाल पूछा है इस बारे में मैं आपको बताना
चाहूँगी कि अभी 39 स्थानों पर काम चालू
है और नये बजट में जो पैसा स्वास्थ्य विभाग
के लिए निर्धारित हुआ है उसके मुताबिक
जो माननीय मुख्यमन्त्री जी की अनाउसमेंट
है आपको पूरा करने के लिए हम कमीटिड
है और माननीय मुख्यमन्त्री भी ऐसी
कमिटमेंट नहीं करते जो पूरी न हो सकती
हो । इसलिए अगले साल में जरूर उन पर
काम शुरू हो जाएगा ।

2-9-2008

155 श्री नरेश यादव द्वारा पूछा गया
ताराकित प्रश्न सख्या 1002 क्या
स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि—
(क) क्या अटेली मण्डी के सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढाकर 50
शय्याओं तक करने का कोई प्रस्ताव
सरकार के विचाराधीन है, तथा

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अटेली के
नए भवन के निर्माण हेतु नक्शे बनाए
जा रहे हैं और निर्माण कार्य वर्ष
2009 में शुरू होने की सम्भावना है ।
भवन निर्माण पर लगभग 690
करोड रुपये खर्च होंगे ।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा को गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) यदि हा, तो ऊपर के भाग (क) में निर्दिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है तथा उस पर अनुमानित कुल कितनी राशि खर्च की जानी है?

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

- 156 श्री रामपाल माजरा, एम०एल०ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं० 507—
 “क्या विकास तथा पंचायत मंत्री कृपया बताएँ कि क्या वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान जिला कैथल के गांव पट्टी अफगान, पट्टी चौधरी तथा पट्टी कैसथ-सेठ की पंचायत भूमि पट्टे पर दी गई थी यदि हा तो उससे कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, * * *
 अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जो जमीन 1995-96 के लिए पट्टे पर छोड़ी गई है क्या उसकी बोली नहीं हुई? म्यूनिसिपल कमिटी तथा ग्राम पंचायतों की जो जमीन पट्टे पर छोड़ी गई है उसकी बोली होगी चाहिए थी जो बोली नहीं हुई है, क्या यह पट्टी के 4-5 असदार कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से नहीं हुई अथवा एडमिनिस्ट्रेशन लैप्स रही है?”

20-1-98

“अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा। अब यह हिस्सा कमिटी में आया है और कमिटी ने इसकी नीलामी की और इस वर्ष 16 64 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। मे इनको यह बताना चाहूंगा कि जैसे ही एंडी०सी० महोदय की रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और पूरा पैसा वसूल किया जाएगा।”

इस सम्बन्ध में नगर परिषद, कैथल से उनके पत्र क्रमांक 124 दिनांक 30 1 2010 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। विषयाधीन तारांकित प्रश्न संख्या 507 बारे स्पष्ट किया जाता है कि सरकार की अधिसूचना संख्या 18/3/93 3सी1, दिनांक 19 3 1996 को नगर परिषद कैथल की सीमा वृद्धि की गई थी जिसमें पत्नी चौधरी, पत्नी अफगान, पत्नी कायस्थ सेठ पत्नी गावड़, पत्नी डोंगर व पत्नी खोत पूरी शामिल की गई थी, परन्तु वर्ष 1997 में सरकार की अधिसूचना संख्या 18/3/93 3सी1, दिनांक 31 12 1997 को उपरोक्त वर्णित अधिसूचना में से पत्नी अफगान का अधिकांश हिस्सा, पत्नी खोत का अधिकांश हिस्सा व पत्नी डोंगर का अधिकांश हिस्सा नगर परिषद,

The Committee would like to know the latest position in this regard (2 2 2010)

कैथल की सीमा से बाहर कर दिया जिसमे पूरी कृषि योग्य भूमि सम्मिलित है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिस समय नगर परिषद कैथल द्वारा कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर दिया गया था, वह राशि नगर परिषद कोष मे जमा करवा ली गई थी। सम्बन्धित रिकॉर्ड, जिसमे उपायुक्त कैथल के कार्यालय की फाईल (पृष्ठ 1 से 249) व नगर परिषद, कैथल की फाईल (पेज न० 1 से 335) श्री एस पी गुप्ता, सहायक निदेशक, पचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ को दिनांक 15 1 1998 को सौंप दी गई थी। क्योंकि वर्णित भूमि पचायत विभाग की है और मूल रूप मे सारा रिकार्ड पचायत विभाग को सौंपा जा चुका है। इसलिए यह आश्वासन पचायत विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाये।

(2-2-2010)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा को गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

157 श्री शादी लाल बत्तरा द्वारा पूछा (क) हा, श्रीमान जी ।

गया ताराकित प्रश्न संख्या 1565

का भाग (क) क्या नगर विकास

राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या प्रेम नगर चौक तथा

पुराना गोहाना अड्डा को

जोड़ने वाली सड़को का पुन

निर्माण या चौड़ा करने का

कोई प्रस्ताव सरकार के

विचाराधीन है ।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
FORESTS DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

148 तारांकित प्रश्न संख्या 77 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश चौटाला का अपना गृह जिला सिरसा है और क्योंकि तमाम हरियाणा में शीशम के पड़ कटने की घटना मंत्री जी ने अपने जवाब में नहीं मानी है तो अकेले सिरसा जिले में शीशम के पेड़ों का कटना पिछले मुख्यमंत्री की साजिश से, बदनियती से और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ही सम्भव है और इसी कारण स्टेट एक्सचेंजर का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपका माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले फॉरेस्ट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तथा उन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मंत्री जी कानूनी कार्यवाही करवाने का आशवासन सदन को देगे ?

20 6 2005

श्रीमान अध्यक्ष महोदय हम इस मामले पर विचार करेंगे तथा इसकी जांच करायेगे। यदि हमें कोई झूट मिलती है तो हम मामले की तह तक जायेगे।

इस मामले में सरकार द्वारा सतर्कता विभाग द्वारा जाच के आदेश दे दिये गये है, जाच चल रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard (27 1 2010)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० सख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

- 159 श्री तेजवीर सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 1223 — क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि—
- (क) राजकीय बहुतकनीकी महा-विद्यालय, पबनावा जिला कैथल को स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है ?
- (ए) 30-10-2002
- ग्राम पंचायत से 20 एकड़ 1 मरला भूमि ली जा चुकी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मजूरी ली जा चुकी है। निर्माण कार्य धन राशि उपलब्ध होने पर शुरू कर दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा 20 एकड़ भूमि विभाग को मुफ्त में प्रदान की गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गांव पबनावा से बहुतकनीकी संस्थान खोलने हेतु मामला विचाराधीन है।
- (29 12-09)
- The Committee would like to know the latest position in this regard (22 1 2010)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
DEVELOPMENT & PANCHAYAT DEPARTMENT

Note —In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

13 3 2003

160 श्री राम कुमार कटवाल द्वारा पूछा गया हा श्रीमान जी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाज के सभी वर्गों की चोपलों की मरम्मत करवाई जाएगी। इन चोपालों की मरम्मत करवाने पर लगभग 38 00 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2003 04 में खर्च की जानी प्रस्तावित है।

श्री राम कुमार कटवाल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1417 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में समाज के सभी वर्गों की चोपालों की मरम्मत करने का कोई निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है यदि हा तो वर्ष 2003 के दौरान उन पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है ?

23-7-98

161 श्री रामजी लाल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर में—

“क्या विकास तथा पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला यमुनानगर के गांव कुलचदा की गलियों का निर्माण कार्य अधूरा है, तथा

(ख) यदि हा तो पूर्वोक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?”

“(क) जी हा श्रीमान् जी। एक गली का एक भाग झगड़े के कारण अधूरा है।

(ख) झगड़े का समाधान होने के पश्चात् कार्य पूरा किया जाएगा।”

(क) कमेटी को सूचित किया जाता है कि गांव कुलचदा में एम एल ए फण्ड से खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, मुस्तफाबाद कार्यालय में 20,000 रु० प्राप्त हुये थे। जिससे मेन गली व ईस्माईल के घर से तालाब तक की गलिया पक्की बनाई जानी थी। लेकिन एक गली का कुछ भाग झगड़े के कारण

The Committee would like to know the latest position in this regard (17 2 10)

अधूरा है जिस पर कुछ व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है।

गलियों के नाजायज कब्जे हटाने की कोशिश की गई परन्तु कब्जे करने वालों ने कोर्ट केस दायर कर दिया। मोहम्मद सदिक बनाम ग्राम पचायत कुलचदा के टाईटल से कोर्ट केस माननीय श्री राजीव गोयल, सिविल जज जिला न्यायालय जगाधरी की अदालत में विचाराधीन है। इसकी आगामी सुनवाई 15 फरवरी, 2010 को वारंट आफ प्रोसेसन जारी करने के लिए निश्चित है। अतः कमेटी से प्रार्थना है कि इस आश्वासन को झपट कर लिया जाए।

(17-2-10)

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
ENVIRONMENT DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आस्थापन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

162 ताराकित प्रश्न सं० 305 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
 “अध्यक्ष महोदय हमारे फरीदाबाद जिले में भी करीब 70 प्रतिशत फैक्टरीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं। इनके महकमें से किसी प्रकार की उनको परमिशन नहीं है। मतीजा यह है कि गांव के गांव खाली होने की नोबत आ गई है। हमारे पलवल में भी दो ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनका पाल्यूशन बहुत जबरदस्त है। इसी तरह से हथीन में मोदी के नाम से एक शराब की फैक्टरी है उसका पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। क्या सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?”

13-7-92

स्पीकर साहब जो हथीन के अन्दर फैक्टरी है, वह काफी पॉल्यूशन कर रही है और हमने उसके खिलाफ नोटिस जारी करने का फैसला ले लिया है। अगर यह ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे तो हमने उसको बन्द करने की भी कार्यवाही चला रखी है हम उसे बन्द करवा देंगे।

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी धारूहेडा ने अपने पत्र क्रमांक 3562 दिनांक 06.05.2008 द्वारा सूचित किया है कि मैसर्स अशोका डिस्ट्रिलीज एंड कौमिकल प्रा लि ने जल सशोधन संयंत्र जिसमें प्राईमर सैकण्डरी टरशरी व साथ में भट्टी आफसेट आपरेटर और ड्राईंग सिस्टम जीरो डिस्चार्ज की प्राप्ति के लिए लगा रखे हैं।

ईकाई ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भट्टी साईकलोन लगा रखे हैं। ईकाई ने एएयू (एमबीयट एयर क्वालिटी) स्टेशनस भी लगा रखे हैं। केवल कनहैनसेट पानी जो सपैट वाश के साथ निकलता है वह नियमों की पालना कर रहा है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (26-8-08)

ध्यानकर्षण प्रस्ताव सख्या 27 (पानीपत थर्मल प्लाट की गन्दी राख गावो मे गिरने सबधी) पर श्री अध्यक्ष द्वारा ली गई जानकारी—“मन्त्री जी आप पर्सनली वहा पर विजिट करे क्योकि खुखराना मे वास्तव मे यह प्रोब्लम है। वह एक छोटा गाव है अगर उस गाव को कही दूसरी जगह पर जमीन एक्वायर करके बसाया जा सकता हो तो ऐसा अवश्य करे क्योकि केवल तीन चार एकड जमीन मे ही काम चल जाएगा और फिर उस गाव के लोग दूसरी जगह पर बसने के लिए तैयार भी है।”

23-3-95

अध्यक्ष महोदय जैसा आपने कहा कि खुखराना के गाव के लोग कह रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दूरी पर जमीन एक्वायर करके बसा दे। अगर वे लोग चाहते हैं कि उनको दूरी पर दूसरी जगह बसा दिया जाए तो हम इन भाईयो से बातचीत करके डी०सी० के बिचमे यह काम लगाएंगे कि वे खुद उन लोगो से पूछ ले और उनसे जगह का पूछ लें कि कौनसी जगह पर उनको बसाया जाए। अगर वह छोटा सा सारा गाव सहमत हो गया तो हम उन लोगो को दूसरी जगह पर बसा देंगे।

थर्मल पावर प्लाट पानीपत की स्थिति निम्न प्रकार से है

जल एक्ट - इकाई को जल एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए सहमति दे दी गई है।

वायु एक्ट - इकाई ने वायु एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिए अप्लाई किया है परन्तु वायु एक्ट के अन्तर्गत सहमति कुछ टिप्पणियो की परिपालना अभी पूरी की जाने के कारण नहीं दी गई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आठ

इकाइयो पर इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसीपीटेअर्ज स्थापित किए जा चुके हैं। इकाई पर इ एस पीज की स्थापना की स्टैक मानिट्रिंग रिपोर्ट इकाई ने प्रस्तुत कर दी है। इकाई 7 एवं 8 पर एस पी एम 150 मिलीग्राम/एन एम की निर्धारित सीमा के अन्दर है। इकाई 1 एवं 2 तथा 3 एवं 4 पर इ एस पीज पहले ही स्थापित की जा चुकी है परन्तु इ एस पीज मे कुछ खामियो के कारण एस पी एम को अनुज्ञेय सीमा लाघते पाये गए हैं।

The Committee would like to know the latest position in this regard (26.8.08)

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	7	3	4	5

इकाई ने धूल उड़ने के स्तर को सीमा में बनाए रखने के लिए इकाईयो 1 2 3 एव 4 की इ एस पीज में खामियो को दूर करने के लिए बी एच इ एल एव बैपकोन को मजूरी दी है। यह इकाई चीमनी में कुछ लीकेज के कारण इकाई 5 एव 6 स्टैक मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही है जो कि इकाई 5 एव 6 के शूट डाउन होते ही मरम्मत कर दी जाएगी। यह इकाई 12000 मीट्रिक टन प्रति दिन कोयला प्रयोग में ला रही है तथा लगभग 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन राख को दो तालाबों में अर्थात् एक इकाई 1 से 6 तथा दूसरा 7 एव 8 के लिए निपटान कर रही है। खराब पानी रिकवरी प्रणालिया भी दोनों राख तालाब पर स्थापित किए गए हैं तथा प्लाट में बेकार पानी का पुन प्रयोग किया जा रहा है।

13 3-2008

164 आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सबधी नैर सरकारी सकल्प पर चर्चा के दौरान श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया प्रश्न *** स रे इलैक्ट्रोप्लेटिंग के काम फरीदाबाद मे है इसके जलावा फरीदाबाद के न जाने कितने कारखानो का गद आगरा कैनाल, यमुना कैनाल और गुडगाव कैनाल मे पड रहा है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हू कि वे इस मामले मे क्या कार्यवाही कर रहे है?

दलाल साहब आप मंत्री रहे है आपको मालूम हे कि ये दायरा पोल्डूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। आपने बात रेज की है, सदन मे आपने मामला उठाया है तो मै आपको बताना चाहूंगा कि यहा पोल्डूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बैठे है और सरकार इसको नोट करेगी और जो इस तरह के काम करते है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। आपने यह बात रेज की है तो हम मी पोल्डूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखेगे कि उन पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

20 3-2008

हा श्रीमान् जी।

165 श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 886 का भाग (क) क्या पर्यावरण राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि—
(क) क्या वर्ष 2004 से 2007 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मे पर्यावरण अभियन्ताओ के कपटपूर्ण चयन तथा नियुक्ति के किसी

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मामले का पता चला है।

166 ताराकित प्रश्न संख्या 886 के सदस्य मे श्री कर्ण सिंह दलाल पूछा गया अनुपूरक प्रश्न ***अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 4 9 2007 को यह एफ आई आर दर्ज कराई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि एफ आई आर दर्ज करने से काम नहीं चलेगा जो लोग उस वक्त इस भर्ती में शुमार थे इन भर्तियों को करने में जो शामिल थे, वे हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। जिनको ये नियुक्तिया दी गई हैं उनकी आज क्या स्थिति है क्योंकि सिर्फ एफ आई आर दर्ज करने से काम नहीं चलता। क्या मंत्री जी बताएंगे कि सविधान की धारा 311 या किसी भी सरकार के विभाग के कानून के माफ़त जो ऐसी धोखे से नौकरिया

20 3-2008

अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि इस केस में विजिलेंस इक्वायरी इस्टीम्यूटिड है और तीन आदमी जिनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इक्वायरी में आगे जो भी निकलेगा उसके अनुसार सख्ती से कार्यवाही की जाएगी क्योंकि जो गलत काम किया गया है उसमें किसी को कतई माफ नहीं किया जाएगा। ***जिन्होंने इस बात को प्वायटआउट नहीं किया उनको भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिये गये हैं और उनको चार्जशीट कर दिया गया है।

ली गई है उनको तुरन्त प्रभाव से
 नौकरियों से बाहर निकाला जायेगा
 और जो सैलरीज इन्होंने ली है उनको
 उनसे वापस वसूला जायेगा । मंत्री
 जी इस बारे में बताने की कृपा
 करें ।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

167

"दि हरियाणा रेगुलेशन एंड कंट्रोल आफ क्रेशर्ज बिल 1991" के संदर्भ में चौ० अजमत खान द्वारा दिया गया सुझाव—

"स्पीकर साहब, इन क्रेशरों की धूल से टी०बी० और अन्य प्रकार की बीमारियां मजदूरों और आस पास के रहने वाले लोगों में होती हैं साथ ही इनकी धूल से एक कि० मी० तक किसान की फसल को भी नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां तक भी ये क्रेशर लगाए जाएं वहां पर किसान की फसल को ध्यान में रखें और अगर क्रेशर की गर्द से किसान की खेती पर प्रभाव पड़ता है या तो किसान की खेती का बीमा करवाया जाए या उसको मुआवजा दिया जाए।"

20-12-91

* * * स्पीकर साहब इन्होंने जो फसल की बात कही है वह बिल्कुल सही है और सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी।

पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 9-6-1992 जो कि हरियाणा सरकार के बजट (असाधारण) दिनांक 9-6-1992 को प्रकाशित हुई अनुसार स्टोन क्रेशरज के लिये अलग-अलग सीमाये निर्धारित की गई। इस अधिसूचना की तिथि के छ माह पश्चात मे किसी भी स्टोन क्रेशर जो कि राष्ट्रीय राज मार्ग से डेढ किलोमीटर राजकीय राजमार्ग से एक किलोमीटर गांव की आबादी से एक किलोमीटर एंव पर्यटन केन्द्र से डेढ किलोमीटर के अन्दर-अन्दर लगा होगा को चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिला गुडगाव महेंद्रगढ़, भिवानी तथा यमुनानगर के 78 स्टोन क्रेशरज जिन्होंने विभाग से लाइसेंस नहीं लिया था तथा वह उपरोक्त दूरियां पूरी नहीं करते थे की बिजली काटने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को दिनांक 28-5-93 को आग्रह किया गया है। यह

कमेटी इस बारे लेटेस्ट पोजीशन जानना चाहती है कि कितने क्रेशर हटा दिए गए है और बाकी जो बचते है उनको हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?
(19-7-93)

टिप्पणी भेजते-भेजते समय तक इन में से बहुत से स्टोन क्रेशरज की बिजली कट भी गई है। इस तरह से भविष्य में स्टोन क्रेशरज किसानों की फसलों से दूर लगाये जायेंगे जिससे फसल को नुकसान होने का अन्देशा नहीं होगा।

21-11-96

(ख) बड़े खनिजों के निष्कासन के लिए खान पट्टे प्रदान किए जाते हैं जबकि लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे ठेके लघु अवधि परमिट दिए जाते हैं। ज्यादा समय के लिए खनन पट्टे देने की बजाए खानों को सिर्फ ठेके पर देना सरकार के विचाराधीन है। इसलिए नई सरकार के गठन के उपरान्त किसी भी निजी उद्यमी को कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया।
(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सं० 140 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में क्या वित्त मंत्री कृपया बताएँ कि—
(ख) राज्य में खानों तथा खनिजों के उत्खनन के लिए वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है तथा
(ग) क्या राज्य में निजी पट्टा प्रणाली समाप्त करके खानों तथा खनिजों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हा तो इस सबध में क्या पग उठाए या उठाए जाने प्रस्तावित है?

168

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

169 ताराकित प्रश्न संख्या 926 के सदर्थ में श्री जसबीर मलौर द्वारा पूछा गया अनुपूर्वक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मेरे गांव में भी जो वैटरनरी होस्पिटल आज से 25 साल पहले बना था उसकी बिल्डिंग गिर चुकी है डॉक्टरों के क्वार्टर भी गिर चुके हैं पिछले दिनों इस बारे में डिपार्टमेंट के थ्रू केस भिजवाया गया था उसके बाद बिल्डिंग के लिए पैसा रिलीज हो गया और बिल्डिंग भी बन गई है लेकिन डॉक्टरों के क्वार्टर बनाने के लिए हमने यू सी भेज दिया है, मेरे गांव के आस-पास 8 गांव हैं और होस्पिटल मेरे गांव में है। रात के समय जब कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसको होस्पिटल में लाया जाता है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं होते क्योंकि वे वहां पर क्वार्टर न होने के कारण अम्बाला शहर में रहते हैं। *** मैं मंत्री जी से अनुरोध

20-3-2002

***जैसे मैंने अभी बताया था कि अब तक 896 एस्टीमेट पूरे प्रदेश से आ चुके हैं। हमारा 43 कराड 62 लाख 56 रुपये नाबाई से लोन लेने का प्रावधान है। जैसे ही लान का व्यवस्था होगी मलौर जी के गांव ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी होस्पिटल हैं या पशु औषधालय हैं सबकी बकायदा मरम्मत की जाएगी, नई बिल्डिंग भी बनाई जाएगी इसलिए मैं मानीय साथी को आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में उनके यहाँ होस्पिटल में डॉक्टरों के क्वार्टरों की बिल्डिंग भी बना दी जाएगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard (17-6-2009)

इस विषय पर सूचित किया जाता है कि राजकीय पशु चिकित्सालय, मलौर में स्टाफ के क्वार्टर बनाने के लिये उप निदेशक अम्बाला से एस्टीमेट प्राप्त किये गये हैं जिसके आधार पर 22,00,000/ रुपये की राशि अतिरिक्त उपयुक्त, अम्बाला का पत्र क्रमांक 49104 दिनांक 18.12.2008 द्वारा जारी कर दी गई है। अतः शीघ्र ही इस पशु चिकित्सालय में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य करवा लिया जाएगा।

(26.2.09)

करना कि हमारे पीछा ऐसे को जल्दी रिलीज करके जल्दी से जल्दी वहा डॉक्टर के क्वार्टर बनवाने का कष्ट करवाया जाए।

170 ताराकित प्रश्न सख्या 878 के सदस्य मे श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- ** अध्यक्ष महोदय, जब एल आर भी इस बात को मानता है और उस समय के आयुक्त, पशु पालन विभाग ने भी एच पी एस सी को लिखकर सूचना दी थी कि रूतज सशोधित हो चुके है। उन्होंने यह प्रोसैस इसलिए जारी रखा कि उसमे एच पी एस सी के चैयरमैन मैम्बर के रिश्तेदार, मुख्यमंत्री और उनके बेटों के चेहरे थे जिन्होंने रिश्त देकर इन पदों को प्राप्त किया। क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री या उनके बेटे अजय सिंह चाटाला के नोट पर यह सारा प्रोसैस पूरा हुआ है? क्या डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा लिखे गये नोट को ग्राउंड बनाकर

25 3 2008

** अगर यह बात सही है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हू कि इस केस मे हेराफेरी नहीं होगी और इस केस का पूरा फैसला किया जाएगा। यह बात नहीं है कि इसमे ज्यादा देर लगेगी हम 30 दिन के अंदर ही इसका फैसला कर देंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

फाईल चला दी? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

20-9-2006

- 171 श्री कण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया
अताराकित प्रश्न संख्या 44 क्या मुख्य
मंत्री कृपया बताएंगे कि—
अप्रैल 2000 से मार्च 2005 तक के वर्षों
के दौरान गुडगॉव फरीदाबाद तथा
पंचकुला में हुडा द्वारा वाणिज्यिक/होटल
तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नीलाम
किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है तथा
उनके आरक्षित तथा नीलामी के मूल्य
क्या है तथा उपरोक्त बोलियों में भाग लेने
वाले बोलीदाताओं के नाम तथा पते क्या
हैं तथा क्या ऊपर के भाग (क) में
यथानिर्दिष्ट स्थलों की नीलामी में हुई
अनियमितताओं के सबंध में कोई
शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो उसका
ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही
की गई?

यह आश्वासन हरियाणा शहरी सम्पदा
प्राधिकारी से सम्बन्धित है। निदेशालय
के पत्र क्रमांक 10 9 2008 द्वारा उक्त को
स्थानान्तरित कर दिया गया है।
(20-1-09)

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(21 1-09)

3 9 2008

- 172 श्री राम कुमार गौतम द्वारा पूछा
गया ताराकित प्रश्न संख्या 1014
अध्यक्ष महोदय नारनौद शहर में केवल
15% तक मल निकासी व्यवस्था लगी हुई

के सदस्य में क्या जलापूर्ति तथा स्वच्छता मंत्री कृपया बताएँ कि नारनौद नगर पालिका के सीवरों के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

श्री। सरकार ने वर्ष 2006-2007 में पूरी मल निकासी व्यवस्था लगाने डिस्पोजल बनाने तथा भूमि अर्जित करने के लिए 291 लाख रुपये की प्रशासकीय अनुमति प्रदान की। इस योजना की पूरी धनराशि आवंटित की जा चुकी है इसके विरुद्ध 140.69 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। डिस्पोजल के लिए भूमि का अधिग्रहण उच्चतम न्यायालय तक चली लम्बी मुकदमेबाजी के उपरान्त हुआ। सीवरों लाईन तथा डिस्पोजल का कार्य 30.6.2009 तक सम्पन्न होने की संभावना है।

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
FINANCE DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

7-3-2001

(प्रथम बैठक)

173 तारांकित प्रश्न संख्या 307 के संदर्भ में श्री शेरसिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही (राज्य में सभी कोषागारों को कम्प्यूटीकृत करने की) कब तक हो जाएगी और इस पर कितना खर्च आएगा? × ×

× × में इनको यह बताना चाहूंगा कि इसमें टाटल चार करोड़ 84 लाख रुपया खर्च होगा। हमारे यहां पर 80 सब-ट्रेजरीज हैं और 21 डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज हैं। इन सभी को कम्प्यूटराइज किया जाएगा। जहां तक इन्होंने कितने समय में यह काम पूरा हो जाएगा के बारे में पूछा है के बारे में पूछा है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सारी ट्रेजरीज कम्प्यूटराइज हो जाएगी।

राज्य के सभी 21 जिला खजानों तथा 80 उप खजानों में हार्डवेयर इन्स्टाल हो चुका है। इन सभी स्थानों पर साफ्टवेयर (ओ०टी०आई०एस०) भी इन्स्टाल हो चुका है। सभी खजाने / उप खजाने कम्प्यूटीकृत हो चुके हैं। सभी उप खजानों से डाटा संबंधित जिला खजाना को तथा जिला खजाना से डाटा मुख्यालय को चण्डीगढ़ में ट्रांसफर हो रहा है तथा सभी खजानों से कम्प्यूटराइज लेखे महालेखाकार हरियाणा को भेजे जा रहे हैं। सरकारी लेन-देन करने वाले बैंकों में हार्डवेयर व साफ्टवेयर इन्स्टाल हो चुका है तथा उनकी खजानों के साथ कनैक्टिविटी जारी है। कुछ बैंकों से डाटा संबंधित खजानों/उप खजानों को ट्रांसफर किया जा रहा है। वैंट लागू होने के कारण साफ्टवेयर में परिवर्तन बारे मामला बैंकों से टेक अप किया हुआ है। वित्त विभाग

The Committee would like to know the latest position in this regard (10 11 2003)

को कुछ लेखा शीर्षों के आकड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् ई-मेल से भेजे जा रहे हैं। महालेखाकार हरियाणा को भी डाटा 2 फलौपी में चैक करने हेतु भेजा हुआ है ताकि महालेखाकार हरियाणा को लेखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेजा जा सके। इस बारे प्रयास उच्च प्राथमिकता पर किये जा रहे हैं। यह कार्य भी निकट भविष्य में पूरा हो जाने की संभावना है।
(9-9-2003)

22-3-2007

अध्यक्ष महोदय श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने भी बहुत से सुझाव दिये हैं। उन्होंने के०एम०पी० एक्सप्रेस हाई-वे के बारे में कहा कि इसके जो ऐगजिट प्वायट हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एजुकेशन सिटी कुडली में रोहतक में, बहादुरगढ़ में और मेवात में जहाँ लैटर इंडस्ट्री है इन शहरों में तो ऐगजिट प्वायट का ध्यान रखा गया है लेकिन बल्लभगढ़ और फरीदाबाद को छोड़ दिया गया है। स्पीकर सर ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो के०एम०पी० एक्सप्रेस हाई-वे का सुपर स्ट्रक्चर बनाया है उसके ऐगजिट प्वायट

174 बजट पर चर्चा के दौरान

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

दिल्ली को कनैट करेगे चाहे वह तीन किलोमीटर का फासला हो या तीस किलोमीटर का फासला हो उनको भी हम उसी तब पर डिवाइस करेगे ताकि कम्पोजिट और समृद्ध डिवाइलपमेंट सारे के०एम०पी० के साथ-साथ सुपर एक्सप्रेस वे के साथ भी हो सके।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		15-3-2002		The Committee would like to know the latest position in this regard (21 1 2010)
175	ताराकित प्रश्न संख्या 1018 के संदर्भ में श्री बलवंत सिंह मायना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के जुलाना गाव के अन्दर स्टेडियम के लिए नार्थ के हिस्सा से पैसा जमा कराया दिया गया है, वहाँ पर कब तक काम शुरू होने की सम्भावना है ?	अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बताया है और अब फिर बता देता हूँ कि जिनकी तरफ से 75 हजार रुपये और पांच एकड़ जमीन दे दी गई है वहाँ पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे पास 27 खेल मैदानों के लिए पैसा आ चुका है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को दरखास्त भेजी हुई है, जितने भी केस हैं उनको एजामिन कर लिया गया है और कार्य प्रोसेस में है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से पैसा उपलब्ध होने पर कार्य पूरा कर दिया जाएगा।	ग्राम पंचायत घुलियाना ने चाहा है कि, उनके गाव में ब्लॉक स्तर का स्टेडियम निर्माण करवाया जाये, जो कि HSAMB के माध्यम से बनवाया जायेगा। मानला ट्रांसफर करने हेतु कार्यवाही अग्रसर है। (21 1 10)	
176	ताराकित प्रश्न संख्या 1018 के संदर्भ में श्री रामफल कुण्डू द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सफीदो में भी खेल का मैदान बनाने की परपोजल इनके पास बनकर आई थी, क्या वह सरकार के विचारधीन है। अगर हा तो कब तक कार्य पूरा कर दिया	अध्यक्ष महोदय इस बारे में भी माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सफीदो के बारे में भी यही नार्थ है जो कि मैंने जिला स्तर के बारे में बताया है। अगर इन्होंने फायरटेडीज पूरी की होगी और 75 हजार रुपया जमा करवा दिया होगा तो मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि यह कार्य प्रोसेस में है और उस पर जरूर कार्यवाही होगी।	यह अनुमान 92 22 लाख रुपये हो गया है जिसकी राशि 23 00 लाख रुपये दिनांक 25 4 09 और 27 3 09 को 5 00 लाख तथा 15 00 लाख रुपये दिनांक 30 6 09 को। कुल राशि 43 00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा नक्शे/ड्राईंग बनवाने	

हेतु मुख्य वास्तुकार हरियाणा चण्डीगढ़ को पत्र दिनांक 13 8 09 को लिख दिया है ।

(21 1 10)

177

तारकित प्रश्न सख्या 649 के सबध मे प्रो० छतर पाल सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो बैडमिंटन कोच का सवाल भिवानी के मुतलिक उठा है तो क्या कोई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर भिवानी के अलाबा और भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर है जहा पर बैडमिंटन का कोच नही है या बैडमिंटन की सुविधा नही है और यदि नही है, तो क्या फर्दर कर्हों पर बैडमिंटन कोच लगाने का सरकार का विचार है ?

14-3-2007

अध्यक्ष जी, जैसा मैंने दूसरे सवाल के उत्तर मे बताया कि हर स्थान पर अलग-अलग खेलो की प्रतिभा है जहाँ पर भी बैडमिंटन के खिलाडी होंगे वहाँ पर हर जिले मे हम बैडमिंटन के कोच लगाने का भी प्रावधान करेंगे ।

The Committee would like to know the latest position in this regard (15-4-09)

राज्य मे बैडमिन्टन खेल के प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 14 1 2008 को भारतीय खेल प्राधिकरण को जिला भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र रोहतक व हिसार मे नियुक्त किया । 5 बैडमिन्टन प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक साई द्वारा प्रशिक्षक नियुक्त नही किये गये है ।

(6 4 2009)

178

बजट अनुमान 2007-08

16-3-2007

रोहतक मे एक आधुनिक खेल परिसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । मोती लाल नेहरू खेल स्कुल, राई मे 2 40 करोड रुपये की लागत से एक इनडोर हाल निर्माणाधीन है । हमारी प्रत्येक खण्ड मे 40-40 लाख रुपये की लागत से एक

The Committee would like to know the latest position in this regard (15-4-09)

खेल एवं युवा कल्याण गतिविधियो के उन्नयन के लिए, सरकार ने खेलो की आधारभूत सरचना सृजित करने तथा खेलो मे खिलाडियो की बडे पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग्रामीण स्टेडियम स्थापित करने की योजना है। राज्य में एक रोल अकादमी स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जो सभी आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित होगी।

के लिए वर्ष 2006 07 के दौरान खेल एंव युवा कार्यक्रम विभाग में नान प्लान स्तर 2000 00 लाख प्लान स्तर पर 1976 22 लाख तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 140 00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 08 के दौरान ग्रामीण खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक खण्ड के एक गांव व प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के एक गांव में 6 5 एकड़ में 50 00 लाख रुपये की लागत से खण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इन स्टेडियमों के निर्माण हेतु धन हरियाणा ग्रामीण विकास निधि तथा इसके निर्माण का कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। अब तक इस सम्बन्ध में राज्य में 162 गांवों

का चयन किया जा चुका है। इनमें से अधिकतर का कार्य इसी वर्ष पूरा होने की संभावना है।

1 हुडा द्वारा सैक्टर 6 रोडतक में खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस खेल परिसर में छात्रावास का निर्माण भी किया जायेगा। अतः खेल परिसर के निर्माण उपरान्त परिसर में खेल अकादमी खोलने बारे विचार किया जायेगा।

2 मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई में बहुउद्देशीय हाल निर्माण बारे लिखा जाता है कि 240 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इस हाल के आर्टिक्लचरल ड्राईंग व डिजाईन तथा अनुमान तैयार किये जा चुके हैं। इस हाल का लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 60.00 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(6 4 09)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

179 ताराकित प्रश्न संख्या 841 के संदर्भ में आई जी शेर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न

स्पीकर महोदय, मेरे हल्के जुलाना बॉक्स में एक स्टेडियम सैक्शन हुआ था और लगभग दो साल हो गए हैं लेकिन वह अब तक आधा ही बना है और बीच में ही रुका पड़ा है। 50 लाख रुपये सरकार द्वारा हर स्टेडियम बनाने के लिए मंजूर किये गये थे। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूँ कि यह स्टेडियम कब तक कम्प्लीट हो जायेगा? क्या मंत्री महोदया इस बारे में ऐक्शन लेनी?

20 3 2008

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जुलाना हल्के में नन्दगढ़ में स्टेडियम बन रहा है उसको हम जल्दी ही कम्प्लीट करा देंगे।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
CONSOLIDATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

5 3 2001

180 श्री बलबीर सिंह द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 673 क्या राजस्व मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या महम निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित गांवों की भूमि जोत की चकबन्दी करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है—

- 1 निदाणा
 - 2 धेणी चन्द्रपाल ,
 - 3 गिरावड , तथा
 - 4 मोखरा-खेडी रोज , तथा
- (ख) यदि हा तो इसके कब तक करवाने की संभावना है ?

जी हा गांव निदाना धेणी चन्द्रपाल तथा गिरावड में चकबन्दी कार्य चल रहा है गांव मोखरा खेडी में चकबन्दी की जानी सम्भावित है इन गांवों में चकबन्दी कार्य जून 2002 तक पूरा होने की सम्भावना है।

The Present position of these villages is as under
1. Nidana 8836 acres
The work of this village was revoked on 14 3 06 from the PR stage The consolidation work is under taken afresh The preliminary record work is going on and the same is expected to be completed by August 2008
2. Girwar 4452 acres

The work of this village was revoked on 3 8 06 from PR stage The consolidation work is under taken afresh The preliminary record work is going on and the same is expected to be completed by August 2008

3. Bhami Chanderpal 3250 acres
The repartition work under section 21(1) has been completed and transfer of possession of the land will be expected to be completed by June 2008

The Committee would like to know the latest position in this regard (27 10 2008)

4. Mokhra Kheri 3250 acres
5. Mokhra Roze 3108 acres

The records of these villages have been handed over to the D C Rohitak for preparing the latest Jamabandis As and when the latest Jamabandis are received from the D C Rohitak the consolidation work will be started
(10-6-08)

12-6-2001
(प्रथम बैठक)

ताराकित प्रश्न सख्या 673 के सदर्थ में श्री नफे सिंह राठी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ उपमण्डल में कई बड़े-बड़े गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी का काम नहीं हुआ है जैसे छारा माडोटी, आसोदा। क्या सरकार इन गांवों में चकबन्दी कारवान का विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय जिला इन्चार्ज के आठ गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है जैसे छारा माडोटी बाडसा, आसोदा, टोड़ान बराही खेड़ी मोहम्मदपुर माजरा कलोई। छारा गांव में चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है। माडोटी गांव जो माननीय विधायक जी के हल्के में आता है, में चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है। इसी तरह बाडसा में भी चकबन्दी की स्कीम चल रही है। चूँकि स्टाफ का अभाव है। इन 89 गांवों को छोड़कर 54 के करीब गांवों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। उपरोक्त इन्चार्ज के 8 गांवों में से खेड़ी को छोड़कर बाकि सभी गांवों के लिए मोम प्रकाश चौटाला जी की सरकार

181

249
The Committee would like to know the latest position in this regard
(27 10-2008)

Barahi 2610 acres
Preliminary record of this village is likely to be completed by the month of June 2008
Mohandpur Majra 3774 acres

The work of this village is held up due to the stay granted by the Punjab and Haryana High Court
Kheri Hosdarpur 1498 acres

The consolidation scheme of this village has been published. Repartition work under Section 21(1) will be completed by March 2009 and transfer of possession work likely to be completed by June 2009
Chara, Mandothi & Asoda

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

के निर्देश है कि जल्दी से जल्दी चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। खेड़ी गावो मे क्योंकि जोतो का विभाजन होना है। इसलिए वहा यह कार्य पूर्ण होने के बाद चकबन्दी के कार्य को टेक अप करेगे।

Todran

The latest Jamabandus of these three villages have not yet been received from the Revenue Department of District Jhajjar. In the absence of the same the consolidation work could not be started. District Revenue Officer Jhajjar gave undertaking in the meeting held on 15.11.07 under the Chairmanship of Hon ble Revenue Minister Haryana that the latest Jamabandi of village Chhara will be prepared and handed over to the Consolidation Department by March 2008. Accordingly the consolidation work of this village will be started.

Badsa

Preliminary record of this village is likely to be completed by the month of June 2008.

Kiloi

Preliminary record of this village is likely to be completed by December 2008.

(10-6 08)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

15-3-2002

जी हा।

182 श्री निशान सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1038 — "क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या टोहाना में एक न्यायिक सर्व्यूह निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?"

टोहाना में उप-मण्डल स्तर के कमलैक्स/न्यायिक सर्व्यूह के निर्माण हेतु 98 कनाल 17 मरले भूमि, भूमि अभिग्राहण अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 4 के अधीन भूमि अभिग्राहण की अधिसूचना, दिनांक 1 10 2007 भूमि अभिग्राहण की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 1 10 2008 तथा आदेश, दिनांक 26 2 2008 को राजस्व विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित भवन कमेटी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित भवन के लिए उपयुक्त पाया है तथा भूमि का अनुमोदन कर दिया है। अब यह मामला दिनांक 21 4 2009 को भवन कमेटी के समुख रखा जाना तय है जिसमें प्रस्तावित भवन में स्कोप ऑफ वर्क पर विचार किया जाना है।

(10 4 09)

The Committee would like to know the latest position in this regard (17-6 2009)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
183	श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न सख्या 1825 क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि— (क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं यदि हा, तो इस उद्देश्य के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा ऐसे एक शौचालय के निर्माण पर कितना खर्च किया जाएगा तथा (ख) राज्य में ऊपर के भाग (क) में यथा निर्दिष्ट कुल कितने शौचालयों का निर्माण अब तक किया गया है?	29-9-2004 (क) जी हा श्रीमान जी। इस उद्देश्य के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि ग्राम पंचायत 250 से 300 वर्ग गज जमीन बिना मूल्य के उपलब्ध करवाएंगी तथा भविष्य में परिसर की सफाई तथा रख-रखाव की जिम्मेवारी होगी। एक परिसर की अनुमानित कीमत 1 15 000 रुपये है जिसमें 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत वहन करेगी। (ख) राज्य में अब तक 19 महिला परिसरों का निर्माण किया जा चुका है और 57 निर्माणधीन हैं।	(क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बनाए जा रहे महिला शौचालय परिसर की अनुमानित लागत 1 50 000/- रुपये निर्धारित है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा पंचायतें इन महिला शौचालय परिसरों के लिए 250 से 300 वर्ग गज जमीन बिना मूल्य के उपलब्ध करवाती हैं तथा भविष्य में परिसर की सफाई तथा रख रखाव की जिम्मेवारी लेती हैं। (ख) अब तक मार्च (मार्च 2009) 977 महिला शौचालय परिसरों का निर्माण इस स्कीम के अन्तर्गत करवाया जा चुका है।	The Committee would like to know the latest position in this regard (6 1 2010)
184	बजट अभिभाषण वर्ष 2008 09	18 3 2008	वर्ष 2006-07 में हरियाणा के दो जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की गई तथा वर्ष 2007 08 में दो और जिलों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया। बहरहाल वर्ष 2008 09 में प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।	

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
TOURISM DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या	1	2	3	4
				5

9 2 2004

185 राज्यपाल का अभिभाषण

*ओट्टू में एक नया रेस्टोनेट तथा एक छोटी झील स्थापित करने का प्रस्ताव है। बड़खल झील पिजार उचाना पानीपत बहादुरगढ़ पिपली कुल्छेत्र एवं हिस्सार के पर्यटन परिसरो में उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का प्रस्ताव है।**

ओट्टू में स्थित सिचाई विभाग के विश्राम गृह को पर्यटक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करके वहां पर नया रेस्तरा शुरू कर दिया गया है। ओट्टू में एक छोटी झील स्थापित करने हेतु सिचाई विभाग के पास धन राशि जमा करवा दी गई है।

आश्वासन में अंकित अन्य पर्यटक केन्द्रों पर निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किए गए हैं

बड़खल झील

- 1 मोटल में 9 कमरों तथा कान्पेस हाल का आधुनिकीकरण करना (43 16 लाख रुपये)
- 2 म्यूर रेस्तरासोई तथा जन सुविधाओं की आधुनिकीकरण (5 48 लाख रुपये)
पिजार
- 1 शीश महल (पेस 1) का उन्नयन (8 65 लाख रुपये)

समिति ने इस आश्वासन के बारे में निर्णय लिया कि समिति उपरोक्त पर्यटक परिसरो का मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण के पश्चात ही इस आश्वासन के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

(31 5 2006)

2 रसोई तथा जन सुविधाओं का निर्माण (12.26 लाख रुपये)

उद्याना

- 1 मोटल के 4 कमरा तथा जन सुविधाओं का आधुनिकीकरण (5.62 लाख रुपये)
- 2 रेस्तरा का विस्तार (4.45 लाख)
- 3 ओएसिस के पेट्रोल पम्प का उन्नयन (16.80 लाख रुपये)

पानीपत

- 1 जन सुविधाओं का आधुनिकीकरण (4.72 लाख रुपये)
- 2 सड़क एवं पार्किंग को सुदृढ़ बनाना (4.62 लाख रुपये)
- 3 रेस्तरा तथा बार का उन्नयन (15.63 लाख रुपये)
- 4 पेट्रोल पम्प का उन्नयन (14.51 लाख रुपये)
- 5 4 कमरो का उन्नयन (4.45 लाख रुपये)

बहादुरगढ़

- 1 पेट्रोल पम्प का उन्नयन (14.84 लाख रुपये)
- 2 5 कमरो तथा कान्फेस हाल का आधुनिकीकरण (14.59 लाख)

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पिपली तथा कुरुक्षेत्र

- 1 पिपली तथा कुरुक्षेत्र के पर्यटक केन्द्रों में उपलब्ध लगभग सभी सुविधाओं का उन्नयन किया गया है जिसके लिए भारत सरकार ने 108 25 लाख रुपये की राशि तथा राज्य सरकार ने 42 77 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की।
 - 2 फास्ट फूड पिपली की जन सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। (12 42 लाख)
- हिसार**
- 1 फतेहिगो पर्यटक केन्द्रों में 6 कमरों रसोई तथा जन सुविधाओं का उन्नयन (19 47 लाख रुपये)
 - 2 ब्लूबर्ड पर्यटक केन्द्र में 8 कमरों का आधुनिकीकरण (15 80 लाख)
(10 5 2006)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

186 राज्यपाल का अभिभाषण

12 3 2005

मेरी सरकार स्वतंत्रता सेनानियो और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये बहुत उत्सुक है। राज्य को उन स्वतंत्रता सेनानियो पर गर्व है जिन्होंने हमारी मातृ भूमि की आजादी के लिये जीवनभर "पघर्ष" किया। मेरी सरकार उनके कल्याण के लिए उचित कदम उठाएगी। हरियाणा को अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास की समस्या का सामना करते हैं मेरा सरकार उनके कल्याण के लिए उत्तरदायी एजेंसियों को और अधिक मजबूत बनाएगी।

187 बजट भाषण

23 3 2005

अनुसूचित जातियो तथा पिछड़े वर्गों के लिये सरकारी नौकरियो मे बैकलाग पूरा किया जायेगा तथा आरक्षण नीति को अक्षरसः कार्यान्वित किया जायेगा। हमारा उन हरियाणा के कर्मचारियो के बच्चो को उचित नौकरी देने का प्रस्ताव है जो कि अति कठिनाईयो मे भरे है।

13-3-2007

स्मीकर सर, वैसे तो इनका यह सवाल मेन प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु फिर भी मैं आपकी अनुमति से इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एस सी ए और बी वर्ग का आरक्षण अलग-अलग था लेकिन कुछ लोग ने इसको चुनौती दी थी और हमारे अपने उच्च न्यायालय ने इसको क्वेश्चर कर दिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिस प्रकार का निर्णय वह करेगी, वह हम लागू करेंगे। ****

ताराकित प्रश्न सख्या 57/ के सदस्य मे डॉ० सुशील इंदौरा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न "अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार सभी वर्गों के लिए चिंतित है, यह बात अक्सर कही भी जाती है। अध्यक्ष महोदय पिछले सालो मे एक व्यवस्था कायम की गई थी कि एस सी -ए और एस सी -बी वर्ग के लिए बाहे वह शैक्षणिक समस्याओं की बात हो या नौकरियों की बात हो, उनमे दलित वर्ग के हर आदमी को इसका लाभ मिलेगा लेकिन पिछले दिनो अखबारो मे यह बात आयी थी और उनमे इस बात का वर्णन नही किया गया था कि एस सी - ए वर्ग के लिए कितना रिजर्वेशन है और एस सी -बी वर्ग के लिए कितना रिजर्वेशन है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उस व्यवस्था को खत्म करेगी? मंत्री जी विस्तार से उस व्यवस्था के बारे मे सदन को बताये कि इस बारे मे सरकार की क्या नीति है?"

188

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the**
FOOD & SUPPLY DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

189 ताराकित प्रश्न सख्या 3 के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न
 ***** जिन्हें एन ओ सीज इशू हुए है उन
 पेट्रोल पंप के मालिकों ने बाकायदा चौधरी
 देवीलाल ट्रस्ट के नाम से रिश्वत तौर पर
 बैंक से पेमेंट की हुई है तो अध्यक्ष महोदय में
 आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना
 चाहूंगा कि क्या वे उन अधिकारियों के
 खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने दबाव में
 आकर कानून को ताक पर रखकर प्रदेश के
 पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया ?

13 6 2005

***** इन चार चीजों के बारे में क्लीयरेंस चाहिए
 वे है नेशनल हाइवे सी एल यू, फायर सेफ्टी और
 ट्रैफिक कंट्रोल। इनके लिए हम उनको स्टेयुलेटिड
 टाइम दे रहे हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि इन
 सभी चीजों की क्लीयरेंस वे स्टेयुलेटिड टाइम में पूरी
 करवाए जिन पेट्रोल पम्पस की क्लीयरेंस नहीं आएगी
 उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-4-2008)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान गामीण खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक खण्ड के एक गांव व प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के एक गांव में 65 एकड़ में 50 00 लाख रुपये की लागत से खण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इन स्टेडियमों के निर्माण हेतु धन हरियाणा ग्रामीण विकास निधि तथा इसके निर्माण का कार्य हरियाणा राज्य कवि विपणन बोर्ड 'रा' किया जायेगा। अब तक इस सम्बन्ध राज्य में 155 गांवों का चयन किया जा चुका है। इनमें से अधिकतर का कार्य इसी वर्ष पूरा होने की संभावना है।

1 हुडा द्वारा सैक्टर-6 रोहताक में खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस खेल परिसर में छात्रावास

का निर्माण भी किया जायेगा अतः खेल परिसर के निर्माण उपरान्त परिसर में खेल अकादमी खोलने बारे विचार किया जायेगा।

2 मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई में बहुवैदेशीय हाल निर्माण बारे लिखा जाता है कि 240 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इस हाल के आर्टिकलचरल ड्राईंग व डिजाइन तथा अनुमान तैयार किये जा चुके हैं। इस हाल का लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 60 00 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(28-2-08)

OUTSTANDING ASSURANCES**Relating to the
PERSONNEL DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

20-9-2006

190 श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 516 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्ष 2001 से 2005 तक के दौरान हरियाणा सरकार के आई ए एस तथा आई पी एस अधिकारियों के विरुद्ध कोई छाप मारा गया था, यदि हाँ तो उनकी संख्या कितनी है तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

मैं केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा हरियाणा सरकार के आई ए एस/आई पी एस अधिकारियों के विरुद्ध मोरे गए छापे से संबंधित ताराकित प्रश्न संख्या 516 तथा कार्मिक विभाग से 22 8 2006 को प्राप्त हुई उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करना चाहूंगा तदनुसार कार्मिक विभाग ने कार्मिक विभाग तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार तथा केन्द्रीय जाच ब्यूरो को उक्त ताराकित प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिये सबद्ध सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा केन्द्रीय जाच ब्यूरो से सबद्ध सूचना का इंतजार है। कार्मिक विभाग संबंधित विभागों से सबद्ध सूचना एकत्र करने के प्रयास कर रहा है परन्तु ऐसा लगता है कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार तथा केन्द्रीय जाच ब्यूरो से सबद्ध सूचना मिलने में कुछ समय लगेगा। अतः प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिए 15 दिनों का समय बढ़ाने के लिये आपसे अनुरोध किया जाता है। प्रश्न 19 9 2006 के लिये नियत है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (14 7 2009)

इस सदस्य में व्यक्त किया जाता है कि वांछित सूचना हरियाणा सरकार कार्मिक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 29/18/2006-2 एस, 1 दिनांक 15 12 2006 द्वारा हरियाणा विधान सभा को भेज दी जा चुकी है जिसकी प्रति सलग्न है।

इस सदस्य में आगे व्यक्त किया जाता है कि वर्ष 2001-2005 के दौरान हरियाणा सरकार के किसी भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा छाप नहीं मारा गया। जिन हरियाणा सरकार के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2001-2005 के दौरान केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए थे उनका विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है

क्रमक	केस सख्या एवं तिथि	अधिकारी का नाम	छपा मारे जाने की तिथि	नवीनतम स्थिति
1	2	3	4	5
1	आर सी 2(पु)/2003 ए सी यू III दिल्ली, दिनांक 26 3 03	श्री आनन्द मोहन शरण भा प्र अ भूतपूर्व आयुक्त लैण्ड डिस्पोजल) दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली	27 3 2003	केंद्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट के मध्य नजर भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 107/4/2004 ए वी डी-I दिनांक 11 3 2005 द्वारा श्री आनन्द मोहन शरण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक 106/4/2005 ए वी डी I दिनांक 30 3 2005 द्वारा आल इण्डिया सर्विस (बण्ड एवं अपील) नियम 1969 के नियम 8 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है जिसकी विभागीय जाच चीफ विजिलेंस कमीशनर भारत सरकार द्वारा की जा रही है जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।
2	आर सी 3(पु)/2004 ए सी यू-IX दिल्ली दिनांक 24 5 04	श्री सन्दीप गर्ग भा प्र अ भूतपूर्व रिजल डायरेक्टर (नार्थ एडल्ट्रेशन सेल भारत सरकार पैट्रोलियम मंत्रालय नई दिल्ली	16 4 2004 तथा 28 5.2004	केंद्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट के मध्य नजर भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 107/2/2006 ए वी डी I दिनांक 6 7 2006 द्वारा श्री सन्दीप गर्ग के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

क्रमांक	केस सट्टा एव तिथि	अधिकारी का नाम	छापा मारे जाने की तिथि	नवीनतम स्थिति
1	2	3	4	5
3	आर सी 3(ए)/2004 ए सी यू 1X दिल्ली दिनांक 24 5 04	श्री विद्याधर भा प्र अ भूतपूर्व ओ एस डी / सी एस हरियाणा श्री सजीव कुमार भा प्र अ भूतपूर्व डायरेक्टर डी पी ई पी हरियाणा	16 5 2004 तथा 7 4 2005	केन्द्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट के मध्य नजर हरियाणा सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 20/4/2008 2 एस I द्वारा भारत सरकार कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग को श्री विद्याधर एव श्री सजीव कुमार के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश कर दी गई थी। भारत सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
4	आर सी 3(ए)/2005 ए सी यू 1X दिल्ली, दिनांक 16 2 05	श्री सजीव कुमार भा प्र अ भूतपूर्व डायरेक्टर डी पी ई पी	1 / 2 2005	केन्द्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट के मध्य नजर हरियाणा सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 20/5/2008 2 एस I द्वारा भारत सरकार कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग को श्री सजीव कुमार के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति पान करने की सिफारिश कर दी गई थी। भारत सरकार से उत्तर अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक 20/5/2005 2 एस I दिनांक 10 4 2008 द्वारा आल इंडिया

सर्विस (दण्ड एवं अपील) नियम 1969 के नियम 8 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। अधिकारी से उत्तर अपेक्षित है।

5 आर सी 11/01 एस
आई सी-1
दिल्ली
दिनांक 25/7/01

श्री दनेन्द्र सिंह
भा प्र अ भूतपूर्व उपायुक्त
गुडगांव

2 11 2001

केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा जाच के आधार पर अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी एवं 420, 468 467 468, 471 तथा धारा 5(1) डी एवं 5 (2) प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तथा आर्मेज एक्ट की धारा 30 के तहत न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी। सरकार द्वारा केन्द्रीय जाच ब्यूरो की रिपोर्ट तथा अधिकारी के विरुद्ध जुटाये गए सबूतों के निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक 20/99/2001 2 एस I दिनांक 25 12 04 द्वारा अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया था तथा भारत सरकार को भी सिफारिश की गई थी कि अधिकारी के विरुद्ध प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तथा आर्मेज एक्ट के तहत अभियोजन चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा इसलिए इस आशय की अनुमति प्रदान न की जाए। भारत सरकार द्वारा भी विचारोपरान्त अपने पत्र क्रमांक 10778/2005 ए व र डी I दिनांक 21 2 2006 द्वारा केन्द्रीय जाच ब्यूरो का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।

(10 4 2006)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
191	श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा द्वारा पृष्ठा गया तारांकित प्रश्न संख्या 651 क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में माल हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मामले को उठाया है , यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?	हों, श्रीमान जी। तहसील बहादुरगढ़ में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि माल बुलाई का कार्य भी करेगा, का प्रस्ताव सिविल विमानन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा हुआ है। यह प्रस्ताव भारत सरकार नई दिल्ली के विचाराधीन है।	यह प्रस्ताव अभी नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार के विचाराधीन है। (31 3 09)	The Committee would like to know the latest position in this regard (30-6-2009)

OUTSTANDING ASSURANCES

**Relating to the
LABOUR DEPARTMENT**

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र० संख्या	सदर्थ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

192 ताराकित प्रश्न संख्या 1568 के सदर्थ में श्री नफे सिंह राठी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न “***** अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में जो इण्डस्ट्रियल टाऊन है क्या उनमें ई एस आई डिस्पैसरिया या ई एस आई होस्मिटल खोलने की योजना सरकार के विचारधीन है?”

10-9-2003

***** अध्यक्ष महोदय ई एस आई की स्वास्थ्य सेवाएं श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत आती है और पिछले दिनों गुडगांव के अन्दर एक ई एस आई के बड़े होस्पिटल का शिलान्यास किया गया है और उसका निर्माण कार्य जारी है।*****

हरियाणा राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि फरीदाबाद में पहले ही 200 बिस्तरो के दो अस्पताल तथा ई एस आई डिस्पेन्सरिज, पानीपत में 75 बिस्तरो का अस्पताल तथा डिस्पेन्सरी, जगाधरी में 80 बिस्तरो का अस्पताल तथा डिस्पेन्सरिज तथा भिवानी में 50 बिस्तरो का अस्पताल तथा डिस्पेन्सरिज स्थापित है और इन संस्थानों में लगभग 1,00 लाख बीमाकृतों और उनके परिवार जनों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि गुडगावा, सोनीपत, धरुहेडा, बागदुरगढ अम्बाला, पचकूला रोजका मेव, कुण्डली राई तथा हिसार में दो से तीन ई एस आई डिस्पेन्सरी कार्यरत है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी आवश्यकता अनुसार ई एस आई डिस्पेन्सरी स्थापित की हुई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार

The Committee would like to know the latest position in this regard (25-4-2007)

द्वारा नये विकसित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सापला, मानेसर, बावल एव गढी बोलानी में ई एस आई डिस्पैसरीज स्थापित की जा चुकी है। गुडगावा में स्थापित डिस्पैसरीज को वर्ष 2005-06 में अपग्रेड किया जा चुका है। गुडगावा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक क्षेत्र 'भरने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अनुरोध पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली ने गुडगावा में 200 बिस्तरो का आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है जोकि प्रथम चरण में 50 बिस्तर का बनाया जाएगा जिस बारे प्लान तथा अनुमान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं जिस का निर्माण शीघ्र आरम्भ हो जायेगा। यह अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ही संचालित होगा तथा इस पर होने वाला पूर्ण खर्च भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ही वहन किया जाना है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
INDUSTRIAL TRAINING AND VOCATIONAL
EDUCATION DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या	2	3	4	5
1				

193 श्री भूपिन्द्र चौधरी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 86C क्या औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पटौदी निर्वाचन क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

27.3.2008

हा श्रीमान ! आगामी शैक्षणिक स्तर से व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, मौजमबाद जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

194 श्री नरेश यादव, एम एल ए द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1005 के संदर्भ में (क) क्या कनीना के निकट भोजावास में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हा, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है

3.9.2008

(क) कनीना के निकट गांव भोजावास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का केस सरकार के विचाराधीन है। इस बारे में समय-समय पर निर्धारित नहीं की जा सकती।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the HOUSING DEPARTMENT

Note —In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

क्र०	सदस्य	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

195 ताराकित प्रश्न सख्या 942 के सदस्य मे डा शिव शंकर भारद्वाज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न

'इस हाउसिंग बोर्ड कालोनी बनने की वजह से लोगों के लिए नहा पर कोई भी रास्ता नहीं रहेगा जिससे उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या सरकार उन वाल्मिकी बस्ती वालों के लिए 20 या 25 फुट चौड़ा रास्ता वहा पर छोड़ेगी ताकि उन लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।

2 इसी तरह से अध्यक्ष महादय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल में दूसरा प्रश्न लाना चाहूंगा कि भिवानी में नई और पुरानी जो हाउसिंग बोर्ड कालोनिज है, वे बहुत ही लो-साईनिंग हैं। वहा पर अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो

24 3 2008

*****मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की नीति इस बारे में बड़ी स्पष्ट है कि हमारे गरीब भाइयों की जो बस्तिया हैं उनका रास्ता कोई रोक न पाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बस्तियों का वाजिब रास्ता जरूर रहे। हम यह बिल्कुल नहीं होने देंगे कि ऐसी कोई बस्ती भी हरियाणा में हो जिसके लिए कोई रास्ता न हो। यह असंभव है। यह हम पहले सुनिश्चित कर लेंगे कि हम कितने फुट रास्ता छोड़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मामला महकमा एग्जामिन कर लेगा और जो रीजनेबल चौड़ाई का रास्ता होगा वह हम छोड़ेंगे।

2 जहा तक इनका दूसरा प्रश्न है। इन्होंने यह पूछा है कि क्या इसकी लोकेशन चेज करने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय मैं बताता चाहूंगा कि 11 44 एकड़ यानी तकरीबन साठे ग्यारह एकड़ जमीन हाउसिंग बोर्ड ने हरियाणा हैडलूम एंड हैन्डी क्राफ्ट कारपोरेशन से दिसम्बर 2006 में ली थी।

वे कालोनिज जलमग्न हो जाती हैं।
अध्यक्ष महोदय इसलिये वहाँ के
लोगों का मत है कि अगर यहाँ पर
भी यह कॉलोनी बन जाएगी तो वह
बाल्मिकी बस्ती स्लम बन जाएगी।
भिवानी में जो ड्रेनेज है उनमें पहले
ही बहुत कूजैशन है। क्या मंत्री जी
इस कालोनी को भिवानी के बाहर
जहाँ बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई
है वहाँ पर शिफ्ट करेंगे?

इसमें 144 लो इन्कम ग्रुप, 206 मिडियम
इन्कम ग्रुप और 140 हाई इन्कम ग्रुप डबल
स्टोरी हाउसिंग को बनाने के लिए हमने यह
स्कीम फ्लोट की थी। यह स्कीम 2 जुलाई
2007 से लेकर 31 जुलाई 2007 तक थी।
हमें इसको आवरेबलिंग रिसर्च भी मिला
था। हमने इसका ड्रा जनवरी 2008 में
निकाल भी दिया है। यह स्कीम पूरी है।
इस स्कीम के तहत 1910 लाख रुपये
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पर खर्च आएगा और
553 लाख 76 हजार रुपये का खर्च
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आएगा। Everything
stands sanctioned। Sur we have also
proposed to complete this scheme by
May 2009 so, location cannot be
changed at this juncture

- 196 ताराकित प्रश्न सख्या 942 के सदर्भ
में श्री बचन सिंह आर्य द्वारा पूछा
गया अनुपूरक प्रश्न
- 'अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम
से माननीय मंत्री जी से जानना
चाहता हूँ कि आदरणीय-मुख्यमंत्री
जी 11 जून 2008 को सफीदा में
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और हुडा

24 3 2008

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से
माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा
कि अगर वहाँ पर भाग है सफीदो क्योंकि
ग्रीडग शहर है, इसलिये इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। हुडा वहाँ जैसे ही अधिग्रहण समाप्त
कर लेगा, हुडा से जमीन अलॉट करा के
उसी लॉट में प्रयास करेंगे कि वहाँ भी
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाई जाए, इस बारे

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मे यदि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो अब तो यह हमारे लिए कानून की तरह है और उसे हम जल्द लागू करेंगे।

सेक्टर की घोषणा करके आए थे और उस पर जमल भी हुआ। वहाँ पर 7, 8 और 9 सेक्टर की घोषणा कर दी गई और सैक्शन 4 के तहत नोटिस भी लगा दिया गया। उसके बावजूद भी वहाँ एस डी एम और अन्य उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई और उन्होंने रिपोर्ट दी कि सेक्टर 7 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बननी चाहिए। क्या मंत्री जी इस बारे में जानकारी देंगे कि डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो कि वहाँ के लोगों की मांग है, नहीं बनी है।

46935—H VS—HGP Chd

© 2010

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and Printed by the
Controller Printing and Stationery Haryana Chandigarh